



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (ख)

(केन्द्रीय अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 09 मई, 2020 ई0

वैशाख 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 146/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020

देहरादून, 09 मई, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने “उत्तराखण्ड राज्य कृषिउपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020” पर दिनांक 9 मई, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 02 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020
(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2020)

(भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि उपज और पशुधन को भौगोलिक दृष्टि से बाधा-मुक्त व्यापारिक लेन-देन करने, किसानों को अपनी उपज को कभी भी और कहीं भी बेचने की आजादी देने, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर व्यापारिक गतिविधियों तथा मूल्य निर्धारण तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मक विपणन, कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि निर्यात के लिए बहुविध चैनलों के उद्गम को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मंडियों और विपणन अवसंरचनाओं के विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा जहाँ कहीं समीचीन हो, वहाँ इस निमित्त सुविधाजनक विनियम, व्यावसायिक प्रबन्धन और अनुकूल नीतिगत ढाँचा स्थापित करने तथा उससे संबंधित प्रयोजन तथा इस हेतु प्रक्रियाएं और प्रणालियां निर्धारित करने के लिए।

अध्यादेश

चूँकि राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है तथा राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

अध्याय-I

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ** 1.(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020" है।
- (2) यह सम्पूर्ण राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- परिभाषायें** 2. इस अध्यादेश में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ में प्रतिकूल न हो—
- (1) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (2) "तदर्थ क्रेता" में इस अध्यादेश की धारा 79 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाने वाला क्रेता सम्मिलित है;
- (3) "कृषि उपज" के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों को छोड़कर कृषि, बागवानी, मधुमक्खी

पालन, वनों से संबंधित सभी तरह की उपज चाहे वह संसाधित है अथवा नहीं सम्मिलित है;

- (4) **"कृषक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किराए के श्रमिक द्वारा अथवा काश्तकार, किराएदार के साथ अथवा अन्यथा पशुपालन सहित कृषि उपज के उत्पादन कार्य में लगा है।

"कृषक" की श्रेणी के अंतर्गत कुछ समय से प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत की गई किसानों की एसोसिएशन, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, भी सम्मिलित है और जो पशुधन सहित सदस्य कृषकों की उपज के समुच्चयन कार्य में लगी होती है।

स्पष्टीकरण:- यदि यह प्रश्न उठता है कि इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति कृषक है अथवा नहीं, तो जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, जिले के भू-राजस्व प्रभारी अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से संबोधित किया जाए, का यह निर्णय कि ऐसा व्यक्ति कृषि उपज के उत्पादन और/अथवा पशुपालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अंतिम होगा। इसके अतिरिक्त भूमिधर और जोतदार शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उनके अर्थ राज्यों के संबंधित भूमि सुधार अधिनियमों में समनुदेशित किए गए हैं;

- (5) **"जॉच प्रयोगशाला"** से ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है जो व्यापारिक मापदंडो अथवा श्रेणी मानकों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किन्हीं अन्य मापदंडो के अनुसार गुणवत्ता मापदंडो की जॉच करने के लिए नियमों/उपविधियों दिशा-निर्देशों/अनुदेशों अनुसार स्थापित की गई हो;

- (6) **"बोर्ड"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार के प्रशासन द्वारा स्थापित राज्य के विपणन बोर्ड से है;

- (7) **"केता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अथवा किसी व्यक्ति अथवा एजेंट की ओर से मंडी में कृषि उपज तथा पशुधन कय करता है अथवा कय करने के लिए सहमत होता है;

- (8) **"उपविधि"** से इस अध्यादेश के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियमों के अधीन बनायी गई उपविधि अभिप्रेत हैं। मंडी समिति अपने प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य मंडी प्रांगण और उप-मंडी प्रांगणों अथवा मंडी उपप्रांगणों के संबंध में व्यापार तथा व्यापारिक शर्तों के विनियमन के लिए उपविधि बना सकती है;

- (9) **"शीतागार"** से मंडी-प्रांगण के सम्बन्ध में ऐसे शीतगृह अभिप्रेत है, जिसे इस अध्यादेश की धारा 12 के अंतर्गत मंडी उपप्रांगण घोषित किया गया है;
- (10) **"कमीशन एजेंट"** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने मालिक की ओर से पशुधन सहित कृषि उपज की खरीद करता है अथवा उसे बेचता है, अथवा ई-पोर्टल पर अथवा लेन-देन के अन्य किसी ढंग द्वारा लेन-देन के प्रारंभिक और अन्य स्तर पर क्रय और विक्रय की प्रक्रिया में और उससे संबंधित कार्यों को करने में मदद करता है, कृषि उपज को अपनी अभिरक्षा में रखता है, उसकी बिक्री या क्रय की प्रक्रिया के दौरान उसे नियंत्रित करता है और यदि आवश्यकता हो तो क्रय से उसकी रकम वसूल करता है और इसे विक्रेता को अदा करता है और ऐसे लेन-देन में सम्मिलित राशि पर पारिश्रामिक के तौर पर कमीशन अथवा कुछ प्रतिशत राशि प्राप्त करता है;
- (11) **"निरूपित मंडी क्षेत्र"** से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है, जो मंडी समिति के सदस्यों का चुनाव करने और विपणन संबंधी विकास कार्य करने के प्रयोजन से धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है;
- (12) **"निदेशक"** से कृषि विपणन निदेशक अथवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा इस अध्यादेश अथवा नियमों के उपबंधों, जिन्हें अधिसूचना में निर्धारित किया गया हो, के अन्तर्गत कृषि विपणन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने और अथवा कार्यों का निष्पादन करने के लिए की गई हो;
- (13) **"प्रत्यक्ष विपणन"** कृषि उपज के सम्बन्ध में इस अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, थोक खरीदारों आदि द्वारा प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, निजी मंडी प्रांगण और मंडी उपप्रांगण के बाहर किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कृषि उपज की थोक रूप में क्रय करना अभिप्रेत है;
- (14) **"इलेक्ट्रॉनिक व्यापार"** से पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार अभिप्रेत है, जिसमें पंजीकरण, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, संविदा, वार्ता, सूचना का आदान-प्रदान, रिकार्ड का रख-रखाव तथा अन्य संबंधित कार्य कम्प्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं;

- (15) **"इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्म"** से राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों अथवा धारा 54 के अन्तर्गत लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति द्वारा पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम से व्यापार करने के लिए स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक युक्ति अभिप्रेत है, जिसमें पंजीकरण, खरीद और विक्रय, बिलिंग, बुकिंग, संविदा और वार्ता संबंधी कार्य कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट अथवा किसी भी अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ऑनलाइन किए जाते हैं;
- (16) **"निर्यात"** से पशुधन सहित कृषि उपज को भारत से निर्यात अभिप्रेत है;
- (17) **"किसान-उपभोक्ता मंडी प्रांगण"** से इस अध्यादेश की धारा 11 के अन्तर्गत स्थापित मंडी प्रांगण अभिप्रेत है;
- (18) **"कृषक-उत्पादक कम्पनी"** (एफ पी सी) से भारतीय कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा IX A-, उसमें किए गए किन्हीं संशोधनों, उसके पुनः अधिनियम में परिभाषित अनुसार और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में शामिल कृषि-उत्पादक सदस्यों की कंपनी अभिप्रेत है;
- (19) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार से अभिप्रेत है;
- (20) **"सरकारी एजेंसी"** से राज्य कृषि विपणन विभाग/निदेशालय राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा इस अध्यादेश के अन्तर्गत स्थापित अथवा गठित कृषि उपज और पशुधन मंडी समिति अभिप्रेत है;
- (21) **"लाइसेंस"** से इस अध्यादेश के उपबंधों के अन्तर्गत प्रदान लाइसेंस अभिप्रेत है;
- (22) **"लाइसेंसधारक"** से इस अध्यादेश के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किया गया लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (23) **"पशुधन"** से गाय, भैंस, बैल, बकरी और भेड़ अभिप्रेत है और इनमें मुर्गी और ऐसे अन्य जीव तथा उनके उत्पाद भी सम्मिलित हैं, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं;
- (24) **"प्रबंध निदेशक"** से राज्य के कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा कृषि विपणन निदेशक को छोड़कर किसी अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य प्रशासक या प्रशासन या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव, या जिस भी किसी का नाम से उसे संबोधित किया गया हो, की शक्तियों का प्रयोग करने और/अथवा कार्यों का

- निष्पादन करने के लिए की गई है;
- (25) **'मंडी समिति'** से इस अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित अथवा विद्यमान विनियम के अन्तर्गत स्थापित कृषि उपज और पशुधन मंडी समिति से है;
- (26) **'विपणन'** से कृषि उपज के संबंध में ऐसी सभी गतिविधियां अभिप्रेत हैं जो कृषि उपज को उत्पादन स्थल से लेकर उसके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने तक की जाती है जैसे श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण चैनल्स आदि, और सभी अन्य कार्यों जो इस प्रक्रिया के हैं;
- (27) **'मंडी उपप्रांगण'** से वेयर हाउस/साइलोज/ शीतगृहों या अन्य ऐसी संरचना अथवा स्थान अभिप्रेत है, जिसे धारा 12 के अन्तर्गत मंडी उपप्रांगण घोषित किया गया हो अथवा मंडी उपप्रांगण माना गया हो;
- (28) **'मंडी प्रांगण'** निरूपित मंडी क्षेत्र के संबंध में मंडी प्रांगण के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा कृषि उपज और पशुधन मंडी समिति द्वारा प्रबंधित और संचालित ऐसे निरूपित मंडी क्षेत्र में स्थित प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण और मंडी उप प्रांगण सम्मिलित हैं;
- (29) **'राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण'** से ऐसे मंडी प्रांगण अभिप्रेत है, जिसे इस अध्यादेश की धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है;
- (30) **'राष्ट्रीय कृषि मंडी (नाम)'** से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी "एकीकृत मंडी" अभिप्रेत है, जहाँ विपणन उपयोगिता से युक्त पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की भारत में सभी समय और स्थानों पर खरीद बिक्री तथा इससे संबंधित गतिविधियां की जाती हैं;
- (31) **'अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन'** से इस अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उपज और पशुधन अभिप्रेत है;
- (32) **'ओवर ट्रेडिंग'** से व्यापारी के संबंध में इसका आशय कृषि उपज और पशुधन की किसी भी समय की गई खरीद का मूल्य व्यापारी द्वारा मंडी समिति के पास जमा की गई प्रतिभूति राशि अथवा दी गई बैंक गारंटी की राशि की तुलना में अधिक राशि अभिप्रेत है;
- (33) **'व्यक्ति'** से व्यक्ति, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी अथवा फर्म अथवा व्यक्तियों की संघ चाहे निगमित हैं, अथवा नहीं, सम्मिलित हैं;
- (34) **'छोटा व्यापारी'** से कृषि उपज के सम्बन्ध में इसका आशय

इस अध्यादेश के अन्तर्गत गैर लाइसेंसधारी व्यापारी अभिप्रेत है जो अधिसूचित कृषि उपज की खरीद अथवा बिक्री इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट तथा राज्य सरकार द्वारा खुदरा के रूप में अधिसूचित ऐसी मात्रा से अधिक नहीं करता है;

- (35) **"विहित"** से इस अध्यादेश के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और/ अथवा उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (36) **"निजी मंडी प्रांगण"** से इस अध्यादेश की धारा 10 के अन्तर्गत स्थापित मंडी प्रांगण अभिप्रेत है;
- (37) **"प्रसंस्करण इकाई"** से इस अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत मंडी उपप्रांगण के रूप में घोषित प्रसंस्करण इकाई अभिप्रेत है;
- (38) **"संसाधक"** (प्रोसेसर) से कृषि उपज के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी इच्छा से या प्रभार का भुगतान करने पर किसी अधिसूचित कृषि उपज का प्रसंस्करण करता है;
- (39) **"रजिस्ट्रीकरण"** से विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इस अध्यादेश के अंतर्गत किए गए **रजिस्ट्रीकरण** अभिप्रेत है;
- (40) **"विनियमन"** से धारा 98 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन अभिप्रेत है;
- (41) **"खुदरा बिक्री"** से अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक विक्रय न करना अभिप्रेत है;
- (42) **"रिवॉल्विंग विपणन विकास निधि"** से इस अध्यादेश की धारा 112 (1) के अन्तर्गत निदेशक द्वारा अनुरक्षित गैर व्यपगत निधि अभिप्रेत है;
- (43) **"नियम"** से राज्य सरकार द्वारा इस अध्यादेश के अंतर्गत बनाए गए नियम अभिप्रेत है;
- (44) **"विक्रेता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूल्य प्रतिफल के लिए पशुधन सहित कृषि उपज की बिक्री करता है अथवा बिक्री के लिए सहमत होता है;
- (45) **"अनुसूची"** से इस अध्यादेश से आबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (46) **"साइलो"** से इस अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत मंडी उपप्रांगण के रूप में घोषित किया गया साइलो अभिप्रेत है;
- (47) **"विशेष वस्तु मंडी प्रांगण"** से इस अध्यादेश की धारा 8 के अन्तर्गत अधिसूचित मंडी प्रांगण अभिप्रेत है;
- (48) **"राज्य"** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

- (49) **"व्यापारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो घरेलू उपभोग के प्रयोजन के सिवाय बिक्री, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा किसी अन्य प्रयोजन, जैसा भी मामला हो, के लिए स्वयं या किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के एजेंट के रूप में पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करता है;
- (50) **"वर्ष"** से ऐसा वर्ष अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;
- (51) **"वेयर हाउस"** से इस अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत मंडी उपप्रांगण के रूप में घोषित वेयरहाउस अभिप्रेत है।

अध्याय-II

मंडियों की स्थापना

विनिर्दिष्ट कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना।

- 3.(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर राज्य में ऐसी कृषि उपज और पशुधन जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। इस अधिसूचना को स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में व्यापक रूप से प्रचालित पोर्टलों/मीडिया-जैसे कि समाचार-पत्रों, वेबसाइटों और इस प्रकार के अन्य फार्मेटों में प्रकाशित करके हितबद्ध जनता के संज्ञान में लाया जाएगा:

परन्तु इस अध्यादेश के अन्तर्गत नगर-पालिका की सीमाओं के भीतर आने वाले किसी भी क्षेत्र को, नगर पालिका बोर्ड, अथवा नगर परिषद, यथास्थिति के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात ही विनिमयन के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेख किया जायेगा कि सरकार को ऐसी अवधि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, जोकि 30 दिन से कम नहीं होगी, के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

- (3) सरकार द्वारा क्षेत्र की पंचायती राज सस्थाओं तथा स्वायत्त जिला परिषदों सहित स्थानीय निकायों, जो कि ग्रामीण आवधिक मंडियों अथवा हाटों अथवा ऐसी किन्हीं अन्य मंडियों के स्वामी हैं और अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर कृषि उपज और पशुधन के विपणन के लिए उनका संचालन करते हैं, ऐसी मंडियों को इस अध्यादेश के विनियमन के अन्तर्गत लाने तथा इन मंडियों को फार्मगेट के निकट विपणन प्लेटफार्म के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु विकसित करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सकता है।

समूचे राज्य को एक एकल मंडी क्षेत्र के रूप में घोषित करना।

4. धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अधीन तथा ऐसी अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी स्त्रोत से प्राप्त हुए ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार एक अन्य अधिसूचना द्वारा समूचे राज्य को इस अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में सभी अथवा किसी प्रकार की कृषि उपज और पशुधन को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ समूचे राज्य को एक एकल मंडी क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस तरह घोषित किया गया क्षेत्र अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ एक एकल मंडी क्षेत्र होगा।

निरूपित मंडी क्षेत्र को अधिसूचित करना

5. धारा 3 और 4 में किए गये प्रावधान के अधीन सरकार अग्रेत्तर अधिसूचना जारी करके ऐसी मंडी समिति के सदस्यों का चुनाव करने तथा उसमें विकासात्मक गतिविधियां प्रारम्भ करने के प्रयोजन से मंडी समिति के लिए निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र को मंडी क्षेत्र के रूप में निरूपित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण-मंडी समिति अपने निर्धारित मंडी क्षेत्र में, अधिसूचित कृषि उपज तथा पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। मंडी समिति मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन हेतु विनियमन लागू करेगी।

निरूपित मंडी क्षेत्र तथा
कृषि उपज और पशुधन
की मर्दों में
परिवर्तन /आमेलन

- 6.(1) सरकार धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन किसी भी समय अधिसूचना जारी करके इस अध्यादेश के अंतर्गत विनियमन हेतु किसी भी क्षेत्र को निरूपित क्षेत्र से बाहर कर सकेगी अथवा उसमें अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित कर सकेगी अथवा किसी एक मंडी क्षेत्र को दो या इससे अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी अथवा दो या इससे अधिक ऐसे क्षेत्रों में आमेलित कर सकेगी अथवा किसी भी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकेगी अथवा किसी कृषि उपज और पशुधन को जो अभी तक विनियमित नहीं है, को सम्मिलित कर सकेगी।
- (2) इस धारा के अंतर्गत, किसी निरूपित क्षेत्र अथवा कृषि उपज और पशुधन की मर्दों में परिवर्तन, यदि कोई हो, के पश्चात निदेशक के लिए इस धारा के अंतर्गत कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उसका यह विचार न हो कि किसी क्षेत्र को जो अब तक मंडी समिति को निरूपित मंडी क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है, घोषित करना आवश्यक है।

प्रमुख मंडी प्रांगण,
उपमंडी प्रांगण, मंडी
उपप्रांगण, निजी मंडी
प्रांगण, निजी मंडी
उपप्रांगण, कृषक
उपभोक्ता मण्डी प्रांगण,
निजी कृषक-
उपभोक्ता मंडी और
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग
प्लेटफार्म

- 7.(1) राज्य में निम्नलिखित होंगे:-
- (क) मंडी समिति द्वारा संचालित प्रमुख मंडी प्रांगण।
(ख) मंडी समिति द्वारा संचालित उपमंडी प्रांगण।
(ग) मंडी समिति द्वारा संचालित मंडी उपप्रांगण।
(घ) धारा 10 के अंतर्गत लाइसेंस धारित व्यक्ति द्वारा संचालित निजी मंडी प्रांगण।
(ङ.) धारा 12 के अंतर्गत लाइसेंस धारित व्यक्ति द्वारा संचालित निजी मंडी उप प्रांगण।
(च) मंडी समिति द्वारा संचालित कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण।
(छ) धारा 11 के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा संचालित निजी कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण।
(ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म
- (2) सरकार धारा 4 और 5 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के पश्चात यथाशीघ्र मंडी समिति द्वारा संचालित और निरूपित मंडी क्षेत्र में किसी भी "स्थान" को, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन से इस अध्यादेश के अन्तर्गत भौतिक, इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य

मोड में अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रूप से प्रमुख मंडी प्रांगण अथवा उपमंडी प्रांगण अथवा मंडी उपप्रांगण अथवा कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण, जैसा भी मामला हो, घोषित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा में, 'स्थान' पद के अन्तर्गत, निरूपित मंडी क्षेत्र की मंडी समिति में निहित कोई भी संरचना, बाड़ा, खुले स्थान पर स्थित इलाका, वेयरहाउस/साइलोज/पैक हाउस/क्लीनिंग, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग तथा प्रोसेसिंग यूनिट सम्मिलित होंगे।

- (3) सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 73 के अन्तर्गत लाइसेंस शुदा किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन से इस अध्यादेश के अन्तर्गत भौतिक, इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य मोड में अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रूप से प्रमुख मण्डी प्रांगण अथवा उप मण्डी प्रांगण अथवा मंडी उपप्रांगण अथवा कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण, जैसा भी मामला हो, घोषित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा में "स्थान" पद के अन्तर्गत, इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु किसी लाइसेंस सुदा व्यक्ति में निहित कोई भी संरचना, बाड़ा, खुले स्थान पर स्थित इलाका, वेयरहाउस/साइलोज/पैक हाउस/क्लीनिंग, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग तथा प्रोसेसिंग यूनिट सम्मिलित हैं।

"विशेष वस्तु मंडी प्रांगण" की स्थापना और अधिसूचना। 8.(1)

सरकार धारा 7 (2) के अंतर्गत स्थापित किसी मौजूदा मंडी प्रांगण को "विशेष वस्तु मंडी प्रांगण" के रूप में नामोर्दिष्ट कर सकेगी अथवा विशेष कृषि उपज और पशुधन से सम्बन्धित ऐसे पहलुओं तथा विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात किसी मंडी प्रांगण को "विशेष वस्तु मंडी प्रांगण" के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- (i) प्याज मंडी, सेब मंडी, संतरा मंडी सहित फलों, सब्जियों एवं फूलों की मंडियां तथा अन्य ऐसी मंडियां;
- (ii) कपास मंडी ;
- (iii) औषधीय और सुगंधित पादप मंडी ;

- (iv) ऊंट मंडी, मछली मंडी, मुर्गी मंडी सहित पशुधन मंडी तथा अन्य इस प्रकार की मंडी ;
 (v) इस प्रकार की अन्य मंडियाँ ;

- (2) अध्यादेश में मंडी समिति के लिए तथा उसके संबन्ध में किए गए सभी उपबंध "विशेष वस्तु मंडी प्रांगण" के लिए स्थापित मंडी समिति पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

"राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण" (एम एन आई) की स्थापना और उसकी अधिसूचना।

सरकार धारा 7 (2) के अंतर्गत स्थापित किसी मौजूदा मंडी प्रांगण को "राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण" के रूप में नामोर्दिष्ट कर सकेगी अथवा ऐसे पहलुओं जैसे—वैल्यू, अपस्ट्रीम केपमेंट एरिया, सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं की डाउनस्ट्रीम संख्या तथा विशेष अवसंरचना अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात किसी मंडी को राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण के रूप में अधिसूचित और स्थापित कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसे मंडी प्रांगण को जो वार्षिक टन भार अथवा वार्षिक मूल्य, जो नियत किया गया हो, से कम तक लेन देन न करता हो, "राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण" का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है:

परन्तु यह और भी कि ऐसे वार्षिक टन भार अथवा वार्षिक मूल्य में से 30 प्रतिशत आवक कम से कम दो अन्य राज्यों से होनी चाहिए।

निजी मंडी प्रांगण की स्थापना।

- 10.(1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों तथा शुल्क जो नियत किया जाए, के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के व्यापार के लिए एक निजी मंडी प्रांगण स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस दे सकता है।
- (2) निजी मंडी प्रांगण लाइसेंसधारी अथवा उसकी प्रबंधन समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, द्वारा कमीशन एजेंटों और अन्य मंडी पदाधिकारियों को लाइसेंस प्राप्त निजी मंडी प्रांगण में अपना कार्य करने के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- (3) निजी मंडी प्रांगण लाइसेंसधारी या उसकी प्रबंधन समिति

निजी मंडी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के लेन देन पर यथामूल्य शुल्क पर, जो कि सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक न हो, यूजर प्रभार वसूल कर सकेगी:

परन्तु कोई भी यूजर प्रभार कृषक-विक्रेता से वसूल नहीं किया जायेगा।

- (4) निजी मंडी प्रांगण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे यूजर प्रभार वसूली और पंजीकरण शुल्क को निदेशक द्वारा रखे जा रहे "रिवॉल्विंग विपणन विकास फंड" में मंडी समिति के समान प्रतिशत दर पर दिया जाएगा।
- (5) निदेशक उपधारा (4) के अंतर्गत ऐसे फंड से प्राप्त धनराशि को सामान्य विपणन अवसंरचना, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्लेज फायनांसिंग तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों पर खर्च करेगा जो राज्य में कुशल विपणन व्यवस्था विकसित करने में मदद कर सके।
- (6) निजी मंडी लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसशुदा निजी मंडी प्रांगण में व्यापार करने और उससे संबन्धित सहायक गतिविधियां चलाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण की स्थापना (कृषक द्वारा उपभोक्ता को कृषि उपज की बिक्री सीधे खुदरा रूप में करना)

- 11.(1) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जो नियत की जाय निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि फसल के खुदरा विपणन के लिए कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है।
- (2) ऐसे कृषि-उपभोक्ता मंडी प्रांगण की स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी अवसंरचना का विकास जैसा विहित किया जाये और ऐसे स्थान पर, जो कृषकों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए सुलभ हो, करके की जा सकती है:
परन्तु यह कि उपभोक्ता इस मंडी में एक समय में कृषि उपज की खरीद ऐसी मात्रा, जो विनिर्धारित की गई हो, से अधिक मात्रा में नहीं करेगा।
- (3) कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण लाइसेंसधारी द्वारा विक्रेता से

कृषि उपज की बिक्री पर यूजर चार्ज वसूल किया जा सकता है और इस तरह वसूल की गई राशि कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण लाइसेंसधारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार जनहित में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यूजर प्रभार की वसूली की दर पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी।

**वेयरहाउस/साइलोज
/शीतागार या अन्य
ऐसी संरचना या स्थान
को मंडी उपप्रांगण के
रूप में घोषित करना।**

12.(1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार अधिसूचना द्वारा वेयर हाउस/साइलोज/शीतगृहों या अन्य ऐसी संरचना या अवसंरचना और सुविधाओं युक्त स्थान, जैसा विहित किया जाये को मंडी उप प्रांगण के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के अंतर्गत "स्थान" पदबंध में पैकिंग हाउस, क्लीनिंग, ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई भी संरचना, चारदीवारी, खुला स्थान, स्थानीय क्षेत्र, गली सम्मिलित हैं।

(2) ऐसे वेयर हाउस/शीतगृहों अथवा अन्य ऐसी संरचना अथवा स्थान, जैसा भी मामला हो, का स्वामी यदि ऐसे स्थान को उपधारा(1) के अंतर्गत मंडी उपप्रांगण के रूप में घोषित कराने का इच्छुक है तो इसके लिए वह निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे रूप में और ऐसी रीति से और शुल्क के साथ तथा उतनी अवधि जो तीन वर्ष से कम की न होगी के लिए आवेदन करेगा, जैसा निर्धारित किया जाये।

(3) ऐसे वेयर हाउस/साइलोज/शीतगृहों अथवा अन्य ऐसी संरचना या स्थान का लाइसेंसधारी धारा 12 के अंतर्गत घोषित मंडी उप प्रांगण में निष्पादित अधिसूचित कृषि उत्पादों पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अनधिक यथा मूल्य दर पर यूजर प्रभार वसूल कर सकता है:

परन्तु यह कि कृषक-विक्रेता से कोई यूजर प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(4) घोषित मंडी प्रांगण का लाइसेंसधारी ऐसे यूजर प्रभार की राशि में से मंडी समिति के समान प्रतिशत दर पर निदेशक

द्वारा अनुरक्षित पृथक "रिवोल्विंग विपणन विकास निधि" में अंशदान करेगा। इस निधि का उपयोग इस अध्यादेश की धारा 10(5) के प्रयोजनों तथा रीति में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किया जाएगा।

प्रत्यक्ष विपणन (मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, निजी मंडी प्रांगण से बाहर कृषकों से थोक रूप में सीधी खरीद)।

- 13.(1) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा यथानिर्धारित अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) सहित रिटेल चेन, अथवा प्रसंस्करण/निर्यात इकाई/परिसरों अथवा यथानिर्धारित अन्य इसी तरह की इकाई/परिसरों के साथ जुड़े उत्पादन क्षेत्रों के निकट इस अध्यादेश तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वसूली/संकलन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्यक्ष थोक की खरीद बिना कोई स्थाई वसूली/संकलन केन्द्र, जैसा भी निर्धारित किया गया हो, स्थापित किए मुख्य मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण, निजी मंडी प्रांगण के बाहर इस प्रकार की खरीद का स्थान घोषित करके भी की जा सकती है।
- (3) प्रत्यक्ष विपणन के लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापार संबंधी लेन-देन के रिकार्डों तथा सभी लेखों का रखरखाव करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट जैसा निर्धारित किया जाय प्रस्तुत करनी होगी।
- (4) लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी तरह की अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा और ऐसी थोक खरीद की कार्यशैली तथा उससे संबंधित गतिविधियों की जांच कर सकेगा और निर्देश जारी कर सकेगा।
- (5) प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारी को निष्पादित थोक खरीद पर लागू मंडी शुल्क की एक चौथाई राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा लाइसेंसधारी महीने की देय राशि को निदेशक द्वारा अनुरक्षित "रिवोल्विंग विपणन विकास निधि" में अगले माह की 7 तारीख तक जमा कराएगा। इस निधि का उपयोग इस अध्यादेश की धारा 10(5) के प्रयोजन तथा रीति में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किया जायेगा।
- (6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत जारी किये गये नियंत्रण आदेशों तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी स्टॉक सीमा का उपबंध

प्रसंस्करण/निर्यात की अपनी वार्षिक क्षमता की सीमा तक प्रसंस्करण/निर्यात के लिये कृषि उपज की खरीद करने वाले ऐसे प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारी पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस अध्यादेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के बीच किसी तरह के विवाद की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को प्रभावी माना जाएगा।

अध्याय—III

मंडी समिति का गठन

मंडी समिति की स्थापना और इसका संयोजन

- 14.(1) प्रत्येक निरूपित मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होंगे।
- (2) इस अध्यादेश के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक मंडी समिति ऐसे नाम से एक निगमित निकाय होगा जैसा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट किया जाये। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा होगी और यह अपने निगमित नाम से वाद कर सकती है और इस पर वाद किया जा सकता है तथा इस अध्यादेश द्वारा या उसके अंतर्गत लगाये गये, प्रतिबंधों के अधीन चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति की संविदा, अधिग्रहण, कब्जा, पट्टा, विक्रय अथवा उसका अन्यथा अन्तरण करने के लिये तथा उस प्रयोजन जिसके लिये यह स्थापित किया गया है, के लिये आवश्यक सभी अन्य कार्य करने हेतु सक्षम होगा:

परन्तु मंडी समिति द्वारा निदेशक की पूर्व अनुमति लिये बिना ऐसी कोई भी अचल अथवा चल संपत्ति जिसका मूल्य निर्धारित सीमाओं से अधिक हो, अधिगृहीत अथवा निष्पादित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि निदेशक, ऐसे लिखित कारण से अधिग्रहण के पूरा होने अथवा विलेख के क्रियान्वयन से पूर्व, जैसा भी मामला हो, ऐसी मंजूरी को वापस ले सकता है:

परन्तु यह भी कि मंडी समिति, निदेशक की पूर्व अनुमति से और निर्धारित अधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी के साथ करार कर सकता है और ऐसी भूमि या भवन को खरीद सकता है।

- (3) तत्समय लागू किसी अधिनियमन में किसी बात के होते हुए भी

प्रत्येक मंडी समिति को सभी प्रयोजनों के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा।

- (4) निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक द्वारा स्टाफ, संस्थापन के व्यय तथा इस संबंध में आवश्यक अन्य खर्चों और भत्तों के लिये मापदंड निर्धारित करने के प्रयोजन से प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट) और अन्य बातों, जिन्हें निदेशक उचित समझता हो, पर विचार करते हुये मंडी समिति को वर्गीकृत किया जाएगा।

स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को मंडी समिति में निहित करना

- 15.(1) मंडी समिति द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को उससे संबंधित किसी भूमि अथवा भवन, जोकि निरूपित मंडी क्षेत्र के भीतर स्थित है और जिसका उपयोग स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मंडी प्रांगण की स्थापना से तत्काल पूर्व मंडी प्रयोजनों हेतु किया जा रहा था, को उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा जा सकता है और स्थानीय प्राधिकरण, मांग प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर उस भूमि और अथवा भवन, जैसा भी मामला हो, को ऐसी शर्तों, जिन पर दोनों के बीच सहमति हुई हो, मंडी समिति को स्थानांतरित कर देगा।

- (2) जहां उपधारा (1) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण को मांग प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त उपधारा के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और मंडी समिति के बीच करार नहीं हो पाता है तो मंडी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि अथवा इमारत इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए मंडी समिति को निहित मानी जाएगी और इसके लिए स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (5) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा यथा निर्धारित मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा :

परंतु ऐसे निहित होने पर स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जाएगा जो उसे ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियम में निहित प्रावधान के कारण तथा बिना कोई राशि, जो भी हो, का भुगतान कर उसमें निहित की गई थी:

परंतु यह और कि कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई पक्षकार इस तरह का आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकता है।

- (3) स्थानीय प्राधिकरण उपधारा (2) के अंतर्गत मंडी समिति में निहित भूमि अथवा भवन का कब्जा ऐसे निहित होने से सात दिन की

अवधि के भीतर दे देगा और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त अवधि के भीतर ऐसा न करने पर कलेक्टर द्वारा भूमि अथवा भवन का कब्जा लेकर उसे मंडी समिति को दे दिया जाएगा।

- (4) कलेक्टर भूमि अथवा भवन के मुआवजे की राशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा :-
- (i) ऐसा युक्तियुक्त अनुमानित वार्षिक किराया, जिस पर उस भवन को वर्ष दर वर्ष किराए पर दिया जा सकता हो;
- (ii) भवन की स्थिति;
- (iii) ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गई मुआवजा की राशि; और
- (iv) किसी निर्मित भवन अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि पर कराये गये अन्य कार्य की वर्तमान लागत।
- (5) मंडी समिति के विकल्प पर उपधारा (4) के अंतर्गत नियत की गई प्रतिपूर्ति की राशि एकमुश्त रूप में अथवा उचित संख्या में बराबर की किश्तों में कलेक्टर द्वारा यथानिर्धारित ब्याज की राशि सहित दी जा सकती है।

**मंडी समिति
और/अथवा
बोर्ड के लिए
भूमि का
अधिग्रहण**

- 16.(1) जब निरूपित मंडी क्षेत्र के भीतर किसी भूखंड की इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ आवश्यकता हो, और बोर्ड या मंडी समिति करार द्वारा उसका अधिग्रहण करने में असमर्थ हो तो सरकार बोर्ड अथवा मंडी समिति, जैसा भी मामला हो, के अनुरोध पर "भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" के प्रावधानों और/अथवा अद्यतन संशोधित किसी अन्य संगत कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा सकती है और बोर्ड या मंडी समिति द्वारा उस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई मुआवजा राशि का तथा अधिग्रहण के संबंध सरकार द्वारा खर्च किए गए अन्य प्रभारों का भुगतान करने पर यह भूमि बोर्ड अथवा मंडी समिति, जैसा भी मामला हो, को दे दी जाएगी;

परन्तु एक बार मंडी समिति द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित कारणों के सिवाय, इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

- (2) बोर्ड अथवा मंडी समिति सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी किसी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा, जो बोर्ड या मंडी समिति

द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की गई है अथवा ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया गया है, से इतर किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा:

परन्तु मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण के लिए अथवा बोर्ड के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाए जा रहें परिसरों को नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, की सीमाओं में सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

**प्रथम मंडी
समिति का
गठन**

17.(1) इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात् घोषित किए गए निरूपित मंडी क्षेत्र के लिए पहली बार प्रथम मंडी समिति का गठन किया जाएगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इसके सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार गठित प्रथम मंडी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 15 से कम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें यथा निर्धारित दस कृषक सदस्य होंगे। अन्य पाँच सदस्यों में निम्नलिखित हो सकते हैं :-

- (i) सरकार के कृषि/बागवानी, सहकारिता और कृषि विपणन विभागों से एक-एक सदस्य अर्थात् कुल तीन सदस्य।
- (ii) सहकारिता विपणन समिति से एक सदस्य।
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण (महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत, समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो,) से एक सदस्य:

परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नामांकन कृषक सदस्यों में से किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सरकार द्वारा कृषक सदस्यों के नामांकन में सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि सरकार यदि उचित समझे तो वह पहली बार गठित मंडी समिति के सदस्यों का नामांकन करने के स्थान पर किसी प्रशासक अथवा प्रशासक बोर्ड को नियुक्त कर सकता है जिन्हें सभी प्रयोजनों के लिए प्रथम गठित मंडी समिति माना जाएगा।

(2) सरकार या निदेशक आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रथम मंडी समिति का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा/करेगी:

परन्तु प्रभारी अधिकारी की मृत्यु होने, उसके त्यागपत्र देने या छुट्टी पर जाने या निलंबन की स्थिति में ऐसे पद पर

आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा और ऐसी रिक्ति को सरकार या निदेशक द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करके यथाशीघ्र भरा जाएगा और ऐसी नियुक्ति होने तक निदेशक द्वारा प्रतिनियुक्ति/नामित व्यक्ति प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। प्रभारी अधिकारी की सेवाएँ प्रथम मंडी समिति का कार्यकाल पूरा होते ही समाप्त हो जाएँगी।

- (3) उपधारा (1) के अंतर्गत गठित प्रथम मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य समिति के गठन की अधिसूचना जारी होने के दिन से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रहेंगे:

परन्तु यदि नई मंडी समिति का गठन उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कर दिया जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य नवगठित मंडी समिति की पहली सामान्य बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख को अपना कार्य करना बन्द कर देंगे:

परन्तु यह और कि सरकार अथवा निदेशक उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी तरह का कदाचार सिद्ध होने की स्थिति में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को निलम्बित कर सकता है। ऐसी स्थिति में एक आकस्मिक रिक्ति हुई मानी जाएगी और ऐसी रिक्ति को सरकार अथवा निदेशक द्वारा उस रिक्ति के लिए किसी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, नामित करके यथा शीघ्र भरा जाएगा।

द्वितीय और अनुवर्ती मंडी समिति का गठन

- 18.(1) धारा 17 में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति के गठन की अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई मंडी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
- (क) धारा 23 के अन्तर्गत निर्वाचित एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष;
- (ख) इस अध्यादेश तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निरूपित मंडी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गये तथा इस प्रकार की अर्हताएँ रखने वाले दस कृषक प्रतिनिधि:

परन्तु किसी भी कृषक को द्वितीय मंडी समिति में कृषकों का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए तब तक योग्य न होगा। जब तक कि उसने कम से कम एक बार अपनी कृषि उपज की बिक्री पिछले एक वर्ष में न की हो या निरूपित मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले

प्रमुख मंडी प्रांगण अथवा उपमंडी प्रांगण में अनुवर्ती मंडी समिति के लिए पाँच वर्ष में पाँच बार बिक्री न की हो।

(ग) ऐसे निरूपित मंडी क्षेत्र में रहने वाले लाईसेंसधारी व्यापारियों में से चुना गया एक व्यापारी प्रतिनिधि जोकि निरूपित मंडी क्षेत्र का निवासी हो जो ऐसी योग्याएँ धारण करता हो जैसा विहित किया जाये:

परन्तु कोई भी व्यापारी एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा:

परन्तु यह और कि वह इस अध्यादेश या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार चुने जाने के लिए अन्यथा रूप में निरर्हित न हो।

(घ) मंडी समिति से लाईसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों में से चुना गया लाईसेंसधारी कमीशन एजेंटों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी योग्यताएँ धारण करता हो, जैसा विहित किया जाये:

परन्तु कोई भी कमीशन एजेंट एक बार में एक से अधिक समितियों का मतदाता नहीं होगा:

परन्तु यह और कि वह इस अध्यादेश अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अंतर्गत तत्समय चुने जाने के लिए अन्यथा निरर्हित न हो।

(ड.) मंडी समिति से लाईसेंस प्राप्त भारत्तोलकों, हमालों और अन्य मंडी कृत्यकारियों में से निर्वाचित भारत्तोलकों, हमालों और अन्य मंडी कृत्यकारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी योग्यताएँ धारण करता हो जैसा विहित किया जाये:

परन्तु कोई भी भारोत्तोलक, हमाल और अन्य मंडी कृत्यकारी एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा:

परन्तु यह और कि वह इस अध्यादेश अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत चुने होने के लिए अन्यथा रूप से निरर्हित न हो।

(2) प्रत्येक मंडी समिति में निम्नलिखित अन्य समिति सदस्य होंगे—

(क) निरूपित मंडी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि जोकि ऐसी सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा चुना जाएगा:

परन्तु यदि किसी निरूपित मंडी क्षेत्र में एक से अधिक ऐसी समितियाँ कार्यरत हैं तो ऐसे सदस्य का निर्वाचन ऐसी समितियों की प्रबन्धन समिति के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस खण्ड (क्लॉज) की कोई बात किसी

ऐसी समिति की प्रबन्धन समिति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित हो।

(ख) सरकार के कृषि/बागवानी विभाग का अधिकारी कृषि/बागवानी निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।

(ग) जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित निरूपित मंडी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के एक प्रतिनिधि:

परन्तु जिला मुख्यालय में स्थित मंडी समिति के प्रतिनिधि का नामांकन केवल जिला पंचायत के सदस्यों में से किया जाएगा।

- (3) केवल उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को ही मतदान का अधिकार होगा।
- (4) सरकार मतदाताओं की सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए नियम बना सकेगी।
- (5) प्रत्येक चुनाव और सदस्य का नामांकन कलेक्टर/निदेशक द्वारा "सरकारी राजपत्र में अधिसूचित" किया जाएगा।
- (6) कोई भी व्यक्ति दो कार्यकालों से अधिक तक मंडी समिति का सदस्य नहीं होगा।

निर्वाचन क्षेत्रों के निरूपित क्षेत्र विभाजन सीट का आरक्षण।

- 19.(1) कलेक्टर अधिसूचना के द्वारा अथवा अन्यथा रूप में निरूपित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र से चुने जाने वाले कृषक प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर निर्वाचन क्षेत्रों परन्तु दस से कम नहीं के रूप में विभाजित करेगा।
- (2) मंडी समिति के कृषक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की स्थिति में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सरकार द्वारा यथानिर्धारित सरकारी नीति के अनुसार किया जाएगा।

मतदान करने तथा कृषकों का प्रतिनिधि बनने की योग्यता।

- 20.(1) प्रत्येक व्यक्ति—
 - (क) जिसका नाम ग्राम के भूमि संबंधी अभिलेखों में भू-स्वामी के रूप में अथवा वह राज्य के संबंधित भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार एक जोतदार है।
 - (ख) जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और
 - (ग) जिसका नाम इस अध्यादेश और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है, कृषकों के प्रतिनिधि के चुनाव के समय मतदान करने के योग्य है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में

- मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं है, जब तक कि—
- (क) उसका नाम निरूपित मंडी क्षेत्र की मतदाता सूची में कृषक के रूप में सम्मिलित न हो।
- (ख) वह इस अध्यादेश अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अंतर्गत इस तरह चुने जाने के लिए अन्यथा रूप में निरर्हित न हो।
- (3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मंडी समितियों या निर्वाचन क्षेत्रों जैसा भी मामला हो, हेतु चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा।
- चुनाव का प्रावधान।**
21. इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव नियमों में निर्धारित रीति से किया जाएगा। ऐसे नियमों में मतदाताओं की सूची तैयार करने व उसका रख-रखाव करने, उनकी योग्यता और अयोग्यता, जमा राशियों के भुगतान और उनके जब्तीकरण, सीटों के आरक्षण तथा इनसे संबंधित सभी मामलों के प्रावधान भी हो सकते हैं।
- चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।**
- 22.(1) निदेशक के निर्देशों के अधीन मंडी समिति के मतदाताओं की सूची तैयार करने तथा सभी तरह के चुनाव कराने के संबंध में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार जिला कलेक्टर में निहित होगा।
- (2) सरकार जिला कलेक्टर को इस इस अध्यादेश के अंतर्गत जिला कलेक्टर के रूप में उसे सौंपे गए कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक स्टॉफ और निधि उपलब्ध करायेगी।
- (3) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव से संबंधित समूचा अथवा आकस्मिक खर्च राज्य के समेकित निधि से पूरा किया जाएगा।
- (4) तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सरकार अथवा राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य निकाय मंडी समिति को चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अनुदेश जारी करने के साथ ही कार्यक्रमों का कैलेंडर निरस्त करने अथवा मतदान को स्थगित करने के निर्देश जारी कर सकेगा।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव।**
- 23.(1) प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि उसे इस अध्यादेश अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अयोग्य न ठहराया गया हो, धारा 20 के

अंतर्गत कृषकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में और धारा 18 के अंतर्गत व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और अन्य पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने के लिए योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने के योग्य होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह धारा 20 के अंतर्गत चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो।

- (2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सरकार की नीति, जैसा विहित किया जाये के अनुसार होगा:
- (3) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा:
- (4) यदि कोई निरूपित मंडी क्षेत्र अध्यक्ष और/अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचित नहीं कर पाया गया हो तो उस पद को छह माह के भीतर भरने के लिए नए सिरे से चुनावी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी:

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत अध्यक्ष का चुनाव होने तक चुने हुए उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल।

- 24.(1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण करने के दिन से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंडी समिति के बने रहने तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।
- (2) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो सहकारी विपणन समिति, कृषि/बागवानी विभाग और ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो, के प्रतिनिधि के तौर पर मंडी समिति का एक नामित सदस्य है वह अपने पद की अवधि समाप्त होने अथवा अन्यथा रूप में अथवा विभाग द्वारा पुनः नामित किए जाने, जैसा भी मामला हो, के कारण संबंधित समिति, अथवा ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत की प्रबंध समिति का सदस्य न रहने पर इस प्रकार का सदस्य नहीं रहेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का प्रारंभ।

- 25.(1) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल मंडी समिति के निवर्तमान पदधारियों की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद की तारीख को अथवा समिति की पहली बैठक के आयोजन की तारीख को प्रारंभ होगा।
- (2) जब कृषकों के आधे से अनधिक प्रतिनिधि और मंडी समिति के कुल सदस्यों के आधे से अनधिक सदस्य आम चुनाव के पश्चात् अथवा किसी भी समय सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं तो मैं इस अध्यादेश में किसी भी बात के होते हुए भी मंडी समिति विधिवत रूप से गठित अथवा विधिवत रूप से क्रियाशील हुई मानी जाएगी और मंडी समिति की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कार्यों का निष्पादन करने के लिए ऐसी मंडी समिति सक्षम होगी।

सदस्यों का त्यागपत्र।

26. पदेन सदस्य को छोड़कर मंडी समिति का कोई सदस्य मंडी समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देकर अथवा सूचना भिजवाकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है जो उसकी पावती देगा और ऐसे सदस्य की सीट त्यागपत्र स्वीकृति की तारीख से पंद्रह दिन समाप्त होने पर, जब तक कि ऐसी अवधि में वह सदस्य अध्यक्ष को लिखित में संबोधित अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेता है, रिक्त हो जाएगी।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र तथा उनके पद में रिक्ति।

- 27.(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा क्रमशः कृषि विपणन प्रभारी मंत्री और अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पदों से त्यागपत्र दिया जा सकता है और संबंधित पद ऐसे त्यागपत्र की तारीख से पन्द्रह दिन, यदि उपरोक्त अवधि के कृषि विपणन प्रभारी मंत्री को या अध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में देकर उन्होंने त्यागपत्र वापस न लिया हो, की समाप्ति पर रिक्त हो जाएंगे।
- (2) त्यागपत्र, मृत्यु, पदच्युति के कारण अथवा अन्यथा रूप से अध्यक्ष पद की रिक्ति के दौरान अध्यक्ष का विधिवत रूप से निर्वाचित होने तक उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उसके कार्यों का निर्वहन किया जाएगा और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो ऐसी स्थिति में इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी निदेशक द्वारा कृषि विपणन प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो अध्यक्ष का विधिवत चयन होने तक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। त्यागपत्र, मृत्यु, पदच्युति के कारण अथवा अन्यथा रूप से उपाध्यक्ष पद की रिक्ति

के दौरान उपाध्यक्ष का विधिवत रूप से निर्वाचन होने तक अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग किया जायेगा तथा कार्यो का निर्वहन किया जायेगा।

**अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष के
विरुद्ध
अविश्वास
प्रस्ताव।**

- 28.(1) अध्यक्ष और/अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में लाया जा सकता है, और यदि यह प्रस्ताव समिति के कुल सदस्यों में से बहुमत द्वारा और उपस्थित सदस्यों, जिनकी संख्या दो तिहाई से कम नहीं होगी, द्वारा मत दिए जाने पर पारित हो जाता है तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, अपने पद पर नहीं रहेगा।
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर मंडी समिति की एक बैठक विनिर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी। मंडी समिति का कोई पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं देगा। पदेन सदस्य को लाए गए "अविश्वास प्रस्ताव" पर वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा।
- (3) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बैठक की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे निदेशक द्वारा कृषि विपणन प्रभारी मंत्री के परामर्श से इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाये। तथापि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को बैठक की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा रूप में भाग लेने का अधिकार होगा।
- (4) यदि उपर्युक्त अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर मतैक्य नहीं होता है या अपेक्षित न्यूनतम संख्या (कोरम) की कमी के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी हो तो उसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के संबंध में विश्वास मत प्रकट करने के लिए बाद के ऐसे किसी प्रस्ताव का नोटिस ऐसी निर्धारित की गई बैठक की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने तक नहीं लाया जा सकेगा।

**अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष का
अनुपस्थिति का
अवकाश तथा
अवकाश के
बिना अनुपस्थित
के परिणाम।**

- 29.(1) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, प्रत्येक अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न तौर पर कार्य कर रहा प्रत्येक उपाध्यक्ष यदि कृषि विपणन प्रभारी मंत्री से अनुमति लिए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेगा तो वह, जिस तारीख को ऐसी तृतीय बैठक हुई हो, उस तारीख से अध्यक्ष नहीं रहेगा।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष की

अनुमति लिए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेगा तो वह जिस तारीख को ऐसी तृतीय बैठक हुई हो उस तारीख से उपाध्यक्ष नहीं रहेगा।

- (3) उपधारा (1) अथवा (2) के अंतर्गत अवकाश मंडी समिति की छह लगातार बैठकों के लिए मंजूर नहीं किया जायेगा, जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा अवकाश यथानिर्धारित अत्यधिक तात्कालिक आवश्यकता की परिस्थितियों में मंजूर किया गया हो तो मंडी समिति द्वारा मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे पात्र सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, जैसा विहित किया जाये।

नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इंकार करना।

- 30.(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, का निर्वाचन होने पर निवर्तमान अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा तत्काल अपने पद का कार्यभार अगले उत्तराधिकारी को सौंपा जाएगा।

- (2) यदि निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत अपने पद का कार्यभार नहीं सौंपा जाता है या वह कार्यभार सौंपने से इंकार करता है तो निदेशक द्वारा अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कृषि विपणन प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन से तथा लिखित रूप में आदेश जारी करके निवर्तमान अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को तत्काल अपने पद का कार्यभार, मंडी के सभी रिकार्डों, निधियों, और सम्पत्तियों यदि कोई उसके पास हैं, सौंपने का निर्देश दिया जा सकता है।

- (3) यदि निवर्तमान अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जिसे उपधारा (2) के अंतर्गत निर्देश जारी किया गया है, ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं करता है तो निदेशक या इस निमित्त में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास वही शक्तियाँ होंगी, जो किसी डिफ़ी को निष्पादित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालय में निहित की गई है।

कतिपय परिस्थितियों में मंडी समिति के रिकार्ड और सम्पत्ति को जब्त करना

- 31.(1) जहाँ निदेशक/प्रबन्ध निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि मंडी समिति की बहियों और अभिलेखों को छिपाया या उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या उन्हें नष्ट किया जा सकता है या मंडी समिति की निधियों और सम्पत्तियों का दुर्विनियोजन या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है तो निदेशक/प्रबन्ध निदेशक मंडी समिति के रिकार्ड और संपत्ति को जब्त करने और उसे

तथा उसे
अधिकार में
लेना।

अधिकार में लेने का आदेश दे सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी, जोकि स्थानीय क्षेत्र के उपनिरीक्षक से अन्यून रैंक का नहीं होगा ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, जहाँ पर रिकार्ड और सम्पत्ति रखी गई है या उसके रखे होने की संभावना लगती है और उसे जब्त करेगा और उसका कब्जा निदेशक/प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को सौंप देगा।

एम एन आई
मंडी की समिति
की स्थापना
और गठन।

- 32.(1) धारा 14 (1) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य में स्थित ऐसे मंडी प्रांगणों के लिए जिन्हें "राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण" माना जाता है, इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक पृथक मंडी समिति का गठन कर सकेगी।
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन सहित मंडी समिति के लिए और उसके संबंध में किए गए प्रावधान " राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण" के लिए गठित की गई मंडी समिति पर यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (3) धारा 18 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण की मंडी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
- (i) अध्यक्ष 1
- (ii) उपाध्यक्ष1
- (iii) कृषक 10 इनमें दो अन्य राज्यों, जहाँ से राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगणों में आवक प्राप्त होती है, के एक-एक कृषक को मिलाकर 2 कृषक भी सम्मिलित होंगे। (जिस राज्य में एम एन आई स्थित है, वहाँ की सरकार से ऐसे नामांकन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा)।
- (iv) एकल एकीकृत लाइसेंस धारण करने वाले व्यापारी, निरूपित मंडी क्षेत्र का निवासी, तथा ऐसी योग्यताएं रखने वाला, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, एम एन आई के ऐसे निरूपित मंडी क्षेत्र के लाइसेंसधारी व्यापारियों में से चुना हुआ व्यापारी.....1
- (v) सरकार द्वारा नामित अन्तर राज्य व्यापार लाइसेंसधारी व्यापारी जैसा विहित किया जाये..... 1

- (vi) सदस्यों के रूप में लाइसेंसधारी कमीशन एजेंटों का प्रतिनिधि जैसा विहित किया जाये 1
- (vii) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार या उसका नाम निर्देशती जो अवर सचिव, भारत सरकार से अन्यून रैंक का नहीं होगा.....1
- (viii) क्षेत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त अथवा उसका नाम निर्देशती.....1
- (ix) मुख्य नगर योजनाकार अथवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी अथवा उसका नाम निर्देशती..... 1
- (x) निदेशक या उसका नाम निर्देशती (पदेन अधिकारी) जो अपर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का न हो 1
- (xi) प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पदेन अधिकारी) या उसका नाम निर्देशती जो अपर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का न हो 1
- (xii) कार्यकारी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो एम एन आई की मंडी समिति के सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

एम एन आई
मंडी समिति के
सचिव की
नियुक्ति और
उसके कार्य।

33. मंडी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा राज्य के न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा किए हुए सिविल सेवा अधिकारियों में से अथवा इस प्रकार बनाए प्रोफेशनलों के पैनल से अथवा कृषि विपणन के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाएगी।

एम एन आई
की कार्यकारी
समिति।

- 34.(1) एम एन आई की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
- (i) एम एन आई का अध्यक्ष 1
- (ii) एम एन आई का एकल एकीकृत लाइसेंसधारी व्यापारी 1
- (iii) निदेशक या उसका नाम निर्देशती (पदेन) जो अपर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का न हो 1
- (iv) प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पदेन) या उसका नाम निर्देशती जो अपर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का ना हो1
- (v) एम एन आई की मंडी समिति का कार्यकारी सदस्य जो

कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव होगा 1

- (2) आपात स्थिति में कार्यकारी समिति ऐसे मामलों में निर्णय ले सकती है जिनके संबंध में मंडी समिति का अनुमोदन अपेक्षित होता है, लेकिन ऐसे निर्णयों पर मंडी समिति का अनुमोदन लिए गए निर्णय की तारीख से 45 दिन के भीतर प्राप्त करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर या मंडी समिति द्वारा ऐसे निर्णयों को नामंजूर कर दिए जाने की स्थिति में ऐसे निर्णय अकृत एवं शून्य होंगे, यद्यपि इस तरह की कोई भी अस्वीकृति पूर्व में किये गये किसी भी निर्णय के अंतर्गत पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी:
- परन्तु यदि मंडी समिति द्वारा ऐसे निर्णय में कोई संशोधन किया जाता है तो ऐसा निर्णय केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को यह संशोधन किया गया है।
- (3) कार्यकारी समिति की जितनी बार आवश्यक हो बैठक की जाएगी, लेकिन यह बैठक एक कैलेंडर माह में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी।

**एम एन आई
की कार्यकारी
समिति के
सदस्यों की
कार्यावधि।**

35. कार्यकारी समिति के सदस्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

**इस अध्यादेश
के अन्य
प्रावधानों का
राष्ट्रीय महत्व
के बाजार प्रांगण
पर भी लागू
होना।**

36. इस अध्यादेश के अन्य सभी प्रावधान जो राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगण के लिए विनिर्दिष्ट नहीं है, वे इस अध्यादेश की धारा 9 के अंतर्गत स्थापित तथा अधिसूचित एम एन आई पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय-IV

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और मंडी समिति के कार्यों का संचालन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

- अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य।** 37.(1) इस अध्यादेश के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडी समिति का अध्यक्ष ही मंडी समिति का मुख्य नियंत्रक और पर्यवेक्षक अधिकारी होगा।
- (2) **अध्यक्ष -**
 (क) मंडी समिति और उपसमितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों के कार्यों का संचालन करेगा;
 (ख) वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखेगा, और
 (ग) आपात स्थिति में ऐसे किसी कार्य के निष्पादन को अथवा किसी कार्य को करने, जिसके लिए मंडी समिति की मंजूरी आवश्यक होती है, से रोकने के निर्देश जारी करेगा।
- उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य** 38.(1) **मंडी समिति का उपाध्यक्ष-**
 (क) इस अध्यादेश अथवा नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मंडी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा; और
 (ख) अध्यक्ष का चुनाव होने तक या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- मंडी समिति की बैठक इत्यादि** 39. मंडी समिति द्वारा अपने कार्य संचालन के लिए प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक उस तारीख और समय पर जिसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा पर आयोजित की जाएगी:
 परन्तु मंडी समिति विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय और निरूपित मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, बैठक कर सकेगी।
- बैठक में न्यूनतम उपस्थिति संख्या (कोरम) और उसकी प्रक्रिया।** 40. समिति की बैठक के कार्य संचालन के लिए मंडी समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों को कोरम माना जाएगा। बैठक में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।
- मंडी समिति की शक्तियाँ और** 41.(1) इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन मंडी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:

कर्तव्य ।

- (i) इस अध्यादेश और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपविधियों के प्रावधानों को मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों में अनुपालन कराना ।
- (ii) अधिसूचित कृषि उपज तथा इसके अंतर्गत सम्मिलित पशुधन के विपणन के लिए ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसा कि प्रबंध निदेशक या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाए ।
- (iii) मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों) और मंडी उपप्रांगण (उपप्रांगणों) के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के संबंध में या अधिसूचित कृषि उपज तथा इसमें सम्मिलित पशुधन के विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए और उपर्युक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य कार्य करना, जैसा कि अपेक्षित हो और उस प्रयोजनार्थ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कार्यों का निर्वहन करना जैसा कि इस अध्यादेश द्वारा या इसके अंतर्गत उपबन्ध किया गया है ।
- (iv) मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों में मूल्य प्रणाली तथा वहाँ होने वाले लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य सभी तरह के कार्य करना ।
- (2) पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना मंडी समिति—
- (i) निरूपित मंडी क्षेत्र के भीतर स्थित मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों का रखरखाव और प्रबंधन करेगी ।
- (ii) निरूपित मंडी क्षेत्र में मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों के भीतर अधिसूचित कृषि उपज तथा पशुधन के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी,
- (iii) व्यापारियों को छोड़कर, मंडी पदाधिकारियों को लाइसेंस देगी उनका नवीनीकरण करेगी अथवा ऐसा करने से इंकार कर सकेगी ।
- (iv) व्यापारियों को छोड़कर, मंडी पदाधिकारियों को दिए गए/नवीकृत किए गए लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त करेगी और मंडी पदाधिकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी तथा लाइसेंस की शर्तें लागू कराना ।
- (v) अधिसूचित कृषि उपज तथा इसमें सम्मिलित पशुधन की ई-नीलामी सहित इस अध्यादेश अथवा उपविधि के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार नीलामी का विनियमन अथवा पर्यवेक्षण करेगी ।

(vi) विक्रय, तुलाई, डिलीवरी और भुगतान से संबंधित करारों के निर्माण, प्रवर्तन और निरस्तीकरण के साथ-साथ अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन संबंधी अन्य सभी मामलों को निर्धारित रीति से विनियमित करना।

(vii) अधिसूचित कृषि उपज तथा पशुधन के विपणन से संबंधित ऑन लाईन सहित अन्य किसी प्रकार के लेन-देन से विक्रेता और क्रेता के मध्य उपजे सभी तरह के विवादों और इसी तरह के अन्य मामलों के समझौता की व्यवस्था करना,

(viii) अपने निरूपित मंडी क्षेत्र में विस्तार गतिविधियों, अर्थात् अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य तथा आवागमन के संबंध में सूचना एकत्र करने, उसका रख-रखाव करने तथा प्रसार आदि कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना;

(ix) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर होने वाले क्रय और विक्रय को रोकने के लिए कदम उठाना;

(x) दर, प्रभार, मूल्य और अन्य धनराशि की वसूली उसी हिसाब से की जाएगी, जिसके लिए मंडी समिति हकदार है;

(xi) इस अध्यादेश के प्रावधानों, नियमों और यथानिर्धारित उपविधियों के कुशल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(xii) इस अध्यादेश, नियमों और उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन व ऐसे अपराधों का प्रशमन करना;

(xiii) अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के प्रयोजन से भूमि का अधिग्रहण करेगी और किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का निस्तारण करना;

(xiv) इस अध्यादेश, नियमों अथवा उपविधियों के प्रावधानों अथवा इस अध्यादेश, नियमों अथवा उपविधियों के अन्तर्गत मंडी समिति द्वारा उसके अध्यक्ष अथवा इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर शास्तियाँ लगाना;

(xv) किसी वाद, अभियोजन, कार्य, कार्यवाही, आवेदन अथवा विवाचन को संस्थापित अथवा उसका बचाव करना और ऐसे

वाद, कार्रवाई, आवेदन अथवा विवाचन में समझौता करना;

(xvi) मंडी समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों उपदान, छुट्टी भत्ते, भविष्य निधि के अंशदान से संबंधित मामलों को निर्धारित विधि अनुसार नियंत्रण करना;

(xvii) धारा 82 में उल्लिखित मंडी समिति की निधि को प्रशासित करेगी तथा उससे संबंधित लेखों का निर्धारित रीति अनुसार रख-रखाव करना;

(xviii) विनियमन के लाभों, लेन-देन की प्रणाली, प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण आदि में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ऐसे साधनों, जैसे कि पोस्टर, पम्पलेट्स, होर्डिंग्स, सिनेमा स्लाइड, फिल्म शोज, गुप मीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आदि अथवा अन्य किसी साधन जो प्रभावी अथवा आवश्यक समझा जाय के द्वारा प्रचार करना; और

(xix) प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण और मंडी उपप्रांगण अथवा ई-प्लेटफार्म में होने वाले लेन-देन के संबंध में विक्रेता को भुगतान उसी दिन या अधिक-से-अधिक अगले दिन तक यदि प्रक्रियागत रूप से ऐसा करना अपेक्षित है तो कराना सुनिश्चित करना। उपर्युक्त अनुसार भुगतान करने में चूक होने पर धारा 65 (2) के उपबंध लागू होंगे इस खंड में यथा उपबन्धित के सिवाय ई-व्यापार के मामले में विक्रेता को भुगतान करने की प्रक्रिया धारा 59 (2) के अनुसार यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित होगी।

(3) पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना मंडी समिति:-

(i) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की मिलावट, यदि कोई हो, को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाना;

(ii) कृषि मंडियों के प्रबन्धन में सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित कर सकती है और उसे बढ़ावा देना;

(iii) उचित डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को किसानों अथवा उनके समूहों के साथ जोड़ने को बढ़ावा देना;

(iv) मंडी समिति में निहित मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों) और मंडी उपप्रांगण (प्रांगणों) में व्यक्तियों और वाहनों, ट्रैफिक के प्रवेश को विनियमित करना;

(v) मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण तथा मंडी में प्रयोग में लाये जा रहे तराजू, बाट और मापन उपकरणों की जांच करने के

साथ-साथ मंडी पदाधिकारियों द्वारा रखी जा रही लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों की इस ढंग से जाँच व सत्यापन करना, जैसा कि निर्धारित किया गया है;

(vi) मुख्य मंडी प्रांगणों, उप मंडी प्रांगण (प्रांगणों) और मंडी उप प्रांगण (प्रांगणों) में लाए जाने वाले अथवा बिक्री किये जाने वाले प्राणियों, पशुओं और पक्षियों आदि के संबंध में पशु चिकित्सक से फिटनेस (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

(vii) यदि केता/विक्रेता, जैसा भी मामला हो, द्वारा ढुलाई करने वालों और हमालों (लोडर्स/अनलोडर्स) को भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके संबंध में प्रभार वसूल करना और उन्हें वितरित करना;

(viii) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य और उनके आवागमन के बारे में सूचना एकत्र करना और उसका रखरखाव करना और निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/सरकार के निर्देशानुसार ऐसी सूचना का प्रसार करना ; और

(ix) इस ढंग से युक्तियुक्त कार्य करना कि व्यापारी वर्ग कृषि उपज की जमाखोरी न कर सके और मंडी पदाधिकारी कृषक-विक्रेताओं के हित को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई गठबंधन न कर सकें।

(4) निदेशक/प्रबन्धक निदेशक की पूर्व स्वीकृति से मंडी समिति निम्नलिखित कार्य कर सकेगी:-

(i) कृषि उपज तथा पशुधन के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक/कनेक्टिंग सड़क को दूसरी गोदामों और प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों) मंडी उपप्रांगण (प्रांगणों) तथा पूर्व निर्धारित मंडी क्षेत्रों में अन्य आधारभूत अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण तथा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड अथवा किसी अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम को अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अनुदान या अग्रिम निधि देना।

(ii) विक्रय के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत बीजों, कृषि उपकरणों इनपुट के भण्डारण का रख-रखाव तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कराना, और

(iii) कृषकों के लिए कृषि उपज का स्टॉक रखने के लिए किराए पर भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(5) ई-व्यापार को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए

- मंडी समिति विनियामक तंत्र स्थापित कर सकेगी, अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करना और इसके लिए अन्य गतिविधियाँ चलाकर और आवश्यक कदम उठाना।
- (6) मंडी समिति जांच प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती हैं या वह तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) को जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की अनुमति दे सकती है, और इस तरह जांच, ग्रेडिंग और उनसे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, जैसा विहित किया जाये, एक समिति का गठन कर सकती है।
- उप-समिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। 42. ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाये, मंडी समिति द्वारा अपने किसी कर्तव्य अथवा कार्य जिसे सौंपना वह उचित समझती हो, के निष्पादन के लिए एक या एक से अधिक उपसमितियों की नियुक्ति की जा सकती है जिनमें समिति के ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जिन्हें सम्मिलित करना समिति उचित समझती हो।
- उधार लेने की शक्ति। 43.(1) मंडी समिति निदेशक/प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति से ऐसे प्रयोजनों को, जिसके लिए वह स्थापित की गई है, पूरा करने के लिए उसमें निहित किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर और इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसके द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क/यूजर प्रभार की प्रभूति पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धनराशि ले सकती है अथवा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित कार्यों को पूरा करने के लिए डिबेंचर जारी कर सकती है।
- (2) मंडी समिति, मण्डी की स्थापना के लिए भूमि, भवन, स्टाफ व्यवस्था तथा अपेक्षित उपकरणों की खरीद पर होने वाले प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के प्रयोजन से सरकार अथवा राज्य के कृषि विपणन बोर्ड अथवा अन्य वित्तीय संस्था से ऋण ले सकती है।
- (3) जिन शर्तों पर उपधारा (2) के अन्तर्गत धनराशि या ऋण लिया जाएगा और जितने समय के भीतर वह ऋण वापस करना होगा, वे शर्तें सरकार अथवा निदेशक या प्रबन्ध निदेशक को पूर्व स्वीकृति के अधीन होंगी।
- अपराधों का शमन। 44.(1) मंडी समिति किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो अथवा उसके बारे में युक्तियुक्त संदेह हो कि उसने ऐसा अपराध किया है (इस अध्यादेश की धारा 64 अथवा ऐसे अपराध का शमन करने के लिये उसके अन्तर्गत बनाये गये उपविधियों के उल्लंघन को छोड़कर), उससे निम्नलिखित

स्थितियों में अपराध शमन करने का अनुरोध स्वीकार कर सकती है।

(क) जहाँ किसी अपराध में कोई शुल्क/यूजर प्रभार या इस तरह की वसूलनीय अन्य धनराशि जो शुल्क की राशि या अन्य राशि से कम न हो अथवा शुल्क की राशि से पांच गुना से अधिक न हो अथवा अधिकतम 10 हजार रुपये तक की राशि के अतिरिक्त किसी शुल्क/यूजर प्रभार अथवा इस अध्यादेश या नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली अन्य राशि का भुगतान न किया गया हो अथवा उसकी अपवंचना की गयी हो।

(ख) अन्य मामलों में 10 हजार रुपये से अनधिक धनराशि।

- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी अपराध का शमन किये जाने पर इस तरह के अपराध के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध ना तो कोई कार्यवाही की जायेगी ना ही जारी रखी जायेगी और उस अपराध के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में पहले ही प्रारम्भ हो चुकी हो तो ऐसे शमन उसकी दोषमुक्ति माना जायेगा।

अवसूलनीय शुल्क आदि को बट्टे खाते डालने की शक्ति।

45. मंडी समिति, उसको देय किसी तरह के शुल्क/यूजर प्रभार अथवा राशि, चाहे वह किसी संविदा के अन्तर्गत हो या अन्यथा रूप में हो या ऐसी कोई राशि, जो उसके विचार में वसूल नहीं की जा सकती, को बट्टे खाते में डाल सकती है:

परन्तु यदि शुल्क अथवा राशि 25 हजार रुपये से अधिक है तो मंडी समिति ऐसे शुल्क/यूजर प्रभार को बट्टे खाते में डालने से पूर्व, प्रबन्ध निदेशक की अनुमति लेगी।

मंडी प्रांगण से अतिक्रमण हटाने की शक्ति।

46. सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त मंडी समिति के किसी अधिकारी अथवा सेवक को प्रमुख मंडी प्रांगण और उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों) में किसी स्थान पर हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए होने वाला खर्च उस व्यक्ति द्वारा अदा किया जायेगा जिसने यह अतिक्रमण किया है और उस खर्च की वसूली भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।

भारोत्तोलन उपकरणों, बाट और मापन उपकरणों का उपयोग और उनका निरीक्षण

- 47.(1) कृषि उपज तथा पशुधन सहित कृषि उपज को तोलने या मापने के लिए राज्य भार और मापन अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा विनिर्धारित ऐसे भार व मापन उपकरणों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले केवल इलेक्ट्रॉनिक भारोत्तोलन उपकरणों का उपयोग प्रमुख मंडी प्रांगण (प्रांगणों)

उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों), मंडी उपप्रांगणों, निजी मंडी प्रांगणों और कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगणों में किया जाएगा:

परन्तु पशुधन समेत कृषि उपज की बिक्री व खरीद, जैसा भी मामला हो, के लेन-देन के मामलों में अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक भारोत्तोलन उपकरण का प्रयोग किया जाएगा।

- (2) समिति द्वारा इस धारा के अन्तर्गत रखे गये भारोत्तोलन उपकरण, बाटों एवं मापों को निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षित, जांचा और चेक किया जा सकता है।
- संविदा करने का ढंग 48.(1) अचल सम्पत्ति की खरीद, बिक्री, पट्टा, बन्धक अथवा अन्य अन्तरण अथवा अचल सम्पत्ति के लिए ब्याज प्राप्ति के प्रयोजनार्थ की गई संविदा अथवा किसी करार का निष्पादन मंडी समिति की ओर से उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा मंडी समिति की अनुमति से, जैसा विहित किया जाये, संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट निष्पादित संविदा को छोड़कर कोई भी अन्य संविदा मान्य नहीं होगी और मंडी समिति पर बाध्यकारी नहीं होगी।
- मंडी समिति आदि की किसी कार्रवाई को अमान्य न होना। 49. मंडी समिति अथवा उसकी किसी उपसमिति या सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी अथवा सचिव के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, की किसी भी कार्रवाई को, ऐसी समिति, उपसमिति, के गठन, सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी अथवा सचिव की नियुक्ति में किसी त्रुटि के आधार पर अथवा इस आधार पर कि वे अथवा उनमें से किसी व्यक्ति को ऐसे पद के अयोग्य ठहराया गया था अथवा यह कि समिति या उपसमिति की बैठक आयोजित करने के लिए विधिवत रूप से कोई नोटिस नहीं दिया गया अथवा किसी ऐसे कारण से जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सचिव या ऐसी समिति या उपसमिति के सदस्य के पद की रिक्ति की अवधि के दौरान कोई कार्य किया गया हो अथवा किसी अन्य अनौपचारिकता जिसके कारण मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव न पड़ा हो, के आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा।

अध्याय-V

मंडी समिति का स्टाफ

मंडी समिति का सचिव।

50. प्रत्येक मंडी समिति का एक सचिव होगा जो मंडी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो मुख्य मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगणों और उसके अन्तर्गत उपमंडी प्रांगणों का प्रशासन करेगा और वह मुख्य मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों और निरूपति मंडी क्षेत्रों में कार्यरत उप प्रांगणों के सभी अभिलेखों (रिकार्ड्स) और सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा।

परन्तु यह कि सचिव को कृषि/बागवानी, कृषि आर्थिकी/विपणन/कृषि व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए और उसने न्यूनतम तीन माह का सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया हो अथवा ऐसी भर्ती के बाद ऐसा प्रशिक्षण लिया हो:

परन्तु यह और कि निदेशक/प्रबन्धक निदेशक मंडी समिति के सचिव के पद पर नियुक्त करने के लिए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार प्रोफेशनलों का एक पैनल रख सकते हैं जिसमें ओपन मार्केट के प्रोफेशनल भी सम्मिलित हो सकते हैं। निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पास सरकार/बोर्ड की सेवाओं से और प्रतिनियुक्ति आधार पर भी सचिव की नियुक्ति करने की शक्तियां होंगी और ऐसी नियुक्तियां मंडी समिति पर बाध्यकारी होंगी।

सचिव की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य।

51. सचिव ऐसे अन्य कर्तव्य, जो इस अध्यादेश नियमों, उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए गए हों, के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य और कर्तव्य निष्पादित करेगा, अर्थात:-

(i) मंडी समिति और उपसमितियों, यदि कोई हो, की बैठकों बुलाना और इन बैठकों के कार्यवृत्तों का रखरखाव करना।

(ii) मंडी समिति और प्रत्येक उपसमिति की बैठकों में उपस्थित होना और चर्चाओं में भाग लेना, लेकिन वह ऐसी बैठकों में कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा अथवा वोट नहीं देगा।

(iii) समिति और उपसमितियों के संकल्प को लागू करने के लिए कार्रवाई करना तथा ऐसे संकल्प के अनुसरण में की गयी समूची कार्रवाई के बारे में यथाशीघ्र मंडी समिति को सूचित करना।

(iv) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(v) मंडी समिति को समय-समय पर अपेक्षित अनुसार निम्नलिखित के संबंध में रिटर्नर्स, विवरण, अनुमान, आँकड़े और मंडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(क) स्टाफ के सदस्यों और मंडी पदाधिकारियों व अन्य के

खिलाफ किसी अनुशासनिक कार्यवाही होने पर जुर्माना और शास्तियां वसूल करना;

(ख) किसी व्यापारी द्वारा ओवर-ट्रेडिंग;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यादेश, नियमों, उपविधियों तथा स्थायी आदेशों का उल्लंघन करना;

(घ) अध्यक्ष अथवा निदेशक द्वारा लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करना; और

(ङ) मंडी समिति का प्रशासन एवं प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण (प्रांगणों), मंडी उपप्रांगण (प्रांगणों) में विपणन का विनियमन करना।

(vi) मंडी समिति के समक्ष ऐसे कागजात, किताबें व रजिस्टर प्रस्तुत करना जो मंडी समिति या उप मंडी समिति के व्यापारिक लेनदेनों के लिए आवश्यक हों तथा जब भी मंडी समिति ऐसा करने के लिए कहेगी तब-तब इन्हें प्रस्तुत करना।

(vii) मंडी समिति के सभी अधिकारियों व सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण व नियन्त्रण करना।

(viii) मंडी समिति द्वारा वसूले जाने वाले व देय सभी प्रकार के फीस/शुल्कों को एकत्रित करना।

(ix) मंडी समिति द्वारा या उसके नाम पर जमा अथवा प्राप्त समस्त धन के लिए उत्तरदायी होना।

(x) मंडी समिति द्वारा कानूनन रूप से देय धन का वितरण करना।

(xi) मंडी समिति के कोष एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही धोखे, गबन, चोरी या हानि के बारे में अध्यक्ष और निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को यथाशीघ्र सूचित करना।

(xii) मंडी समिति की ओर से आरम्भ किये गये अभियोजन के संबंध में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता देना और मंडी समिति की ओर से सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई करना।

लेखाकार
नियुक्ति।

की 52.

निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियमों/उपविधियों में यथा निर्धारित योग्यता वाले किसी व्यक्ति को लेखाकार नियुक्त किया जा सकता है जो मंडी समिति की लेखाबहियों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा और सचिव को उसके

कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में मदद करेगा और ऐसे कार्यों को करेगा जो मंडी समिति या सचिव द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाए।

मंडी समिति द्वारा
स्टाफ की नियुक्ति।

- 53.(1) प्रत्येक मंडी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जो इसके कर्त्तव्यों का उचित और कुशल रीति से निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो; परन्तु कोई भी पद निदेशक/प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।
- (2) इस अध्यादेश/नियमों के प्रावधानों के अधीन मंडी समिति उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति, वेतन, अवकाश भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि में अंशदान तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने तथा उन्हें शक्तियां, कर्त्तव्य और कार्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपविधि बना सकती है।
- (3) इस अध्यादेश अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक/प्रबन्ध निदेशक उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन राजस्व डिवीजन मंडी के लिए विनिर्धारित अधिकतम वेतनमान वाले किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकता है और निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आदेश पारित करने से पूर्व मंडी समिति या अधिकारी या संबंधित सेवक से इस संबंध में परामर्श करे।
- (4) उप धारा (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित संबंधित अधिकारी या सेवक
- (क) अपनी पैतृक मंडी समिति में धारित पद पर धारणाधिकार होगा;
- (ख) वेतन और भत्तों के संबंध में उसे किसी ऐसे अलाभकारी पद पर नहीं भेजा जाएगा जिन भत्तों का वह उस समय हकदार होता यदि वह अपनी पैतृक मंडी समिति में कार्य कर रहा होता;
- (ग) वह प्रतिनियुक्ति भत्ता उस दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो निदेशक/प्रबन्ध निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्धारित करे; और
- (घ) वह अनुशासनिक नियन्त्रण सहित ऐसी निबन्धन और

शर्तों द्वारा अधिशासित होगा जो निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा सामान्य रूप से या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय—VI

ई—व्यापार

- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना / संवर्धन**
- 54.(1) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।
- (2) किन्तु, उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार अथवा इसकी एजेन्सियां अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में ई—ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित कर सकती हैं अथवा उनका प्रचालन कर सकती हैं, जैसा विहित किया जाये।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने/नवीनीकरण के लिए लाइसेंस देना।**
- 55.(1) धारा 54 (1) के अन्तर्गत ई—व्यापार प्लेटफार्म स्थापित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारूप में और रीति से तथा ऐसे शुल्क और प्रतिभूति/बैंक गारंटी के साथ-साथ निर्धारित शर्तों को पूरा करके जैसा विहित किया जाए आवेदन कर सकता है;
- (2) लाइसेंस मंजूर करने अथवा उसका नवीनीकरण कराने के लिए उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन को लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए कारणों के आधार पर स्वीकृत या निरस्त किया जा सकता है।
- परन्तु इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन को धारा 73 के अन्तर्गत निजी मंडी प्रांगण के लिए निर्धारित शर्त (शर्तों) में आवश्यकतानुसार परिवर्तित शर्तों के आधार पर निरस्त किया जा सकेगा।
- (3) किसी व्यक्ति अथवा सरकार अथवा उसकी एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रबन्धित और संचालित ई—व्यापार प्लेटफार्म में यथा विनिर्धारित ई—व्यापार से संबंधित सभी तरह की अवसंरचनाएं और सेवायें उपलब्ध करवायेगा।
- (4) लाइसेंसधारी द्वारा या उसके प्रबन्ध समिति द्वारा ई—व्यापार प्लेटफार्म पर पशुधन समेत अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री से संबंधित लेनदेन पर यूजर प्रभार वसूल किया जा सकता है:

परन्तु कृषक—विक्रेता से कोई यूजर प्रभार नहीं लिया

जाएगा:

परन्तु यह और कि सरकार द्वारा जनहित में अधिसूचना जारी करके समय-समय पर यूजर प्रभार वसूल करने की दर की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

- (5) ई-व्यापार प्लेटफार्म लाइसेंसधारी ऐसे यूजर प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि में से कृषि उपज एवं पशुधन विपणन समिति (एपीएमएलसी) के समान प्रतिशत की दर पर, निदेशक द्वारा अलग से संचालित किए जा रहे रिवॉल्विंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फण्ड में अंशदान देगा। इस फण्ड का उपयोग यथाविनिर्धारित प्रयोजनों के लिए तथा इस अध्यादेश की धारा 10 (5) में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किया जाएगा।
56. मंडी उपप्रांगण के रूप में घोषित किए गए वेयर हाउसों/ साइलोज/शीतग्रहों या अन्य ऐसी संरचनाओं अथवा स्थानों का ई-प्लेटफार्म से एकीकरण करना।
57. मंडी उपप्रांगण के लिए धारा 73 (1) के अंतर्गत लाइसेंसधारी जो भारत सरकार के ई-प्लेटफार्म के साथ जुड़ना चाहता है, वह इसके लिए संबंधित सरकार अथवा इसकी एजेंसियों के माध्यम से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को ऐसे प्रारूप व रीति से आवेदन कर सकता है, जैसा विहित किया जाये।
58. ई-व्यापार पोर्टल के साथ जुड़ने का इच्छुक निजी मंडी प्रांगण का कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों, जैसा विहित किया जाये, के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है।
59. एकीकृत राष्ट्रीय कृषि मंडी तैयार करने और विभिन्न ई-प्लेटफार्मों को एकीकरण करने लिए ई-प्लेटफार्मों में किया गया आवेदन निदेशक या इस निमित्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टियों और मानकों के अनुसार अंतरप्रचालनीय होना चाहिए।
- 59.(1) इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का भुगतान विक्रेता को बिक्री-लेनदेन के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन तक यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा करना अपेक्षित हो, कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार
58. ई-व्यापार प्लेटफार्मों का अंतःप्रचालन।
59. विक्रेताओं को भुगतान और लेखों का रखरखाव।

- के अंतर्गत प्रक्रियात्मक आवश्यकता की स्थिति में यह भुगतान विक्रेता को नियमों और उपविधियों में यथाविनिर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए।
- (2) लाइसेंसधारी अथवा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन समिति (एपीएमएलसी) जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर हुए सभी लेनदेन के लेखों (अकाउंट्स) का रखरखाव किया जाएगा और प्रबंध निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे समय पर और उस रूप में, जैसा कि समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसी आवधिक रिपोर्टें और विवरणियां प्रस्तुत करेगा।
60. निदेशक अभिलिखित किए गए कारणों, जिनमें किसी अधिनियम/नियमों/उपविधियों, अनुदेशों, आदेशों का उल्लंघन किया गया हो, के आधार पर एक सकारण आदेश पारित कर धारा 55 के अंतर्गत दिए गए लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकता है;
परन्तु लाइसेंस को निलम्बित अथवा रद्द करने संबंधी कोई भी आदेश उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
61. ई-व्यापार प्लेटफार्म के लाइसेंसधारियों के मध्य अथवा लाइसेंसधारियों और एपीएमएलसी/राज्य की एजेंसियों के मध्य किसी प्रकार के विवाद का समझौता निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद संक्षिप्त रीति से तीस दिन के भीतर किया जाएगा।
62. ई-प्लेटफार्म पर राज्य के भीतर किसी लेनदेन के संबंध में किसी विवाद के मामले में निस्तारण की कार्रवाई लाइसेंसधारक की प्रबंध समिति अथवा मंडी समिति जैसा भी मामला हो, के स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा या समझौता और मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा सात कार्यदिवसों के भीतर की जाएगी, जबकि शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज के मामले में यह निस्तारण तीन कार्यदिवसों के भीतर किया जाएगा। प्रबंध समिति या मंडी समिति जैसा भी मामला हो, सकारण आदेश जारी करके मामले का निस्तारण करेगी।
63. ई-प्लेटफार्म या किसी अन्य प्लेटफार्म पर अन्तर-राज्य
- इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्म के लाइसेंस का निलंबन अथवा निरस्तीकरण**
- विवाद का समझौता.**
(i) धारा 55 (1) के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों के बीच, और
(ii) लाइसेंसधारी और एपीएमएलसी के बीच राज्य के भीतर व्यापारिक लेन-देन के संबंध में विवाद का समझौता।
- अन्तर-राज्य व्यापारिक**

**लेनदेन से संबंधित
विवाद का निपटान।**

व्यापारिक लेन-देन से पैदा होने वाले विवाद के मामले में सरकार ऐसे प्राधिकरण, जिसे केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के द्वारा मौजूदा कानून अथवा इसके लिए बनाए जाने वाले कानून के अन्तर्गत गठित किया गया हो, का हिस्सा बनने के लिए हस्ताक्षर/स्वीकार कर सकते हैं।

अध्याय-VII

व्यापार का विनियमन

**अधिसूचित कृषि उपज
और पशुधन की बिक्री
संबंधी लेन-देन**

64. (1) पशुधन सहित सभी तरह की अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री सामान्यतः इस अध्यादेश के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त प्रधान मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों में ही की जाएगी, न कि निजी मंडी प्रांगणों अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर;
- परन्तु पशुधन समेत अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री अन्य स्थानों पर लाइसेंसधारी व्यक्ति को विशेषकर इस अध्यादेश के अंतर्गत इस आशय से अनुमति प्राप्त व्यक्ति को भी की जा सकती है।
- (2) कृषि उपज के संबंध में उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई भी बात ऐसे निम्नलिखित बिक्री और खरीद के मामलों में लागू नहीं होगी, जहां—
- (i) यह बिक्री स्वयं उत्पादक द्वारा नियमों में निर्धारित मात्रा तक किसी व्यक्ति को उसकी घरेलू उपभोग को पूरा करने के लिए की गयी हो;
 - (ii) सर पर रखकर बिक्री के लिए लाई गयी हो;
 - (iii) खरीद और बिक्री छोटे व्यापारी द्वारा की गयी हो;
 - (iv) यह खरीद किसी उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकृत डीलर द्वारा "भारतीय खाद्य निगम" स्टेट कमोडिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन से अथवा केन्द्रीय या/और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी या संस्थान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए की गयी हो, और
 - (v) उपज की अग्रिम राशि सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कृषि उपज को किसी सहकारी संस्था को स्थानान्तरित करना हो।
- (3) पशुधन के संबंध में उपधारा (1) में उपदर्शित कोई भी बात उतने मूल्य जैसा कि निर्धारित किया गया हो से अधिक के

पशुधन की खरीद अथवा बिक्री के मामले में लागू नहीं होगी

- (4) प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपमण्डी प्रांगणों, निजी मण्डी प्रांगणों, मण्डी उपप्रांगणों में बिक्री के लिए लाए गए पशुधन और अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य निविदा बोली अथवा ई-निलामी सहित खुली नीलामी द्वारा अथवा किसी अन्य पारदर्शी प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विक्रेता से किसी भी कारण, चाहे जो भी हो, के आधार पर परस्पर सहमत मूल्य से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- (5) इस प्रकार खरीद की गयी सभी तरह की अधिसूचित कृषि उपज तथा पशुधन की तुलाई अथवा पैमाइश अथवा गणना ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी प्रणाली द्वारा की जाएगी जैसा कि उपविधियों में उपदर्शित किया गया हो, अथवा मण्डी समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर की जाएगी।

**क्रय-विक्रय की शर्तें
और प्रक्रिया**

- 65.(1) दो व्यापारियों के बीच होने वाले वाणिज्यिक लेन-देन को छोड़कर यदि कोई भी अन्य व्यक्ति जो प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों में पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज क्रय करेगा तो इसके लिए उसे विक्रेता के पक्ष में ऐसे प्रारूप में जो कि निर्धारित किया गया हो करार तीन प्रतियों में निष्पादित करने होंगे। करार की एक प्रति क्रेता द्वारा अपने पास रखी जाएगी, एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी और शेष तीसरी प्रति मंडी समिति के रिकार्ड में रखी जायेगी।
- (2) (क) प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों, निजी मंडी प्रांगणों, मंडी उपप्रांगणों अथवा ई-प्लेटफार्मों में पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के लेनदेन के मूल्य का भुगतान विक्रेता को उसी दिन किया जाएगा अथवा यदि प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा करना अपेक्षित हो तो अधिक से अधिक अगले दिन तक कर दिया जाएगा। यदि अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारी को की गयी हो तो भी भुगतान कृषक विक्रेता को उसी दिन ही किया जाएगा।
- (ख) यदि क्रेता खंड (क) के अंतर्गत भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पशुधन समेत कृषि उपज के कुल मूल्य का प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त

भुगतान करना होगा जो कि विक्रेता को पांच दिनों के भीतर देय होगा।

(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत ऐसी क्रय के दिन से लेकर पांच दिनों के भीतर विक्रेता को अतिरिक्त भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसका लाइसेंस छठे दिन निरस्त हुआ माना जाएगा और उसे ऐसे निरस्तीकरण की तारीख से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसे कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (3) कमीशन ऐजेंट शीघ्र खराब न होने वाली कृषि उपज के लेन-देन पर अपने मुख्य व्यापारी से अधिकतम 2 प्रतिशत की दर पर अपना कमीशन वसूल करेगा जबकि शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज के मामले में यह कमीशन उपज के लेन-देन पर अधिकतम 4 प्रतिशत होगा, जिसमें उसके द्वारा उपज के भंडारण पर खर्च किया गया पूरा खर्च और उसके द्वारा दी गयी अन्य सेवाओं पर किया गया खर्च भी शामिल होगा:

परन्तु यह कि कृषक विक्रेता से किसी तरह का कमीशन नहीं लिया जाएगा।

मंडी शुल्क का उदग्रहण (एकल बिन्दु पर मंडी शुल्क का उदग्रहण)

- 66.(1) मंडी समिति क्रेता से प्रमुख मंडी प्रांगण अथवा उपमंडी प्रांगणों अथवा मंडी उपप्रांगणों में राज्य के बाहर से अथवा राज्य के भीतर से लाये गए पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में ऐसे क्रेता से उस दर पर जोकि अधिसूचित किया गया हो, मंडी शुल्क का उदग्रहण करेगी लेकिन यह वसूली शीघ्र खराब न होने वाली कृषि उपज के मामले में लेन-देन की गयी उपज पर दो प्रतिशत यथा मूल्य (एडवेलोरम) से अधिक नहीं होगी और शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज और पशुधन के मामले में एक प्रतिशत यथा मूल्य (एडवेलोरम) से अधिक नहीं होगी;

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मंडी शुल्क का उदग्रहण चाहे वह किसी भी नाम से अर्थात् उपकर, यूजर प्रभार, सेवा प्रभार आदि के रूप में हो, किसी प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण, निजी मंडी प्रांगण, राज्य के भीतर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म आदि में दूसरी बार नहीं की जाएगी बशर्ते कि लागू दर पर मंडी

शुल्क का भुगतान किसी प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म में अधिसूचित कृषि उपज पर पहले से ही भुगतान कर दिया गया हो और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उसका प्रमाण दिया गया हो कि राज्य में उपरोक्तानुसार मंडी शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है;

परन्तु यह और कि व्यापारियों के बीच हुए वाणिज्यिक लेन-देन के मामले में मंडी शुल्क का उदग्रहण और भुगतान विक्रेता द्वारा किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यदि क्रेता लाइसेंसधारक नहीं है और विक्रेता एक कृषक है तो ऐसी स्थिति में मंडी शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेन्ट पर होगी, जो क्रेता से मंडी शुल्क उदग्रहण कर मंडी समिति में जमा करेगा।

- (2) मंडी समिति, मंडी प्रांगणों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर उस दर पर, जैसा कि उपविधियों में निर्धारित किया गया हो प्रवेश शुल्क का उदग्रहण कर सकती है:

परन्तु इस प्रकार का शुल्क कृषक विक्रेताओं से उदग्रहण एवं एकत्र नहीं किया जाएगा।

मंडी समिति द्वारा
यूजर प्रभार की
वसूली

- 67.(1) इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी मंडी समिति पशुधन समेत कृषि उपज की मदों के संबंध में व्यापार की अनुमति दे सकती है जो अध्यादेश के अन्तर्गत विनियमन के लिए अधिसूचित नहीं है अथवा वे विनियमन के लिए अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।

- (2) मंडी समिति उपधारा (1) के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट अनुसार व्यापार की अनुमति देने के लिए उपविधियों में निर्धारित अनुसार शीघ्र खराब न होने वाली कृषि उपज के मामले में यथामूल्य (एडवेलोरम) के अधिकतम दो प्रतिशत और शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज तथा पशुधन के मामले में अधिकतम एक प्रतिशत यूजर प्रभार एकत्र कर सकती है।

- (3) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपप्रांगणों और मंडी उपप्रांगणों के बाहर फलों और सब्जियों की बिक्री संबंधी होने वाले लेन-देन पर मंडी समिति न तो कोई विनियमन लागू करेगी तथा न कोई मंडी शुल्क उदग्रहण या एकत्र करेगी।

मंडी शुल्क से छूट
देने की शक्ति

68. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों, यदि कोई हों, जैसा विनिर्धारित किया जाय, के अधीन प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों और ऐसी अधिसूचना में

विनिर्दिष्ट उपमंडी प्रांगणों में बिक्री के लिए लाए गए अथवा खरीदे गए अथवा बेचे गए पशुधन सहित कृषि उपज को, ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, मंडी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है। इस धारा के अन्तर्गत जारी की गयी किसी भी अधिसूचना को उस अवधि, जिस अवधि तक उसे लागू किया गया था, की समाप्ति से पूर्व रद्द किया जा सकता है और इस तरह के निरस्तीकरण पर ऐसी अधिसूचना लागू नहीं होगी।

**व्यापारियों के
अतिरिक्त मंडी
कृत्यकारियों को
लाइसेंस की
मंजूरी/नवीनीकरण**

69. (1) इस अध्यादेश तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन यदि कोई व्यक्ति जो पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में प्रमुख मंडी प्रांगण अथवा उपमंडी प्रांगण अथवा मंडी उपप्रांगण में कमीशन एजेंट, तुलाईकर्ता, मापकर्ता, हमाल (सामान को लोड अपलोड करने वाला) अथवा व्यापारी के सिवा इस प्रकार के दूसरे मंडी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का इच्छुक है तो वह ऐसे प्रारूप में और उस रीति से, जैसा कि विहित किया गया हो, लाइसेंस की मंजूरी के लिए अथवा उसके नवीनीकरण के लिए मंडी समिति को आवेदन करेगा।
- (2) मंडी समिति अथवा उसका अध्यक्ष, यदि मंडी समिति द्वारा ऐसा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो, तो वह उपधारा (1) के अन्तर्गत और ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह उचित समझे, लाइसेंस मंजूर कर सकता है अथवा उसका नवीनीकरण कर सकता है अथवा निम्नलिखित में से किसी एक कारण अथवा उससे अधिक कारणों के आधार पर ऐसा लाइसेंस देने अथवा उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकता है —
- (i) यदि आवेदक अवयस्क है अथवा वास्तविक (सद्भावपूर्ण) नहीं है।
 - (ii) यदि आवेदक अध्यादेश अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत दिवालिया घोषित किया गया हो।
 - (iii) यदि आवेदक को अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो।
 - (iv) यदि आवेदक पर मंडी समिति और/अथवा बोर्ड और/अथवा विभाग/कृषि विपणन निदेशालय की

कोई बकाया राशि हो।

(v) कोई अन्य कारण, जो विहित किए गए हों।

- (3) मंडी समिति अथवा उसका अध्यक्ष यदि उसे उपधारा (2) के अन्तर्गत इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, उस तारीख से जब आवेदन हर तरह से परिपूर्ण होगा, बीस दिनों के भीतर उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण करेगा।

स्पष्टीकरण:—मंडी समिति, आवेदन और उसके साथ संलग्न किए गए कागजातों को, उनकी प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर जांच करने के बाद ऐसी तारीख से, जब आवेदन को हर तरह से परिपूर्ण पाया गया हो, बीस दिनों के भीतर लाइसेंस देगी। उसका नवीनीकरण कर सकती है या लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के पश्चात ऐसा करने से इंकार कर सकती है;

- (4) उपधारा (3) के अन्तर्गत बीस कार्य दिवसों की अवधि की समाप्ति पर यदि आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया हो तो यह माना जाएगा कि लाइसेंस दे दिया गया है अथवा उसका नवीनीकरण कर दिया गया है, जैसा भी मामला हो।
- (5) मंडी समिति अथवा उसका अध्यक्ष, यदि उसे ऐसा प्राधिकृत किया गया हो तो वह दर्ज किए कारणों, जिनमें विशिष्ट रूप से किसी अधिनियम/नियमों/उपविधियों, अनुदेशों, आदेशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो, के आधार पर सकारण आदेश पारित करके इस धारा के अन्तर्गत दिए गए लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकता है:

परन्तु यह कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई भी निरस्तीकरण का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

**एकीकृत एकल
व्यापारित लाइसेंस
देना/नवीनीकरण
करना**

70. (1) राज्य में किसी प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगणों, निजी मंडी प्रांगण एवं उपप्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म अथवा इस प्रयोजनार्थ राज्य में निर्धारित किसी अन्य स्थान पर व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस रीति से और इस रूप में जैसा कि निर्धारित हो, दिया जाने वाला/नवीनीकरण किया जाने वाला लाइसेंस एक एकल लाइसेंस होगा जोकि पूरे राज्य में लागू होगा। मंडी

समिति द्वारा दिए गए मौजूदा व्यापार लाइसेंस को निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम 2020 के प्रारम्भ होने के तारीख से छह माह के भीतर राज्य के लिए सिंगल ट्रेडर लाइसेंस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ऐसा होने तक मंडी समिति द्वारा दिए गए मौजूदा व्यापार लाइसेंसों को राज्य के अन्तर्गत सिंगल ट्रेडर लाइसेंस माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—निजी मंडी लाइसेंसधारी अथवा ऐसा अन्य लाइसेंसधारी अथवा उसकी प्रबन्ध समिति, ऐसे मंडी प्रांगणों में कार्य करने की अनुमति देने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल ट्रेडिंग लाइसेंस के धारक का रजिस्ट्रीकरण कर सकती है।

(2) व्यापारी के रूप में कार्य करने लिए उपधारा (1) के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसका नवीनीकरण कराने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रारूप में उचित शुल्क, जैसा भी निर्दिष्ट किया गया हो, के साथ आवेदन कर सकता है।

(3) इस अध्यादेश के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (2) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर उचित जांच करने के पश्चात निर्दिष्टानुसार अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान/नवीनीकरण कर सकता है:

परन्तु इस अध्यादेश और नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे लाइसेंस देने/नवीनीकरण करने के मामले में अधिवास, खरीद/संग्रह केन्द्रों की अनिवार्य आवश्यकता और न्यूनतम मात्रा की शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस तरह दिए गए अथवा नवीनीकरण किए गए लाइसेंस के अन्तर्गत लाइसेंसधारी किसी भी रूप में व्यापार करने अर्थात् प्राथमिक अथवा द्वितीयक अथवा जो भी व्यापार करना चाहें, बिना किसी भेदभाव के कर सकता है।

(4) इस धारा के अन्तर्गत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस में यूनिकोड होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

धारा 70. के अन्तर्गत
दिए गए /नवीनीकृत
एकीकृत एकल
व्यापारिक लाइसेंस
का निलंबन
/निरस्तीकरण

71. (1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात लाइसेंसधारी को निर्धारित रीति से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद धारा 70 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस को निम्नलिखित कारणों के आधार पर निलम्बित अथवा निरस्त कर सकता है :-

(क) यह कि यह लाइसेंस जानबूझकर दुर्व्यपदेशन अथवा धोखे से प्राप्त किया गया है।

(ख) यह कि यदि लाइसेंसधारी स्वयं या किसी अन्य लाइसेंसधारी के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है और मंडी में अपने सामान्य कार्य से अलग जानबूझकर अधिसूचित कृषि उपज को किसी तरह की मंडी में विपणन करने में बाधा डालता है, उसे निलंबित करता या रोकता है और जिसके परिणाम स्वरूप अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में रूकावट आई हो, या निलंबित अथवा बंद हो गया हो,

(ग) यह कि लाइसेंसधारी इस अध्यादेश अथवा नियमों अथवा उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया हो।

(घ) यह कि लाइसेंसधारी को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी करार दिया गया हो जो इस अध्यादेश अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध हो।

(ङ) यह कि लाइसेंसधारी दिवालिया हो गया हो, अथवा

(च) यह कि लाइसेंसधारी निर्धारित कारणों के आधार पर कोई अयोग्यता धारण करता है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत लाइसेंस निलंबित/रद्द होने के बाद लाइसेंसधारी द्वारा उसे तुरंत निदेशक के कार्यालय में अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास निर्धारित रीति से उस पर अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए जमा करना होगा और इसके लिए उसे ऐसे निलंबन/निरस्तीकरण के लिए पूरे लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस शुल्क के किसी भाग की अथवा किसी तरह की अन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

अन्तर राज्य व्यापार
के लिए धारा 70 के
अन्तर्गत दिए

72. (1) इस अध्यादेश में किसी अन्य बात के होते हुए राज्य किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए यूनीकोड युक्त एकीकृत एकल व्यापारिक लाइसेंस के धारक को अपने भौगोलिक

गए/नवीनीकृत
एकीकृत एकल
व्यापारिक लाइसेंस
को मान्यता प्रदान
करना

क्षेत्राधिकार के भीतर ई-प्लेटफार्म पर अथवा अन्य फार्मेट जिसमें भौतिक भी सम्मिलित है जो प्रचलन में हो, व्यापारी के रूप में, जैसा कि इस अध्यादेश के नियम/उपविधियों में निर्धारित किया गया हो, व्यापार करने की अनुमति दे सकता है।

- (2) ऐसे लाइसेंसधारी को उस राज्य जहां पर व्यापार संबंधी लेन-देन हुआ है, में लागू दरों पर, उस रीति से जैसा कि निर्धारित किया गया हो, मंडी शुल्क और अन्य विपणन प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- (3) इस अध्यादेश/नियमों/उपविधियों के किसी भी प्रावधान अथवा अनुदेशों/आदेशों का उल्लंघन होने की स्थिति के लिए अथवा इस अध्यादेश/नियमों/उपविधियों के प्रावधानों अथवा अनुदेशों या आदेशों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/मंडी समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे लाइसेंसधारी को कतिपय अवधि अथवा सदैव के लिए केवल अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर व्यापार प्रयोजनों के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- कतिपय अवधि के लिए "ब्लैकलिस्ट" पदबंध का अर्थ किसी क्षेत्राधिकार में उतनी अवधि के लिए निलंबित माना जाएगा, जैसा कि उपधारा (3) के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है, जबकि "सदैव" के लिए इसका आशय निरस्तीकरण माना जाएगा, जैसा कि उपधारा (3) में उल्लेख किया गया है।

- (4) संबंधित क्षेत्राधिकार, जहां पर उल्लंघन होता है, के निदेशक/प्रबंध निदेशक/मंडी समिति लाइसेंस जारी करने वाले राज्य के प्राधिकारी को उल्लंघन के प्रकार और उसके स्वरूप तथा प्रमाण सहित ब्यौरा देते हुए उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध आगे उचित कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

निजी मंडी प्रांगण,
कृषक-उपभोक्ता मंडी
प्रांगण और मंडी
उपप्रांगण के लिए
लाइसेंस देना/
नवीनीकरण करना।

73. (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 10 के अन्तर्गत निजी मंडी प्रांगण स्थापित करने का इच्छुक है, अथवा धारा 11 के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता मंडी प्रांगण स्थापित करने का इच्छुक है अथवा धारा 12 के अन्तर्गत ऐसा स्थान जिसे मंडी उपप्रांगण घोषित किया जाना हो, स्थापित करने का इच्छुक है, तो इसके लिए वह लाइसेंस देने अथवा उनके

नवीनीकरण के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारूप में और इस रीति से तथा साथ ही ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है, के लिए आवेदन कर सकता है।

- (2) लाइसेंस देने अथवा उसका नवीनीकरण करने, जैसा भी मामला हो, के लिए निजी मंडी प्रांगण या कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण या धारा 73(1) के अंतर्गत मंडी उपप्रांगण के लिए आवेदन के साथ ऐसा उचित लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी/बैंक गारंटी, जैसा भी विहित किया जाए, जमा करना होगा।
- (3) लाइसेंस देने अथवा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए उपधारा(1) के अंतर्गत प्राप्त हुआ आवेदन उन कारणों, जिन्हें लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किया जाएगा, के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है:

परंतु इस धारा के अंतर्गत प्राप्त हुआ आवेदन निम्नलिखित शर्तों पर निरस्त किया जा सकता है—

- (i) यह कि आवेदक एक अवयस्क है अथवा वास्तविक (सद्भावपूर्ण) नहीं है।
- (ii) यह कि आवेदक को अध्यादेश और नियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए उपविधियों के अंतर्गत दोषी (डिफाल्टर) घोषित किया गया है।
- (iii) यह कि आवेदक के द्वारा मंडी समिति और/अथवा बोर्ड और/अथवा विभाग/कृषि विपणन निदेशालय को कोई बकाया राशि दी जानी है।
- (iv) यह कि संबंधित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास एक निजी मंडी प्रांगण या कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण स्थापित करने के लिए ढांचागत सुविधाएँ, अनुभव या निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है या वह निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है; और/अथवा
- (v) अन्य कोई कारण, जैसा कि विहित किया गया हो।
- (4) इस धारा के अंतर्गत दिया गया या नवीनीकृत लाइसेंस, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि निर्धारित किया गया हो और लाइसेंस धारक निर्धारित किए गए निर्बन्धनों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेंस धारक द्वारा इस अध्यादेश और उसके अंतर्गत

बनाए गए नियमों का भी अनुपालन किया जाएगा।

**धारा 73. के अंतर्गत
दिये गए/नवीनीकृत
लाइसेंस का निलंबन
अथवा निरस्तीकरण।**

- 74.(1) धारा 73 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, उन कारणों के आधार पर, जो लाइसेंसधारक को लिखित रूप में सूचित किए जाएंगे, लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त कर सकेगा, यदि
- (क) लाइसेंस जानबूझकर दुर्व्यपदेशन कर अथवा धोखे से प्राप्त किया गया हो और/अथवा
- (ख) लाइसेंसधारक या उसका कोई प्रतिनिधि या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति उसकी अभिव्यक्त अथवा विवाक्षित अनुमति से लाइसेंस के किन्हीं नियमों, विनियमों और निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करता हो और/अथवा
- (ग) यदि लाइसेंसधारक स्वयं या किसी अन्य लाइसेंसधारक के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है और मंडी क्षेत्र में जानबूझकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में बाधा डालने, निलंबित करने या उसे रोकने के इरादे से अपने सामान्य कार्य को पूरा करने से बचता है, और/अथवा
- (घ) लाइसेंसधारक दिवालिया हो गया हो, और/अथवा
- (ड॰) लाइसेंस धारक किसी तरह की अयोग्यता धारण करने वाला कार्य करता है और/अथवा
- (च) लाइसेंस धारक को इस अध्यादेश के अंतर्गत किसी अपराध को दोषी सिद्ध हो।
- (2) लाइसेंसधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसका लाइसेंस इस धारा के अंतर्गत निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाएगा।
- (3) धारा 74 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी द्वारा धारा 73 के अंतर्गत दिए गए अथवा नवीकरण किए गए लाइसेंस के धारक को सकारण आदेश के द्वारा उसके लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा।

**प्रत्यक्ष विपणन के
लिए लाइसेंस
देना/नवीनीकरण
करना।**

- 75.(1) कृषक सहकारी संस्था, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातक सहित कोई भी व्यक्ति, यदि धारा 13 के अंतर्गत कृषि उपज को प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण, निजी मंडी प्रांगण के बाहर किसानों से कृषि उपज को सीधे रूप में खरीदने का इच्छुक है तो इसके लिए वह लाइसेंस दिए जाने/नवीनीकरण के लिए निदेशक अथवा उसके द्वारा

- प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को, जैसा भी मामला हो ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से और उतनी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्यक्ष विपणन के लिए किए गए आवेदन के साथ ऐसा उचित लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी/बैंक गारंटी, जैसा भी विहित किया जाए, संलग्न की जाएगी।
- (3) लाइसेंस प्राप्ति अथवा उसके नवीनीकरण के लिए धारा 75(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन को धारा 73(3) में दिए गए कारण और आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर स्वीकृत या निरस्त किया जा सकता है।
- (4) इस धारा के अंतर्गत मंजूर किया गया/नवीकरण किया गया प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाए और लाइसेंस धारक ऐसी निबन्धन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेंस धारक को इस अध्यादेश तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी अनुसरण करना होगा।
- प्रत्यक्ष विपणन
लाइसेंस का निलंबन
अथवा निरस्तीकरण** 76. धारा 13 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी, जिसने यह लाइसेंस जारी किया है, धारा 74 में दिए गए कारण और रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 75 के अन्तर्गत दिए गए/नवीकरण किए गए लाइसेंस को निलंबित कर सकता है, अथवा उसे निरस्त कर सकता है।
- विवाद का निपटान
लाइसेंसधारकों के
मध्य और
लाइसेंसधारक
और एपीएलएमसी के
मध्य** 77. निजी मंडीप्रांगण, कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण के लिए तथा प्रत्यक्ष विपणन के लिए लाइसेंसधारकों के मध्य अथवा लाइसेंसधारकों और एपीएलएमसी के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद का निपटान निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संक्षिप्त रीति से तीस दिन के भीतर किया जाएगा।
- अपील** 78.(1) कोई व्यक्ति जो कि निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 61 और 77, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत पारित किए गए आदेश से व्यथित है, वह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर

सरकार को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारूप में व रीति में, जैसा विहित किया जाए, अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद तीस दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करेगा।

- (2) कोई व्यक्ति जोकि मंडी समिति या निजी मंडी प्रांगण, कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की प्रबंध समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी को, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उपधारा (1) में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रारूप और निर्धारित रीति से अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद तीस दिनों के भीतर इस अपील का निस्तारण करेगा।
- (3) धारा 78 (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 63 के अन्तर्गत ई-प्लेटफार्म पर अथवा किसी अन्य प्लेटफार्म पर अन्तर-राज्य व्यापार से संबंधित अपील, प्राधिकरण का गठन किए जाने वाली किसी विधि के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (4) अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उस पर उतनी अवधि के लिए जितना वह उचित समझे, स्थगन दे सकता है।
- (5) इस धारा के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के संबंध में पारित किया गया आदेश अंतिम होगा और सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश **सिविल न्यायालय की डिक्री** के समान होगा और वह उसी तरह से लागू होगा।

**थोक बिक्री तदर्थ
क्रेता का
रजिस्ट्रीकरण**

79. (1) कोई व्यक्ति जिसे धारा 75 के अन्तर्गत वैध लाइसेंस न भी दिया गया हो, तब भी वह मंडी प्रांगण या मंडी प्रांगण के बाहर से अपनी स्वयं को उपभोग के लिए दैनिक आधार पर थोक में खरीददारी करने का इच्छुक है, तो वह संबंधित मंडी समिति में, ऐसे प्रारूप और रीति, जैसा विहित किया जाए, अपना रजिस्ट्रीकरण करा सकता है।
(क) ऐसा क्रेता रजिस्ट्रीकरण कराते समय या उसके बाद

क्रय करने से पूर्व क्रय का स्थान व दिवस उल्लिखित करेगा।

(ख) मंडी प्रांगण में की गयी इस प्रकार के क्रय की स्थिति में क्रेता द्वारा मंडी समिति को उस समय में लागू दर पर मंडी शुल्क अदा किया जाएगा और मंडी प्रांगण के बाहर किये गये क्रय पर क्रेता द्वारा मंडी समिति को लागू मंडी शुल्क की एक चौथाई राशि अदा करनी होगी;

परन्तु यह कि ऐसा थोक क्रय पूरे राज्य में एक माह में तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकता है।

सिविल न्यायालयों पर क्षेत्राधिकार संबंधी रोक।

- 80.(1) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न का निपटाने, निर्णय करने या व्यवहृत करने अथवा किसी मामले को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा जिसे इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत निपटारा, निर्णय करना अथवा व्यवहृत किया जाना अपेक्षित हो।
- (2) कोई भी न्यायालय इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले किसी भी अपराध का संज्ञान निदेशक या प्रबन्ध निदेशक अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं लेगा।

अध्याय -VIII

बजट और मंडी समिति फंड

बजट तैयार करना और स्वीकृत करना।

81. (1) प्रत्येक मंडी समिति निर्धारित प्रारूप में आगामी वर्ष की अपनी आय और व्यय का बजट तैयार करेगी और उसे पारित करके प्रत्येक वर्ष निर्धारित तारीख से पूर्व प्रबन्ध निदेशक के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। प्रबन्ध निदेशक उस बजट की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर संशोधन करके अथवा बिना कोई संशोधन किए स्वीकृति प्रदान करेगा। यदि प्रबन्ध निदेशक द्वारा **एक माह के भीतर बजट को लौटाया नहीं जाता है तो ऐसे में बजट को स्वीकृत हुआ माना जाएगा।**
- (2) प्रबन्ध निदेशक उपधारा (1) के अन्तर्गत इस तरह पारित किए गए बजट के संबंध में निदेशक की सहमति प्राप्त कर सकता है। यदि यह बजट निदेशक की टिप्पणियों के साथ उसकी प्राप्ति की तारीख से **15 दिन के भीतर लौटाया**

नहीं जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि निदेशक ने अपनी सहमति दे दी है।

- (3) मंडी समिति उपधारा (7) में उल्लिखित स्थायी फंड के अलावा, अपने फंड में से निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति दे सकती है और मंडी समिति द्वारा अनुमोदित योजना और डिजाइन के निर्माण कार्यों को इस ढंग से निष्पादित कर सकती है जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो। पेंशन के भुगतान के सिवा कोई भी खर्च पेंशन फंड में से नहीं किया जाएगा।
- (4) मंडी समिति द्वारा किसी ऐसी मद पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। यदि उसके लिए स्वीकृत बजट में कोई प्रावधान न हो, जब तक कि इस व्यय को किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत की गयी बचत से पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया जा सकता हो। पुनर्विनियोग के लिए मंजूरी प्रबन्ध निदेशक से ली जा सकती है परन्तु एक ही प्रमुख शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष से पुनर्विनियोग के मामले में पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी।
- (5) मंडी समिति वर्ष के दौरान किसी भी समय मूल बजट के समान ही संशोधित अथवा पूरक बजट पारित और स्वीकृत कर सकती है।
- (6) मंडी समिति अपनी सकल प्राप्तियों की तीस प्रतिशत राशि तक जिसमें लाइसेंस शुल्क और मंडी शुल्क शामिल होगा, स्थायी फंड में तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार पेंशन फंड में जमा कराने के लिए अपने बजट में प्रावधान करेगी। प्रबन्ध निदेशक की पूर्वानुमति अथवा उसके द्वारा दिए गए निर्देश को छोड़कर, स्थायी फंड में से व्यय नहीं की जायेगी धारा 82 की उपधारा (2) के अन्तर्गत यथा उपलब्ध राशि में से कोई व्यय उपधारा (1) में उल्लिखित बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।
- (7) प्रबन्ध निदेशक/बोर्ड निर्माण कार्य की मंजूरी प्रदान करते समय अपने विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि कार्य के निष्पादन का दायित्व सरकार के लोक निर्माण विभाग अथवा बोर्ड या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए।

मंडी समिति का फंड

82. (1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय मंडी समिति द्वारा प्राप्त की गयी समस्त धनराशि "मण्डी समिति निधि"

नामक निधि में जमा की जाएगी और मंडी समिति द्वारा इस अध्यादेश के अन्तर्गत अथवा इसके प्रयोजनार्थ किया गया समूचा व्यय उक्त निधि में से किया जाएगा। इस तरह का व्यय करने के पश्चात अधिशेष राशि को इस तरह निवेश किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये।

- (2) मंडी समिति द्वारा मध्यस्थता शुल्क अथवा विवादों से संबंधित मध्यस्थता कार्यवाहियों में लागत प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गयी कोई धनराशि अथवा समिति द्वारा प्रतिभूति जमा सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान के रूप में अथवा पशुधन समेत किसी अधिसूचित उपज के संबंध में भुगतान हेतु अथवा यथा अपेक्षित अनुसार मंडी पदाधिकारियों को देय प्रभारों के रूप में मंडी समिति द्वारा प्राप्त की गयी राशि अथवा मंडी समिति द्वारा प्राप्त ऐसी कोई अन्य धनराशि जिसके बारे में नियमों अथवा उपविधियों में प्रावधान हो, को मंडी समिति निधि का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उस धनराशि को ऐसी रीति से रखा जाएगा, जैसा कि विहित किया जाये।
- (3) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मंडी समिति में जमा राशि और साथ ही मंडी समिति द्वारा प्राप्त की गयी अन्य धनराशि किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में अथवा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अथवा प्रबन्ध निदेशक की मंजूरी से किसी अन्य रीति से रखी जाएगी।

मंडी समिति के फंड का उपयोग

83. धारा 82 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मंडी समिति इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसे सौंपे गए कार्यों ओर कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए मंडी समिति के निधि का उपयोग कर सकती है। इस प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मंडी समिति के फंड का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, अर्थात:-

- (i) मंडी प्रांगण के लिए स्थान अधिग्रहित करना,
- (ii) मंडी प्रांगण की स्थापना, उसका रखरखाव और सुधार करना।
- (iii) मंडी प्रांगण के प्रयोजनार्थ और मंडी प्रांगण का उपयोग कर रहे व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए आवश्यक भवन का निर्माण और मरम्मत।
- (iv) मानक तौल एवं माप का रखरखाव।

- (v) मंडी समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेज्युटी के लिए भुगतान और अंशदान सहित संस्थापना के प्रभारों को पूरा करना।
- (vi) मंडी समिति के कर्मचारियों के ऋण और अग्रिम।
- (vii) ऐसे ऋणों पर ब्याज का भुगतान जिसे मंडी प्रांगण (प्रांगणों) के विकास तथा कार्ययोजना तथा ऐसे ऋण के संबंध में ऋण शोधन निधि का प्रावधान में सम्मिलित अन्य कार्यों के लिए लिया जा सकता है।
- (viii) फसल संबंधी आंकड़ों तथा कृषि उपज और पशुधन के बेहतर विपणन से संबंधित सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- (ix) मंडी समिति के खातों की लेखा परीक्षा में होने वाला व्यय।
- (x) मंडी समिति के पदेन सदस्य (सदस्यों) को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता, बैठक फीस।
- (xi) बोर्ड द्वारा रखरखाव किए जा रहे विपणन विकास फंड तथा निदेशक द्वारा रखरखाव किए जा रहे रिवाँल्विंग विपणन विकास फंड के लिए अंशदान।
- (xii) कृषि विपणन तथा ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक्स के विकास के लिए किसी योजना के लिए अंशदान।
- (xiii) श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन सेवाओं तथा इनसे संबंधित आवश्यक गतिविधियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- (xiv) अत्यावश्यकता की स्थिति में इस अध्यादेश के अंतर्गत होने वाले चुनावों के खर्च का भुगतान।
- (xv) पशुधन सहित कृषि उपज के विपणन के विकास से संबंधित अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण पर होने वाले सभी खर्च वहन करना।
- (xvi) **प्लेज फायनांसिंग** और विपणन उधार को बढ़ावा देने पर होने वाला खर्च वहन करना।
- (xvii) पशुधन समेत कृषि उपज की कटाई पश्चात के कार्य को संभालने, शीतग्रहों, प्रीकूलिंग सुविधाओं, पैक हाउसेस से संबंधित अवसंरचना तथा आधुनिक विपणन प्रणाली के विकास के लिए इस तरह की

सभी अवसंरचनाओं को स्वयं अथवा सरकारी-निजी सहभागिता से सृजित करना और उनको बढ़ावा देना।

- (xviii) प्रबंध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन इस अध्यादेश के अंतर्गत कृषि उपज और पशुधन के विपणन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन, जहां मंडी समिति फंड का व्यय जनहित में हो।

अध्याय-IX

राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन

- राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 84. सरकार मंडियों तथा विपणन अवसंरचनाओं के विकास से संबंधित गतिविधियों तथा उनसे जुड़ी सेवाओं का समन्वय करने तथा उन्हें निष्पादित करने के साथ-साथ ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने जो उसे इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त की गई है अथवा ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना तथा गठन कर सकेगी
- बोर्ड का संयोजन 85. बोर्ड एक निगमित होगा जिसका शास्वत उत्तराधिकार और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद कर सकेगा और उस पर वाद किया जा सकेगा और वह चल और अचल दोनों तरह की सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है और उसे अपने पास रख सकता है और ऐसी किसी भी सम्पत्ति को बेच सकता है अथवा अन्यथा उसका अन्तरण कर सकता है अथवा जिस प्रयोजन के लिए यह गठित किया गया है अनुबन्ध और अन्य आवश्यक कार्य करना।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 86. बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किए जाय या चुने जाए।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संरचना। 87. बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी—
1. अध्यक्ष—राज्य की मंडी समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अन्य चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित, जैसा विहित हो:
परंतु अध्यक्ष एक कृषक होगा।

2. उपाध्यक्ष—राज्य की मंडी समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अन्य चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित जैसा विहित हो।
3. (i) छह सदस्यों को सरकार द्वारा, जैसा विहित हो मंडी समिति के अध्यक्षों में से नामित किया जाएगा।
 (ii) एक—एक सदस्य सरकार द्वारा निजी मंडी प्रांगण, प्रत्यक्ष विपणन, मंडी उपप्रांगण और इलक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के लाइसेंस धारकों में से यदि उपलब्ध हों, जैसा विहित किया जाये, नामित किया जाएगा।
 (iii) एक सदस्य का नामांकन सरकार द्वारा पंजीकृत कृषक उत्पादक कम्पनियों में से यदि कोई है में से किया जाएगा।
 (iv) एक सदस्य का नामांकन सरकार द्वारा एकीकृत सिंगल लाइसेंसधारकों में से, जैसा विहित किया जाय, किया जाएगा।
 (v) एक सदस्य का नामांकन सरकार द्वारा अन्तर राज्य व्यापार लाइसेंस धारकों में से, जैसा विहित किया जाय, किया जाएगा।
4. अन्य पदेन सदस्य
 - (i) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, बागवानी, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन और मत्स्यपालन प्रभारी अथवा उसका नाम निर्देशती जो कि उपसचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का नहीं होगा।
 - (ii) प्रधान सचिव/सचिव, शहरी/ग्रामीण विकास अथवा उसका नाम निर्देशती जो कि उपसचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का नहीं होगा।
 - (iii) कृषि विपणन सलाहकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा उसका नाम निर्देशती जो कि अपर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार से अन्यून रैंक का नहीं होगा।
 - (iv) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का प्रतिनिधि जो कि उपमहाप्रबन्धक से अन्यून रैंक का नहीं होगा।
 - (v) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार/सहकारिता

आयुक्त।

(vi) राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक।

बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।

- 88.(1) बोर्ड में एक प्रबन्ध निदेशक होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त प्रबन्ध निदेशक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।
- (3) बोर्ड द्वारा इस अध्यादेश के अंतर्गत अपने कर्तव्यों और कार्यों का सक्षम तरीके से निष्पादन करने के लिए यथा आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है।
- (4) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगी।

बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

- 89.(1) बोर्ड के अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। तथापि सरकार के प्रसाद प्रयन्त अपने पद पर रह सकते हैं। सरकार यदि उचित समझे तो वह बोर्ड के किसी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी हटा सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक कार्यकालों तक बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।
- (3) सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के आधार पर और बोर्ड के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा मत देने पर बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को कदाचार अथवा लापरवाही बरतने अथवा अपना कर्तव्य पूरा करने में नाकाम होने के आधार पर उनके पद से हटा सकता है और इस तरह की बर्खास्तगी होने पर वह व्यक्ति ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का पात्र नहीं होगा;

परंतु इस तरह की बर्खास्तगी का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

90. बोर्ड के शासकीय सदस्य के कार्यकाल का, उस पद, जिसके आधार पर उसे नामित किया गया था, के समाप्त

होने पर: अन्त हो जाएगा। मंडी समिति का अधिक्रमण होने की स्थिति में जहां से सदस्यों को बोर्ड में नामित किया गया है, वहां से संबंधित सदस्य बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे।

- बोर्ड के सदस्यों के भत्ते** 91. पदेन सदस्य के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने और सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए कार्यों को करने के लिए निर्धारित बैठक शुल्क और भत्ते दिए जाएंगे।
- आकस्मिक रिक्ति को भरना** 92. बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने अथवा अयोग्य करार देने अथवा हटाए जाने की स्थिति में अथवा उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अन्यथा हुई रिक्ति को ऐसे कार्यकाल में रिक्ति होना समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति को यथाशीघ्र सरकार द्वारा नामांकन द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार नामित किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर रहेगा।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र** 93. बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य सरकार को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने-अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं और ऐसे अधिकारी का पद उसका त्यागपत्र स्वीकार होने की तारीख को रिक्ति हो जाएगा:
परंतु यह कि बोर्ड का उपाध्यक्ष और सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को सूचित करते हुए सरकार को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।
- बोर्ड के सदस्य की अयोग्यता।** 94. कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा जब वह—
(क) दिवालिया हो गया हो अथवा किसी समय उसे दिवालिया निर्णीत किया गया हो, अथवा
(ख) कोई अपराधी हो अथवा उसे किसी उपराध का दोषी ठहराया एवं राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अपराध का दोष सिद्ध हो गया हो, अथवा
(ग) दिमागी तौर पर विकृतचित्त हो और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, अथवा
(घ) वह किसी ऐसी कम्पनी या फर्म जिसका बोर्ड अथवा मंडी समिति के साथ कोई संविदा हो, का निदेशक अथवा सचिव, प्रबन्धक अथवा वेतन प्राप्त करने वाला अन्य कोई

- अधिकारी या कर्मचारी हो, अथवा
(ड.) वह इस अध्यादेश की धारा (धाराओं) 114 और/अथवा 126 के अंतर्गत दोषी हो अथवा किसी समय दोषी पाया गया हो, अथवा
(च) सरकार के मतानुसार उसने सदस्य के रूप में अपने पद का इस तरह दुरुपयोग किया हो जिससे कि बोर्ड में उसका बना रहना आम जनता के हित के प्रतिकूल अथवा हानिकारक हो।
- उपसमिति की नियुक्ति** 95. बोर्ड एक उपसमिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें इसके सदस्य के रूप में तीन या उससे अधिक सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक भी सम्मिलित होंगे इसमें उपसमिति के कर्तव्यों अथवा कार्यों का निष्पादन करने अथवा बोर्ड से संबंधित किसी मामले पर सुझाव देने के लिए जो कि ऐसी उपसमिति को कोई ऐसे कर्तव्य अथवा कार्य सौंप सकते हैं, जो आवश्यक समझे जाएंगे।
- बोर्ड का अधीक्षण** 96. सरकार बोर्ड और उसके अधिकारियों का अधीक्षण और उन पर नियंत्रण रखेगी और वह कोई ऐसी सूचना मांग सकता है जो वह आवश्यक समझे और प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात के संतुष्ट होने पर कि बोर्ड द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है तो वह बोर्ड को निलम्बित कर सकता है और नए बोर्ड के गठन के समय तक के लिए बोर्ड के कार्यों को करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे:
परंतु यह कि बोर्ड के निलंबन की तारीख से छह माह के भीतर नए बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- बोर्ड के कार्य शक्तियां** और 97.(1) इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा और उसे ऐसे कार्यों को करने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हों की शक्तियां प्राप्त होंगी:
- (i) मंडी समितियों के कार्यों का और उनसे संबंधित अन्य कार्यों तथा ऐसी समितियों द्वारा प्रमुख मंडी प्रागणों, उपमंडी प्रागणों और मंडी उप प्रागणों के साथ ही निरूपति मंडी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का समन्वय करना
 - (ii) प्रमुख मंडी प्रागणों, उपमंडी प्रागणों और मंडी उप प्रागणों में पशुधन समेत कृषि उपज की राज्य

स्तरीय विकास योजनाओं को शुरू करना।

- (iii) राज्य विपणन विकास फंड को प्रशासित करना।
- (iv) मंडी समितियों को सामान्यतः अथवा किसी मंडी विशेष को सुधार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना;
- (v) कोई अन्य कार्य जो विशेषकर इस अध्यादेश के अंतर्गत सौंपा गया हो;
- (vi) इसी तरह के अन्य कार्य जो उसे सरकार द्वारा सौंपे गए हों;

(2) पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना बोर्ड के ऐसे कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (i) प्रमुख मंडी प्रांगण अथवा उप मंडी प्रांगण अथवा मंडी उप प्रांगण की स्थापना के लिए मंडी समिति द्वारा नये स्थल के चयन के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देना;
- (ii) प्रमुख मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण और मंडी उपप्रांगणों के अलावा, निरूपित मंडी क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देना;
- (iii) मंडी समिति द्वारा आरंभ किए गए निर्माण कार्यक्रम संबंधी योजनाओं और अनुमानों को तैयार करने में मंडी समिति का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन;
- (iv) बोर्ड की निधि से सभी प्रभार्य कार्यों को पूरा करना;
- (v) लेखों का ऐसे रूप में रखरखाव करना जैसा विहित किया जाये व बोर्ड के विनियमन में निर्धारित रीति से लेखा परीक्षण करवाना;
- (vi) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगति रिपोर्ट, बलेन्स शीट और परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण वार्षिक रूप से प्रकाशित करना तथा उनकी प्रतियां बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को और सरकार को भेजना;
- (vii) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के स्थानांतरण के लिए बोर्ड में अलग से मार्केटिंग एक्सटेंशन सैल की स्थापना करना। बोर्ड द्वारा पशुधन समेत कृषि उपज के विनियमित विपणन से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करने के अभियान के साथ-साथ उससे संबंधित विपणन

सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की जा सकती है;

- (viii) सभी स्तरों पर कृषि विपणन में प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग का आकलन करने के पश्चात मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है, से आवश्यक शैक्षिक सहायता के साथ विभिन्न मंडी कृत्यकारियों, मंडी समिति के सदस्यों और किसानों आदि के लिए राज्य विपणन बोर्ड के अंतर्गत कृषि विपणन के प्रशिक्षण के लिए कालेज/केन्द्रों के साथ प्रशिक्षण सेल की स्थापना करना;
- (ix) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को किसानों अथवा उनके समूहों के साथ जोड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (x) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने में मदद करना;
- (xi) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए मंडी समितियों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिसे बोर्ड निर्धारित करेगा, ऋणों पर अनुदान मंजूर करना;
- (xii) कृषि विपणन से सम्बन्धित विषयों पर सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि के आयोजन की व्यवस्था करना;
- (xiii) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो मंडी समिति के सामान्य हित में हों अथवा बोर्ड के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जातें हों;
- (xiv) पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उपज की ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देने में मंडी समिति को सुविधा उपलब्ध कराना और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए असेयिंग लैब व अन्य अवसंरचनाओं को स्थापित करना;
- (xv) अधिसूचित कृषि उपज एवं पशुधन का ऑनलाइन अवरोधमुक्त बाजार विकसित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना; तथा
- (xvi) अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के बेहतर

विपणन को बढ़ावा देने तथा श्रेणीकरण, मानकीकरण, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, जैसा भी निर्धारित हो, से संबंधित मामलों को बढ़ावा देने के लिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की तकनीकी मदद के साथ सलाहकार समिति का गठन करना;

विनियमन

- 98.(1) बोर्ड सरकार की पूर्वानुमति से बोर्ड के मामलों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अध्यादेश और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से असंगत न हो।
- (2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी अथवा किसी मामले उपबन्ध कर सकते हैं:-
- (क) बोर्ड की बैठके बुलाना और उन्हें आयोजित करना, ऐसी आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए समय व तारीख निश्चित करना, ऐसा बैठकों की कार्यवाही संचालित करना तथा बैठकों के कोरम के लिए आवश्यक व्यक्तियों के संख्या निर्धारित करना
- (ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित करना
- (ग) बोर्ड के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों और मंडी समिति के अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तें निर्धारित करना
- (घ) बोर्ड की संपत्ति का प्रबन्धन
- (ङ.) बोर्ड की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और आश्वासनों को निष्पादित करना
- (च) बोर्ड द्वारा लेखों का रखरखाव और बैलेंस शीट तैयार करना
- (छ) इस अध्यादेश के अंतर्गत बोर्ड के कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण, और
- (ज) अन्य मामले जिनके संबंध में विनियम में प्रावधान किया जाना हो अथवा किया जा सकता हो।

विपणन विकास कोष

99. बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त की गई समूची धनराशि "विपणन विकास कोष" नामक कोष में जमा की जाएगी।

- बोर्ड द्वारा किए गए भुगतान** 100. बोर्ड द्वारा किए गए सभी तरह के भुगतानों को "विपणन विकास कोष" से किया जाएगा।
- "विपणन विकास कोष" को अंशदान** 101. प्रत्येक मंडी समिति, बोर्ड की संस्थापना और इस अध्यादेश के अंतर्गत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन पर हुए खर्चों को पूरा करने के लिए लाइसेंस फीस और मंडी फीस, जैसा भी विनिर्धारित हो, से प्राप्त अपनी आय की बीस प्रतिशत तक की राशि बोर्ड द्वारा संचालित "विपणन विकास कोष" में भुगतान करेगी।
- बॉन्ड अथवा स्टॉक जारी करके उधार लेना** 102. बोर्ड इस अध्यादेश के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार से उधार ले सकता है अथवा सरकार की पूर्वस्वीकृति से—
- (i) किसी अन्य एजेंसी से धनराशि उधार ले सकता है; अथवा
 - (ii) उसमें विहित किसी सम्पत्ति के प्राधिकार पर अथवा इस अध्यादेश अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उसे होने वाली भावी आय के एक भाग की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी कर सकता है;
- बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास कोष (फण्ड) का उपयोग** 103.(1) बोर्ड द्वारा विपणन विकास कोष का उपयोग इस अध्यादेश के अंतर्गत बोर्ड को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए या तो स्वयं अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए किया जाएगा।
- (2) इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपणन विकास कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; अर्थात:—
- (i) बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का भुगतान।
 - (ii) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान।
 - (iii) बोर्ड द्वारा किए गए विधिक खर्चों का भुगतान।
 - (iv) वित्तीय रूप से कमजोर मंडी समितियों को विकास के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अनुदान के रूप में सहायता अनुदान।
 - (v) कृषि उपज तथा पशुधन के विपणन से संबंधित मामलों का प्रचार-प्रसार।
 - (vi) मंडी समितियों तथा बोर्ड के अधिकारियों और

- कर्मचारियों के साथ ही मंडी पदाधिकारियों और कृषकों का प्रशिक्षण।
- (vii) विपणन के विकास पर कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रदर्शनियों का आयोजन करना व उनकी व्यवस्था करना।
- (viii) प्रमुख मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण और मंडी उपप्रांगण में ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ निरूपित मंडी क्षेत्र में सामान्य मंडी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका निर्माण करना।
- (ix) कौशल विकास और प्लेज फायनेन्सिंग गतिविधियां शुरू करना।
- (x) कृषि उपज का मंडी सर्वेक्षण, अनुसंधान, श्रेणीकरण और मानकीकरण, गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, ऑनलाइन व्यापार तथा उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलाप आरंभ करना।
- (xi) बोर्ड के कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवनों या भूमि का अर्जन करना या निर्माण करना या भवनों या भूमि को पट्टे द्वारा या अन्यथा किराये पर लेना।
- (xii) बोर्ड और मंडी समितियों की आंतरिक संपरीक्षा।
- (xiii) निरूपित मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों व कृषक-उपभोक्ता बाजारों का विकास करना तथा इस तरह की संभावनाओं को पशुधन बाजार के विकास के लिए भी खोजना।
- (xiv) इस अध्यादेश के अंतर्गत या सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए कार्यों के पालन के लिये आवश्यक प्रतीत होने वाला अन्य कोई प्रयोजन।

बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा।

- 104.(1) बोर्ड के लेखे राज्य के "स्थानीय फंड लेखापरीक्षा अधिनियम" के अंतर्गत अथवा अधिप्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा किसी अन्य एजेंसी, जिसे सरकार उचित समझेगी, द्वारा लेखा-परीक्षण किया जायेगा।
- (2) बोर्ड जैसे भी उचित समझे, लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकता है।
- (3) बोर्ड के वार्षिक लेखों और बेलेंस शीट प्रबन्ध निदेशक द्वारा तैयार की जाएगी और बोर्ड को किसी भी स्रोत से मिलने

- वाली अथवा प्राप्त की गई समूची राशि तथा वितरित अथवा भुगतान की गई समूची धनराशि को लेखों में दर्ज किया जाएगा।
- (4) लेखा परीक्षा के समय प्रबन्ध निदेशक सभी लेखा, रजिस्टर, दस्तावेज तथा अन्य संगत कागजात जिन्हें लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु मांग की जाय, को प्रस्तुत करायेगा। किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को तुरन्त उसको प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) लेखों को लेखा परीक्षा के पश्चात मुद्रित किया जाएगा। लेखों और लेखा परीक्षा की प्रतियां उस पर टिप्पणियों सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
- शक्तियों का प्रत्यायोजन**
- 105.(1) इस अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बोर्ड सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशक/सदस्य सचिव अथवा उसके द्वारा नियुक्त उपसमिति अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी को ऐसी शक्तियां अथवा कर्तव्य, जैसा कि वह उचित समझेगा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (2) बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव इस अध्यादेश के अंतर्गत बोर्ड कि किसी अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण**
- 106.(1) बोर्ड का अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (2) बोर्ड अधीक्षण के अधीन रहते हुए बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगी।
- प्रबंध निदेशक के कार्य एवं शक्तियां।**
107. प्रबंध निदेशक—
- (i) कार्यकारी प्रशासन लेखों और अभिलेखों से संबंधित मामलों में बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों के निस्तारण के लिए पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा;
- (ii) बोर्ड के निर्देश और उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा;

- (iii) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास कोष से व्यय करेगा;
- (iv) आपात स्थिति में ऐसे किसी कार्य को पूरा करने अथवा उसे रोकने और ऐसे किसी कार्य को करने के निर्देश देना जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक हो;
- (v) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;
- (vi) बोर्ड की आंतरिक लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (vii) बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करना तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही के रिकार्ड का रखरखाव करना;
- (viii) बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए ऐसे कदम उठाना जो आवश्यक समझे गए हो;
- (ix) मंडी समितियों द्वारा उनके अपने कोष से अथवा बोर्ड द्वारा या किसी अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों और/अथवा अनुदानों द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना;
- (x) ऐसे क्रियाकलापों, चाहे वे मंडी समितियों या बोर्ड से संबंधित हो, जोकि इस अध्यादेश या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के प्रतिकूल हों, के बारे में सरकार को सूचित करना;
- (xi) ऐसे कदम उठाना जोकि बोर्ड के कार्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे गए हो।

बोर्ड के कार्यों का संचालन

- 108.(1) बोर्ड अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान और समय पर जोकि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बैठक करेगी।
- (2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्याय IV के उपबंधों या यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित बोर्ड के कार्य के लिए लागू होंगे।
- (3) बोर्ड की सभी कार्यवाहियों को अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जारी अन्य सभी आदेशों और दूसरे लिखतों

को अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी जिसे विनियम द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(4) बोर्ड द्वारा कार्य का संचालन इस ढंग से किया जाएगा जैसा कि नियम में विहित किया गया हो।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां।

109. अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, जैसा विहित किया जाये।

अध्याय -X

निदेशक की नियुक्ति और उसकी शक्तियां और कार्य

कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति

110. सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कृषि विपणन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने अथवा उसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है;

परंतु यह कि कृषि विपणन निदेशक साथ-साथ बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नहीं रहेगा।

कृषि विपणन निदेशक की शक्तियां और कार्य।

111.(1) इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए निदेशक इस अध्यादेश के अंतर्गत बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के लिए निर्धारित कार्यों को छोड़कर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्य करेगा जिससे इस अध्यादेश के उपबंधों को उचित ढंग से लागू किया जा सके। राज्य सरकार कोई या सभी विनियामक शक्तियों को जो इस अध्यादेश, नियमों के अन्तर्गत उसमें विहित हैं, निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) विशेषतः तथा धारा 116 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(i) निजी मंडी प्रांगण, कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण, निजी मंडी-उपप्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा प्रत्यक्ष विपणन को संस्थापित/अथवा प्रचालित करने के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस देना और दिए गए लाइसेंस का

- नवीनीकरण करना, निलंबित अथवा निरस्त करना;
- (ii) राज्य के लिए एकीकृत एकल ट्रेडिंग लाइसेंस मंजूर करना, नवीनीकरण और निलंबित करना अथवा निरस्त करना;
- (iii) अन्तर्राज्यीय ट्रेडिंग लाइसेंस को प्रदान करना/नवीनीकरण तथा निलम्बन या निरस्तीकरण;
- (iv) किसी दूसरे राज्य द्वारा जारी किए गए अन्तर्राज्यीय ट्रेडिंग लाइसेंस के प्रचालन को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर राज्य में ब्लैक लिस्ट करना;
- (v) प्रमुख मंडी प्रांगणों, उपमंडी प्रांगणों तथा मंडी उपप्रांगणों में कृषि उपज तथा पशुधन से संबंधित होने वाले लेनदेन के संबंध में अध्यादेश और उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के प्रावधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मंडी समितियों का पर्यवेक्षण;
- (vi) निरूपित मंडी क्षेत्रों में विनियम का प्रवर्तन;
- (vii) अध्यादेश के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करना;
- (viii) अध्यादेश के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से कार्यरूप देने के लिए अध्यादेश और नियमों में संशोधन हेतु सरकार को सुझाव देना;
- (ix) इस अध्यादेश और नियमों के अधीन मंडी समिति द्वारा बनाए गए उपविधियों का अनुमोदन करना;
- (x) मंडी समिति और बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा संगठन की पहचान करना;
- (xi) मंडी समिति के बजट के अनुमोदन पर अपनी सहमति देना;
- (xii) मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजित करने के लिए मंजूरी प्रदान करना;
- (xiii) राज्य कृषि विपणन सेवाओं, यदि कोई हो, के कार्मिकों की नियुक्ति और स्थानांतरण करना तथा उनके संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;
- (xiv) मंडी समिति और बोर्ड के समय पर सही ढंग से चुनाव कराने तथा उनसे संबंधित क्रियाकलापों के लिए कदम उठाना;
- (xv) मंडी समिति के अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार करना;

(xvi) निजी मंडी प्रांगण, कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म और प्रत्यक्ष विपणन के लाइसेंसधारकों तथा सिंगल यूनीफाइड लाइसेंस और इंटरस्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस धारकों के लिए विवाद निपटान प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(xvii) मंडी समिति के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(xviii) मंडी समिति द्वारा पारित संकल्प को अनुमोदित करना;

(xix) मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा सदस्य (सदस्यों) को इस ढंग से पद से हटाना, जैसा कि विहित किया गया हो; तथा

(xx) मंडी समिति के लेखों और कार्यालयों का यथाअपेक्षित निरीक्षण करना या करवाना;

रिवोल्विंग विपणन 112.(1)
विकास कोष।

निदेशक निजी मंडी प्रांगण, निजी मंडी उपप्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म, प्रत्यक्ष विपणन के लाइसेंसधारकों के अंशदान के रूप में प्राप्त की गई धनराशियों तथा मंडी समिति समेत ऐसे ही अन्य अंशदान से प्राप्त धनराशियों को लेखाबद्ध करने के लिए एक पृथक रिवोल्विंग विपणन विकास कोष बनायेगा।

(2) प्रत्येक मंडी समिति, लाइसेंस शुल्क और मंडी शुल्क, जैसा विहित किया जाए, से प्राप्त अपनी आय की पांच प्रतिशत राशि निदेशक द्वारा संचालित रिवोल्विंग विपणन विकास कोष में जमा करेगी।

(3) निदेशक उपधारा (1) के अन्तर्गत इस तरह अनुरक्षित कोष का खर्च सामान्य विपणन अवसंरचना के विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्लेज फायनेन्सिंग में तथा ऐसी अन्य गतिविधियों में करेगा जिससे कि राज्य में एक सक्षम विपणन प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी।

कृषि विपणन निदेशक 113.(1)
के कार्यालय और
कर्मचारी।

निदेशक ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने और कर्तव्यों का निष्पादन करने जो कि अध्यादेश/नियमों के अन्तर्गत उसे सौंपे गए हों, सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

(2) जिला स्तरीय कार्यालय के प्रमुख ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारी होने चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार

- के उप-निदेशक अथवा अवर सचिव से अन्यून रैंक के नही होने चाहिए।
- (3) जिला स्तर पर अन्य अधिकारियों की तैनाती राज्य कृषि विपणन सेवा संवर्ग, यदि कोई हो, से अथवा अन्यथा रूप से अथवा नियमानुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर ऐसी योग्यता और अनुभव, जैसा कि विनिर्धारित किया गया हो, रखने वाले अधिकारियों में से की जाएगी।

अध्याय—XI

शास्तियां

अधिनियम, नियमों 114.
और उपविधियों के
उल्लंघन के लिए
शास्ति।

कोई भी व्यक्ति जो इस अध्यादेश या किसी नियम या किसी उपविधि या उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे साधारण कारावास जो कि छह माह तक हो सकता है या जुर्माना जोकि पाँच हजार रु. तक या दोनो से दण्डित किया जायेगा:

परंतु यह कि धारा 65 के उपबंधों के लगातार उल्लंघन के मामले में उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद उल्लंघन जारी रखने के दौरान प्रत्येक दिन कि लिए दो सौ रु. तक हो सकता है।

मंडी की बकाया 115.
राशियों की वसूली।

जब कभी किसी व्यक्ति को इस अध्यादेश के अन्तर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी तरह के जुर्माने के, जो कि लगाया जा सकता है, के अतिरिक्त इस अध्यादेश अथवा नियमों अथवा उनके अन्तर्गत बनाए गए उपविधियों के अन्तर्गत उस पर बकाया शुल्क अथवा कोई अन्य राशि को वसूल करेगा और इस राशि को मंडी समिति को सौपेगा और वह अपने विवेकानुसार मुकदमें पर खर्च भी वसूल कर सकता और उसे मंडी समिति को सौंप सकता है।

अपराधों का संज्ञान 116.

इस अध्यादेश या किसी नियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी उपविधि के अन्तर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय निदेशक या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडी समिति के सचिव अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जिसे इस संबंध में मंडी समिति

द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो, के परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

अध्याय- XII

नियंत्रण

निरीक्षण,
विवरणों
प्रस्तुतीकरण आदि।

जॉच, 117.(1)
का

प्रबन्ध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी स्वयंमेव अथवा सरकार या निदेशक के निदेश पर—

(क) मंडी समिति के लेखों का और कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करवा सकता है,

(ख) मंडी समिति के क्रियाकलापों की जांच कर सकता है,

(ग) कोई रिटर्न, विवरण, लेखे, अथवा रिपोर्टें मंगा सकता है जिसे वह ऐसी समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु उचित समझता हो,

(घ) किसी मंडी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(i) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जिसका कि उसे किसी ऐसी बात में किये जाने में, जोकि ऐसी मंडी समिति द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली हो या किया जा रही हो, विद्यमान होना प्रतीत होता हो, अवैधता, अवांछनीयता या अनौचित्य के आधार; या

(ii) कोई भी सूचना जो वह प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसके विचार में ऐसे समिति द्वारा कतिपय कार्यवाही करना आवश्यक हो; और

(iii) युक्तियुक्त समय—सीमा के भीतर उसे उत्तर देना जिसमें ऐसी कार्यवाही करने अथवा न करने का कारण दिया गया हो; पर विचार करें।

(ङ) यह निर्देश दे सकता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि किया जाने वाला है अथवा किया जा रहा है, उसे उत्तर के विचारार्थ रहने तक नहीं किया जाए, और कोई भी ऐसा कार्य जो किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है, उसे ऐसी समय—सीमा के भीतर, जैसा कि वह निर्देश दे, किया जाना चाहिए।

(2) जब इस धारा के अन्तर्गत मंडी समिति के क्रियाकलापों की जांच की जाए अथवा धारा 124 के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक द्वारा किसी मंडी समिति की कार्यवाही की जांच की जाए

तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा ऐसी सूचना को जोकि मंडी समिति के क्रियाकलापों अथवा कार्यवाहियों से संबंधित उनके पास है, प्रबन्ध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करें।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच करने वाले अधिकारी अथवा धारा 125 के अन्तर्गत किसी मंडी समिति की कार्यवाहियों की जांच करने वाले निदेशक अथवा सरकार को यह अधिकार होगा कि वह मंडी समिति के अधिकारियों अथवा सदस्यों को बुला सकता है और उनकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकता है और उसे/उन्हें इस आशय का प्रमाण देने और उन दस्तावेजों को जहां तक संभव हो उस रीति से जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के मामले में व्यवस्था की गई है, प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकता है।

(4) जहां प्रबन्ध निदेशक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंडी समिति की बहियों और अभिलेखों के साथ छेडछाड़ अथवा उनको नष्ट किए जाने की संभावना है अथवा मंडी समिति के निधि अथवा सम्पत्ति को किसी दुर्विनियोजन अथवा उनका दुरुपयोग करने की संभावना है तो प्रबन्ध निदेशक लिखित आदेश जारी कर उसके द्वारा विधिवित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह मंडी समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों, निधि और सम्पत्ति को जब्त कर ले और मंडी समिति के अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधि और सम्पत्ति को रखने के लिए जिम्मेवार है, उन्हें प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द करेंगे।

मंडी समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाने के लिए निदेशक की शक्तियाँ। 118.(1)

निदेशक, सरकार के साथ परामर्श करके अध्यक्ष को अथवा अध्यक्ष के साथ परामर्श करके समिति के उपाध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है। जहां उसकी यह राय हो कि उक्त पदाधिकारी—

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कदाचार का अथवा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का दोषी रहा है,

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य बने रहने के लिए

- आवश्यक योग्यता नहीं रखता है।
- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत पद से हटाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
- (3) निदेशक, मंडी समिति के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य को जिसे उपधारा (1) या उपधारा (2), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो और जिसके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई हो अथवा वह ऐसा नोटिस दिये जाने के बाद भी अनियमितताएं करता हो तो उसे शिकायत प्राप्ति की तारीख से अथवा निदेशक द्वारा अनियमितताएं पाए जाने की तारीख से इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक उपधारा (1) में यथोचित परिवर्तन सहित निलम्बित कर सकता है।

मंडी समिति का 119. अधिक्रमण।

जहां निदेशक की स्वयं या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद यह राय हो कि कोई मंडी समिति अपने कार्यों को निष्पादित करने अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही है, अथवा उसने इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण अथवा दुरुपयोग किया है तो वह सरकार की पूर्वानुमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त मंडी समिति का अधिक्रमण कर सकता है:

परंतु यह कि अधिक्रमण संबंधी कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि निदेशक द्वारा मंडी समिति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

मंडी समिति के 120. अधिक्रमण का परिणाम

धारा 119 के अन्तर्गत मंडी समिति के अधिक्रमण संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(i) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उन्हें अपने पद से कार्यमुक्त हुआ माना जाएगा।

(ii) सरकार अथवा निदेशक यह निर्देश देगा कि धारा 17 के अन्तर्गत एक नई मंडी समिति का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएं और उपर्युक्त अनुसार धारा 17 के अन्तर्गत एक नई मंडी गठित किए जाने तक निदेशक जैसा

भी उचित समझे, मंडी समिति के कार्यों को ऐसी अवधि, जो कि छह माह से अधिक न हो के लिए निष्पादित करते रहने की व्यवस्था करेगा और इस प्रयोजनार्थ यह निर्देश देगा कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत मंडी समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कार्यों, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निदेशक द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए और ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को मंडी समिति अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।

बोर्ड का अधिक्रमण। 121.

जहां सरकार की यह राय हो कि बोर्ड अपने कार्यों को निष्पादित करने अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है अथवा उसने इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का अधिक्रमण अथवा उनका दुरुपयोग किया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अधिक्रमण कर सकता है;

परंतु यह कि अधिक्रमण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा बोर्ड को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

बोर्ड के अधिक्रमण का परिणाम। 122.

धारा 121 के अन्तर्गत बोर्ड के अधिक्रमण संबंधी अधिसूचना के प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(i) अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को उनके पदों से कार्यमुक्त समझा जाएगा।

(ii) सरकार यह निर्देश देगा कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत एक नये बोर्ड का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएं उपर्युक्त अनुसार धारा 86 के अन्तर्गत एक नये बोर्ड का गठन किए जाने तक निदेशक जैसा भी उचित समझेगा मंडी समिति के कार्यों को ऐसी अवधि तक, जोकि छह माह से अधिक न हो तक के लिए निष्पादित करते रहने की व्यवस्था करेगा और इस प्रयोजनार्थ यह निर्देश देगा कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत मंडी समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कार्यों, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो सरकार

द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को बोर्ड अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।

उपविधियों में संशोधन के लिए मंडी समिति को निर्देश देने हेतु निदेशक की शक्ति।

123.(1)

यदि निदेशक को यह लगता है कि कृषि विपणन के हित में कोई उपविधि बनाना अथवा किसी मौजूदा उपविधि (उपविधियों) में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है तो वह आदेश द्वारा संबंधित मंडी समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह उतने समय के भीतर जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपविधि बनाए अथवा मौजूदा उपविधि (उपविधियों) में संशोधन करे।

(2)

यदि मंडी समिति विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे उपविधि बनाने अथवा ऐसे उपविधियों में संशोधन करने में विफल रहती है तो निदेशक, मंडी समिति को अपनी बात स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे उपविधि बना सकता है अथवा ऐसे उपविधियों में संशोधन कर सकता है और उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी आदेश के अधीन ऐसे उपविधि अथवा उपविधियों के ऐसे संशोधन इस अध्यादेश के प्रावधानों अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत मंडी समिति द्वारा बनाए गये अथवा संशोधित माने जाएंगे और इसके तत्काल पश्चात ऐसे उपविधि या संशोधन मंडी समिति पर बाध्यकारी होंगे।

(3)

निदेशक के उप धारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील सरकार को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी और ऐसी अपील पर सरकार का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

मंडी समिति द्वारा पारित संकल्प अथवा जारी किए आदेश को क्रियान्वित करने से रोकने अथवा पुनः आगे क्रियान्वित करने के लिए प्रबन्ध निदेशक की शक्ति।

124.(1)

प्रबन्ध निदेशक स्वयं अथवा रिपोर्ट या शिकायतें प्राप्त होने पर आदेश द्वारा मंडी समिति अथवा उसके अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी अथवा सेवकों द्वारा पारित संकल्प को क्रियान्वित करने अथवा उसे अग्रतर क्रियान्वित करने से निषेध कर सकता है, यदि उसका यह विचार हो कि इस प्रकार का संकल्प अथवा आदेश जनहित में हानिकारक है अथवा उसके कारण मंडी प्रांगणों या उपमंडी प्रांगणों के बेहतर कार्य संचालन में बाधा आ सकती है अथवा वह अध्यादेश के प्रावधानों नियमों या उसके अन्तर्गत बनाए गए उपविधियों के विरुद्ध है।

- (2) जहां उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित आदेश द्वारा किसी संकल्प अथवा आदेश को क्रियान्वित करने और उसका अग्रेतर क्रियान्वयन जारी रखने से रोका गया हो तो मंडी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपेक्षित ऐसी कार्रवाई करेगी जोकि मंडी समिति उस समय करने की हकदार होती, यदि यह संकल्प अथवा आदेश पारित न किया गया होता और जोकि अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवकों को संकल्प या आदेश के अन्तर्गत कुछ भी करने अथवा करना जारी रखने के लिए आवश्यक है।

मंडी समिति और प्रबन्ध निदेशक/निदेशक की कार्रवाइयों की मांग करने की शक्ति।

125.(1)

निदेशक/प्रबन्ध निदेशक स्वयंमेव अथवा उसको किए आवेदन के आधार पर किसी मंडी समिति की कार्यवाही की मांग कर जांच कर सकता है और सरकार स्वयंमेव अथवा उसे किए गए आवेदन के आधार पर निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय अथवा पारित किए गए आदेश की वैधता के संबंध में अथवा मंडी समिति के अथवा निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, जैसा भी मामला हो, की कार्यवाहियों की मांग कर अपने समाधान हेतु नियमितता के संबंध में जांच कर सकता है। यदि किसी मामले में निदेशक/प्रबन्ध निदेशक या सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसे किसी निर्णय अथवा आदेश अथवा कार्यवाही की मांग को संशोधित, समाप्त, परिवर्तित किया जाना चाहिए या पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए तो वह इस आशय का, जैसा भी उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है:

परंतु यह कि धारा के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार को किया गया प्रत्येक आवेदन उस तारीख से, जिस तारीख को यह निर्णय अथवा आदेश, जिससे यह आवेदन संबंधित है, आवेदक को सूचित कर दिया गया था, से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु यह और कि इस से प्रभावित होने वाले पक्ष का युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए बिना उपधारा (1) के अन्तर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

- (2) सरकार उपधारा (1) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडी समिति/निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय अथवा पारित किए गए आदेश के निष्पादन

को निलम्बित कर सकता है।

हानि, बरबादी अथवा 126.(1)
दुरुनियोज्य आदि के
लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सदस्यों और
कर्मचारियों की
जिम्मेदारी।

यदि धारा 117 के अन्तर्गत की गई जांच पड़ताल अथवा निरीक्षण से या इस अध्यादेश के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे मंडी समिति के प्रबन्धन का कार्य सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था अथवा किसी दिवंगत अथवा वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रभारी अधिकारी अथवा मंडी को किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सहमति अथवा स्वीकृति द्वारा अथवा उससे संबंधित किसी सहमति मत अथवा कार्रवाई में भाग लेते हुए कोई भुगतान करने का ऐसी समिति से संबंधित अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी धनराशि का अथवा किसी सम्पत्ति का अनुप्रयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का निर्देश दिया है जो इस अध्यादेश अथवा नियमों अथवा उनके अन्तर्गत बनाए गए उपविधियों के विरुद्ध है, उसने मंडी समिति से संबंधित किसी धनराशि अथवा सम्पत्ति में घोर लापरवाही से कमी या हानि पहुँचाई है अथवा दुर्विनियोजन किया है अथवा कपटपूर्ण द्वारा अपने पास रख लिया है, तो निदेशक/प्रबन्ध निदेशक अपने विवेक के आधार पर या मंडी समिति के द्वारा इस आशय का आवेदन करने पर निदेशक स्वयं इसकी जांच कर सकता है या वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत करके ऐसे व्यक्ति के आचरण के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट जांच पड़ताल अथवा निरीक्षण, जैसा भी मामला हो, की तारीख से दो वर्षों के भीतर जांच करने के निर्देश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत की गई जांच के आधार पर यदि निदेशक/प्रबन्ध निदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि इसके आधार पर आदेश जारी करने के पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति को अथवा दिवंगत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि जिसे उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार मिला है, को धनराशि या सम्पत्ति और उससे संबंधित किसी भाग को ऐसी ब्याज दर सहित वापस करने अथवा अपना अंशदान और लागत अथवा प्रतिपूर्ति की राशि उस सीमा तक जितना कि वह न्याय संगत और समतुल्य समझे, का भुगतान करने का आदेश दे सकता है:

परन्तु यह कि संबंधित व्यक्ति को इस मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस उपधारा के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि दिवंगत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की देयता दिवंगत की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगी जितनी ऐसे विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त की गई है।

- (3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश से व्यथित हो, वह उसे सूचित किए गए आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकता है और जिसका आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा;

परन्तु यह कि समय सीमा की गणना में ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की प्रति प्राप्त करने का समय छोड़ दिया जायेगा।

- (4) उपधारा (2) अथवा उपधारा (3) के अंतर्गत पारित किसी आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

- (5) निदेशक/प्रबंध निदेशक के आवेदन पर उपधारा (2) अथवा उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किसी आदेश को स्थानीय क्षेत्राधिकार वाली किसी सिविल न्यायालय द्वारा उसी ढंग से लागू किया जाएगा जैसा कि वह ऐसे न्यायालय का डिक्री हो अथवा ऐसे आदेश द्वारा किसी राशि को जिस प्रकार अदा करने का निर्देश दिया गया हो, उसे भू-राजस्व के बकाया के भौति वसूल किया जा सकेगा।

अनुसूची में संशोधन करने के लिए सरकार की शक्ति।

सरकार एक अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उपज और पशुधन की किसी मद को जोड़ सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है अथवा उसे हटा सकता है और उसके बाद तदनुसार अनुसूची को संशोधित किया हुआ माना जाएगा;

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत कोई भी अधिसूचना सरकार की ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना जैसा की सरकार युक्तियुक्त समझे, राजपत्र में प्रकाशित किए बिना जारी नहीं की जाएगी।

निदेश देने की सरकार की शक्ति।

128. (1) सरकार बोर्ड और मंडी समिति को निदेश दे सकता है।
(2) बोर्ड और मंडी समितियां सरकार द्वारा उपधारा (1) के

- अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी।
129. **बोर्ड/मंडी समिति को देय बकाया राशि की वसूली** इस अध्यादेश अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत मंडी समिति अथवा बोर्ड को किसी प्रकार के प्रभार, लागत, खर्च, शुल्क, किराया और किसी भी अन्य कारण से देय राशि की वसूली भूमि राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।
130. **मंडी समिति एवं बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी का लोक सेवक होना।** मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अन्य अधिकारियों और सेवकों तथा बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य सेवकों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का क्रमांक 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
131. **सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन।** सरकार इस अध्यादेश के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति धारा 136 के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, सरकार के किसी अधिकारी, जो कि निदेशक के पद से निम्न का नहीं होगा, को प्रत्यायोजित कर सकती है।
इस धारा के अन्तर्गत जिस अधिकारी को इस तरह शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वह सरकार के किसी अधिकारी को जो कि राज्य के उपनिदेशक के पद से अथवा भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून के स्तर का नहीं होगा, को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।
132. **जनहित में व सद्भावपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सिविल मुकदमों पर रोक एवं सुरक्षा।** इस अध्यादेश अथवा इसके अधीन बनाये नियम अथवा बनाए गए उपविधियों के अन्तर्गत सद्भावपूर्ण किए गए किसी कार्य के संबंध में अथवा किए जाने की आशयित किसी बात के संबंध में निदेशक/प्रबन्ध निदेशक अथवा सरकार अथवा बोर्ड अथवा किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी अथवा निदेशक/प्रबन्ध निदेशक ऐसे अधिकारी अथवा ऐसी समिति के निर्देशों के अन्तर्गत अथवा उनके अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
133. **नोटिस के अभाव में मुकदमा चलाने पर रोक।** किसी अधिनियम की किसी धारा में किसी भी बात के होते हुए भी बोर्ड या मंडी समिति के विरुद्ध कोई वाद जब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि लिखित में दिए गए

- नोटिस, जिसमें कार्रवाई का कारण, इच्छुक वादी का नाम व निवास स्थान का विवरण दिया गया हो, के बाद दो माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार का प्रत्येक वाद, जब तक कि यह कथित कारण अथवा कार्रवाई होने की तारीख से छह माह के भीतर न किया गया हो, निरस्त कर दिया जाएगा।
134. सूचना देने और सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मंडी समिति को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को बिना किसी प्रभार के अपने अथवा अपने अधिकारियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में आने वाली या क्षेत्र से बाहर जाने वाली कृषि उपज की जानकारी देगा। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों जो की चुंगी वसूली करने से सम्बंधित हैं का यह भी कर्तव्य होगा कि वह मंडी समिति के किसी अधिकारी इस अध्यादेश के अन्तर्गत अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए हर संभव सहायता देगा।
135. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण कार्यवाही का अमान्य न होना। बोर्ड द्वारा, मंडी समिति द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त उप समिति द्वारा इस अध्यादेश के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई केवल निम्नलिखित आधार पर अमान्य होगी कि:—
(क) बोर्ड अथवा उप समिति के गठन में किसी प्रकार की रिक्ति अथवा त्रुटि होने पर; अथवा
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि अथवा अनियमितता पाए जाने पर;
(ग) ऐसे अधिनियम और कार्रवाई में किसी तरह का त्रुटि अथवा अनियमितताएं, जिससे मामले पर सारभूत असर न पड़ता हो।

अध्याय—XIII

नियम और उपविधि

- 136.(1) नियम बनाने की शक्ति सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध बना सकते हैं:-
- (i) क्रमशः धारा 8 और 9 के अन्तर्गत वार्षिक आय और अवसंरचना के आधार पर "राष्ट्रीय महत्व के मंडी प्रांगणों" और "विशेष वस्तु मंडी प्रांगणों" की घोषणा करना और इस सम्बन्ध में मंडी समिति का गठन करना,
- (ii) धारा 14(4) के अन्तर्गत वार्षिक उत्पाद एवं आय और अवसंरचना के आधार पर मंडी समिति का वर्गीकरण;
- (iii) धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रथम मंडी समिति और अनुवर्ती मंडी समिति के गठन की प्रक्रिया तथा प्रतिनिधियों की योग्यता;
- (iv) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषक सदस्यों व अन्य सदस्यों के लिए चुनाव और उनके सम्बन्ध में सीटों का आरक्षण;
- (v) मंडी समिति की बैठक, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की छुट्टी, कोरम मण्डी समिति की शक्तियां और कर्तव्य;
- (vi) धारा 42 के अन्तर्गत उपसमिति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन, धारा 48 के अन्तर्गत संविदा करने का ढंग, और धारा 50 के अन्तर्गत मंडी समिति के सचिव की नियुक्ति
- (vii) सभी तरह के बाटों और पैमाइशों तथा मंडी प्रांगणों में प्रयुक्त तुलाई और पैमाइश उपकरणों की आवधिक जांच;
- (viii) धारा 51 के अन्तर्गत मंडी समिति के सचिव की शक्तियां और कर्तव्य, मंडी समिति के लेखाकार और स्टाफ की नियुक्ति, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि;
- (ix) धारा 64(2) के खंड (i) के अन्तर्गत बिक्री की मात्रा निश्चित करना;
- (x) मंडी शुल्क वसूल करने, मंडी शुल्क अदा न करने के लिए जुर्माना और रिटर्न प्रस्तुत करने में दोषी होने पर मंडी शुल्क के मूल्यांकन की प्रक्रिया;
- (xi) धारा 69 के अन्तर्गत व्यापारियों के अतिरिक्त मंडी पदाधिकारियों के लाइसेंस मंजूर करने/नवीनीकरण करने और निलंबित/निरस्त करने की प्रक्रिया;

- (xii) धारा 70 और 71 के अन्तर्गत एकीकृत एकल ट्रेडिंग लाइसेंस मंजूर करना उसका नवीनीकरण करना/निलंबन/निरस्त करना;
- (xiii) धारा 72 के अन्तर्गत अन्तर्राज्य व्यापार हेतु एकीकृत एकल ट्रेडिंग लाइसेंस को अनुमति तथा उसकी ब्लैक लिस्टिंग करना।
- (xiv) निजी मंडी प्रांगण, कृषक-उपभोक्ता मंडी प्रांगण, मंडी उपप्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए लाइसेंसों की मंजूरी/नवीकरण और प्रत्यक्ष विपणन के लिए उसके निलंबन/निरस्तीकरण की प्रक्रिया;
- (xv) थोक बिक्री तदर्थ क्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें;
- (xvi) वेयरहाउस/साइलोज/शीतगृहों अथवा ऐसी अन्य अवसंरचना अथवा किसी स्थान को मंडी उपप्रांगण घोषित करने के लिए प्रक्रिया निबंधन और शर्तें।
- (xvii) व्यक्तियों के लिए प्रावधान जिसके द्वारा और जिस रूप में दस्तावेजों की प्रतियों तथा मंडी समिति की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जाएगा और ऐसी प्रतियों को दिये जाने के लिए शुल्क;
- (xviii) मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के किसी तरह के लेनदेन में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा प्राप्त किया गया व्यापार भत्ता;
- (xix) लाइसेंसधारियों के मध्य और लाइसेंसधारियों और मंडी समिति के मध्य विवाद निपटान का ढंग;
- (xx) अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के क्रेता और विक्रेता अथवा उनके एजेंटों के बीच किसी तरह के विवाद तथा वस्तुओं की गुणवत्ता अथवा उनके वजन से संबन्धित विवादों के बीच बेची गई वस्तुओं के मूल्य के सम्बन्ध तथा रैपिंग में आये खर्च का भुगतान कंटेनर्स, धूल मिट्टी अथवा अशुद्धता अथवा किसी कारण से की गई कटौती के विवाद को मध्यस्थता द्वारा अन्यथा रूप में निपटाने की सुविधाएं;
- (xxi) मंडी समिति के खर्च पर आंशिक रूप से अथवा सम्पूर्ण रूप से निर्माण कार्यों के लिए योजनाएं और अनुमान तैयार करना और ऐसी योजनाओं और अनुमानों को स्वीकृति प्रदान करना;
- (xxii) रीति जिस में मंडी समिति के लेखे रखे जाएंगे,

लेखा परीक्षा और ऐसी लेखापरीक्षा का प्रकाशन और लेखों के लेखा परीक्षा ज्ञापन का निरीक्षण और;

(xxiii) मंडी समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक बजट रिपोर्ट और रिटर्न और धारा 97 (2) (v) के अन्तर्गत बोर्ड के लेखों का रखरखाव करने से सम्बन्धित मामलों की मंजूरी के लिए तैयारी करना और उन्हें प्रस्तुत करना;

(xxiv) समय और रीति जिसके अन्तर्गत कोई व्यापारी या कमीशन एजेंट मंडी समिति को उसके द्वारा अपेक्षित अनुसार ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करेगा;

(xxv) निजी क्षेत्र सहित जॉच प्रयोगशालायें स्थापित करने और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को बढ़ावा देने की प्रक्रिया। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के तकनीकी सदस्य को मिलाकर समिति का गठन करना;

(xxvi) ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म के लिए आवश्यक अवसंरचना और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराना;

(xxvii) मंडी समिति और अन्य लाइसेंसधारकों द्वारा कृषि उपज की आवक और मूल्यों के बारे में रिकार्ड रखना;

(xxviii) वह ढंग जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी सहित कृषि उपज की नीलामी की जाएगी और बोली; जाएगी और स्वीकृत की जाएगी;

(xxix) इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत वसूलनीय शुल्क की वसूली और निस्तारण;

(xxx) इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा उपविधियों के अन्तर्गत अपराधों की शमन करना और क्षतिपूर्ति निर्धारित करना;

(xxxi) राज्य कृषि विपणन सेवाओं के गठन की विधि;

(xxxii) भर्ती, योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, अवकाश भत्ता, कार्य भत्ता, ऋण, पेंशन, गेच्युटी, एन्नुअटी, कम्पेंशिनेट फंड, बरखास्तगी, पदच्युति, आचरण, विभागीय दण्ड, अपील और सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें;

(xxxiii) बैठकों आदि में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय मानदेय, यात्रा भत्तों, बैठक फीस और अन्य भुगतानों की सीमाएं;

(xxxiv) मंडी समिति कोष में अधिशेष (सरप्लस) के निवेश की विधि;

(xxxv) निजी मंडी यार्ड, मंडी उपप्रांगण, इलक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म और प्रत्यक्ष विपणन से विकास फंड के लाइसेंसधारकों द्वारा किए जाने वाले अंशदान और उससे सम्बन्धित व्यय का ढंग और निबन्धन और शर्तें;

(xxxvi) उपविधि बनाने और उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें निरस्त करने तथा उनके पूर्व और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया;

(xxxvii) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों का कार्यकाल;

(xxxviii) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां;

(xxxix) ऐसे सभी मामले जिनको इस अध्यादेश के अन्तर्गत नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो;

(xl) इस अध्यादेश के अन्तर्गत नोटिस देने का तरीका;

(xli) सामान्यतः मंडी समिति के मार्गदर्शन के लिए नियम।
(3) नियम बनाते समय सरकार यह निर्देश दे सकती है कि उल्लंघन की दशा में दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) इस अध्यादेश के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

उपविधियों बनाने की शक्ति 137.(1)

इस अध्यादेश के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन मंडी समिति अपने प्रबंधाधीन प्रमुख मंडी प्रांगण और उपमंडी प्रांगण के सम्बन्ध में निम्नलिखित हेतु उपविधि बना सकती है:—

(i) मंडी समिति के कार्य का विनियमन;

(ii) प्रमुख मण्डी प्रांगण और उपमंडी प्रांगण में व्यापार करने की शर्तें;

(iii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का प्रत्यायोजन, उनकी नियुक्ति, वेतन, दण्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, अवकाश भत्ते तथा उपर्युक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि में उनके द्वारा किए गए अंशदान तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें;

(iv) उप समिति, यदि कोई हो, को शक्तियों कर्तव्यों और कार्यों का प्रत्यायोजन;

(v) व्यापारियों के अलावा, मंडी पदाधिकारी, जिन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक होगा;

(vi) ई-व्यापार के प्रावधानों व उनसे संबन्धित गतिविधियों और सेवाओं का कार्यक्षम बनाना और उन्हें विनियमित करना;

(vii) अन्य दूसरे मामले जिनके लिए इस अध्यादेश के अन्तर्गत उपविधि बनाना अपेक्षित हो अथवा इस अध्यादेश के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपविधि बनाना आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई भी उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी गई हो।

(3) कोई भी उपविधि बनाते समय मंडी समिति यह निर्देश दे सकती है कि इस सम्बन्ध में किसी तरह के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है जोकि दो हजार रुपये तक हो सकता है और जहां यह उल्लंघन निरन्तर होता है तो इसके लिए पुनः जुर्माना लगाया जा सकता है जोकि पहली बार उल्लंघन के बाद लगातार होने वाले उल्लंघन के लिए प्रतिदिन के लिए 200 (दो सौ) रु०का जुर्माना हो सकता है।

अध्याय-XIV

निरसन तथा व्यावृत्तियों

निरसन तथा व्यावृत्तियों

138.(1) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(i) इसके कारण घोषित किया गया कोई पूर्व प्रचालित अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेगा और किसी ऐसे विधि द्वारा अथवा उसके प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्रवाही (नियम के अन्तर्गत की गई किसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन या की गई घोषणा, जारी की गई अधिसूचना, निर्देश अथवा बनाए गए उपविधियों के द्वारा घोषित, स्थापित या अधिसूचित किए गए मंडी क्षेत्र, मंडियां, उपमंडियां और प्रांगण, दिए गए लाइसेंस द्वारा वसूल किये गये शुल्कों, निस्पादित उपकरणों, किसी तरह के स्थापित अथवा गठित कोष सहित) को जहां तक कि वह अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, इस अध्यादेश

के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया अथवा की गई कार्यवाही माना जाएगा और वह तब तक लागू रहेगा जब तक की इस अध्यादेश के अन्तर्गत किए गए किसी कार्य से अथवा की गई कार्यवाही से उसका अधिकमण न हुआ हो

(ii) सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो कि उसे निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवश्यक और समीचीन लगता है।

(क) निरसित अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों को हटाना, उनमें कुछ जोड़ने, अनुकूलन करने और संशोधन करने के लिए; और

(ख) उस प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को निर्दिष्ट करने जो कि अवैध घोषित किए गए कानून अथवा नियमों अधिसूचनाओं और उनके अन्तर्गत जारी आदेशों, जैसाकि अधिसूचना में उल्लेख किया गया हो, के अनुसार किए जा सकने वाले कार्यों को करने के लिए सक्षम हो।

(iii) जब तक कि सरकार अन्यथा रूप से निर्देश न दें तब तक खंड (1) में उल्लिखित मंडी समिति और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति के सदस्य निरसित अधिनियम के अन्तर्गत अपना कार्यकाल पूरा होने तक अथवा इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार मंडी समिति का गठन होने तक, जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे।

(iv) उपधारा (2) के खंड (ii) के अन्तर्गत निर्देश जारी होने के बाद इस धारा के उपबंध के निर्देशों में विनिर्दिष्ट तारीख से उस तरह से लागू होंगे जैसे कि उस तारीख को मंडी समिति भंग की गई हो।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति

139.

यदि इस अध्यादेश के प्रावधान को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आवश्यकतानुसार आदेश द्वारा जो कि इस अध्यादेश के असंगत न हो, कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकता है जोकि कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत होती हो।

बेबी रानी मौर्य

राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

No. 146/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020

Dated Dehradun, May 09, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand State Agricultural Produce And Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020' (Uttarakhand Ordinance NO. 02 of 2020)

As assented to by the Governor on 09 May, 2020.

**THE UTTARAKHAND STATE AGRICULTURAL PRODUCE AND LIVESTOCK
MARKETING (PROMOTION & FACILITATION) ORDINANCE, 2020**

(UTTARAKHAND ORDINANCE NO. 02 OF 2020)

**PROMULGATED BY THE GOVERNOR IN THE SEVENTY FIRST YEAR OF THE
REPUBLIC OF INDIA**

**AN
ORDINANCE**

to provide for geographically restriction-free trade transaction of agricultural produce including livestock across the Uttarakhand State; to give freedom to the agriculturists to sell their produce across time and space; to enhance transparency in trade operations and price settlement mechanism through adoption of electronic and other innovative form of technology; to promote emergence of multiple channels for competitive marketing, agri-processing and agricultural export; to encourage investments in development of markets and marketing infrastructure in the State of Uttarakhand; and whereas it is expedient to put in place facilitative regulation, professional management and conducive policy framework therefor and purposes connected therewith and to lay down procedures and systems thereto.

Where as, State legislative assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action,

Now, therefor, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to promulgate the following ordinance.

CHAPTER -I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Ordinance may be called "The Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Ordinance, 2020.

(2) It extends to the whole of State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definition.

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context -

(1) "Administration" means an administration of State Government;

(2) "Ad-hoc buyer" includes a buyer to be registered under Section 79 of this Ordinance;

(3) "Agricultural produce" includes all produce, whether processed or not, of agriculture, horticulture, apiculture, forest excluding trees grown on private land, specified in the schedule ;

(4) "Agriculturist " means a person who is engaged in production of agricultural produce including rearing of livestock by himself or by hired labour or otherwise, including tenant;

"Agriculturist" also includes association of farmers, by whatever name called, registered under any law for the time being in force and is engaged in aggregation of member farmers' produce including livestock;

(Explanation: If a question arises, as to whether any person is an agriculturist or not for the purpose of this Ordinance, the decision of the District Collector / Deputy Commissioner/ District Magistrate/ Officer In-charge of Land Revenue of the District by whatever name it may be called in which such person is engaged in production of agricultural produce and/or rearing of livestock, shall be final. Further, the expressions of land holder and tenant shall have the meaning assigned to them in the respective Land Reforms Ordinance of the States).

-
- (5) **“Assaying lab”** means a laboratory set up, as prescribed in the Rules/Bye-laws/guidelines/instructions, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the competent authority;
- (6) **“Board”** means the Marketing Board, established by Uttarakhand State Government;
- (7) **“Buyer”** means a person, who himself or itself or on behalf of any person or agent buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;
- (8) **“Bye-laws”** means subject to any Rules made by State Government under this Ordinance, the Market Committee may, in respect of principal market yard and sub-market yard(s) or other sub market- yard(s) under its management, make Bye-laws for the regulation of business and conditions of trading therein”;
- (9) **“Cold storage”** means cold storage declared as market sub-yard under Section 12 of this Ordinance”;
- (10) **“Commission agent”** means a person who buys or sells agricultural produce including livestock on behalf of his principal, or facilitates buying and selling at primary and other level of transaction, on e-platform or any other mode of transaction and activities ancillary thereto, keeps it in his custody and controls it during the process of its sale or purchase, and collects payment thereof, if required, from the buyer and pays it to the seller, and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction;
- (11) **“Delineated Market Area”** means a geographical area notified under Section 5 for the purpose of election of the Members of Market Committee and undertaking marketing related development therein;

- (12) **“Director”** means Director of Agricultural Marketing or any other officer, excepting Managing Director of State Agricultural Marketing Board, appointed by the State Government, by notification to exercise and/or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Ordinance or the Rules, as may be prescribed in notification;
- (13) **“Direct marketing”** in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, bulk buyers, etc outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard and market sub-yard under Section 13 of this Ordinance;
- (14) **“Electronic trading”** means trading of notified agricultural produce including livestock in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network/ internet;
- (15) **“Electronic trading platform”** means electronic platform set up either by State Government or its agencies or a person licenced under Section 54 for conducting trading in notified agricultural produce including livestock through electronic media or by any means of communication in which registration, buying and selling, billing, booking, contracting and negotiating are carried out online through computer network/ internet or any other such electronic device;
- (16) **“Export”** means dispatch of agricultural produce including livestock outside India;
- (17) **“Farmer-Consumer Market Yard”** means market yard established under Section 11 of this Ordinance ;

- (18) **“Farmer-Producer Company (FPC)”** means a company of farmer-producer members as defined in Section IXA of the Indian Companies Act, 1956, including any amendments thereto, re-enactment thereof and incorporated with the Registrar of Companies;
- (19) **“Government”** means the State Government;
- (20) **“Government Agency”** means State Agricultural Marketing Department/ Directorate, State Agricultural Marketing Board (SAMB), Agricultural Produce and Livestock Market Committee (APLMC) established or constituted under this Ordinance;
- (21) **“Licence”** means licence granted under the provisions of this Ordinance;
- (22) **“Licensee”** means a person holding a licence issued under the provisions of this Ordinance;
- (23) **“Livestock”** means cows, buffaloes, bullocks, bulls, goats and sheep, and includes poultry, fish and such other animals, and products thereof, specified in the schedule ;
- (24) **“Managing Director”** means Managing Director of the State Agricultural Marketing Board or any other Officer, except the Director of Agricultural Marketing, appointed by the State Government, to exercise and/or perform such of the powers and functions of the Managing Director or Chief Administrator or Administrator or Chief Executive Officer or Secretary, or by whatever name it is called, of the State Agricultural Marketing Board;
- (25) **“Market Committee”** means the Agricultural Produce and Livestock Market Committee established under the provisions of this Ordinance or established under existing regulation;

- (26) **"Marketing"** in relation to Agriculture Produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;
- (27) **"Market Sub-Yard"** means warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place declared to be market sub-yard or deem to be market sub-yard under Section 12;
- (28) **"Market Yard"** in relation to delineated market area includes principal market yard, sub -market yard and market sub-yard in such delineated market area notified by the Government, and managed & operated by the Agricultural Produce and Livestock Market Committee;
- (29) **"Market Yard of National Importance"** means a market yard as notified under Section 9 of this Ordinance;
- (30) **"National Agriculture Market (NAM)"** means an integrated market, without prejudice to any law for the time being in force, where buying and selling of notified agricultural produce including livestock and activities incidental thereto are carried out in India possessing marketing utility across time and space";
- (31) **"Notified Agricultural Produce and Livestock"** means agricultural produce and livestock, specified in the schedule of this Ordinance t;
- (32) **"Over trading"** in relation to a trader means the amount exceeding the value of the agricultural produce including livestock purchased at any point of time vis-à-vis to the amount of security deposited with or the bank guarantee he has furnished to the Market Committee;

- (33) **“Person”** includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;
- (34) **“Petty Trader”** in relation to agricultural produce means a non licensee trader under this Ordinance who carries on purchasing or selling of notified agricultural produce in the quantity not exceeding of such quantity as specified in this Ordinance and notified by the State Government as retail;
- (35) **“Prescribed”** means prescribed by Rules and/or Bye-laws made under this Ordinance;
- (36) **“Private Market Yard”** means a market yard established under Section 10 of this Ordinance;
- (37) **“Processing Unit”** means processing unit declared as market sub-yard under Section 12 of this Ordinance”;
- (38) **“Processor”** in relation to agriculture produce means a person that undertakes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;
- (39) **“Registration”** means registration made under this Ordinance for the purpose as specified;
- (40) **“Regulation”** means regulation made by the Board under Section 98 of this Ordinance;
- (41) **“Retail Sale”** in relation to a notified agricultural produce means, a sale not exceeding such quantity as specified in this Ordinance and notified by the State Government;
- (42) **“Revolving Market Development Fund”** means a non-lapsable Fund maintained by Director under Section 112 (1) of this Ordinance;

- (43) **“Rules”** means rules made under this Ordinance by the State Government ;
- (44) **“Seller”** means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock for consideration of price;
- (45) **“Schedule”** means the Schedule appended to this Ordinance;
- (46) **“Silo”** means silo declared as market sub-yard under Section 12 of this Ordinance ;
- (47) **“Special Commodity Market Yard”** means a market yard as notified under Section 8 of this Ordinance;
- (48) **“State”** means Uttarakhand State;
- (49) **“Trader”** means, a person who buys notified agricultural produce including livestock either for himself or as an agent of one or more persons for the purpose of selling, processing, manufacturing or for any other purpose, as the case may be , except for the purpose of domestic consumption ;
- (50) **“Year”** means the year as may be notified by the State Government ;
- (51) **“Warehouse”** means warehouse declared as market sub-yard under Section 12 of this Ordinance”.

CHAPTER-II**ESTABLISHMENT OF MARKETS**

Notification of Intention regulating marketing of specified agricultural produce and livestock.

3.(1) The State Government may, by notification in the official gazette, declare its intention of regulating the marketing of such agricultural produce and livestock, in the State, as may be specified in the notification. The notification may be brought to the notice of the interested public by publishing in local language & English on widely circulated platforms/ media like newspapers, websites and such other formats:

Provided that no area within the limits of a municipality shall be included for regulation under this Ordinance except after consultation with the municipal Board or municipal council, as the case may be.

- (2) The notification under sub-section (1) shall state that any objections or suggestions which may be received by the Government within such period as shall be specified in the notification, not being less than thirty days, will be considered by the Government.
- (3) Government may hold consultations with Local bodies, including Panchayati Raj Institutions (PRIs) and autonomous district councils who own and operate rural periodical markets or haats or any other such markets for marketing of agricultural produce and livestock within their jurisdictional area, to bring such markets under the regulation of this Ordinance, so as to develop these markets to efficiently function as marketing platform nearest to the farm gate.

Declaration of whole State as one unified market area.

4. Subject to the notification made under Section 3 and after considering such objections and suggestions as may be received from any source before expiry of such period, the Government may, by another notification, declare the whole State as one unified market area specified in the notification issued under Section 3 of this Ordinance for the purpose of regulation of marketing of all or any of the kinds of agricultural produce and Livestock.

Explanation: The area so declared shall be a single unified market area for the whole State for regulation of marketing of notified agricultural produce and livestock.

Notification of delineated market area.

5. Subject to the provision made in Sections 3 and 4, the Government may, by further notification, delineate geographical area for a Market Committee as a delineated market area for the purpose of selection of the Members of such Market Committee and undertaking development activities therein.

Explanation: The Market Committee shall not regulate marketing of notified agricultural produce and livestock in its delineated market area. The Market Committee will enforce regulation on marketing of notified agricultural produce and livestock within the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s).

**Alteration/
Amalgamation of
delineated market
area and of items of
agricultural produce
and livestock.**

6.(1)

Subject to the procedure specified in Sections 3 and 5, Government may, at any time by notification, exclude from any delineated market area, any area or include therein an additional area or split one delineated market area in two or more such areas or amalgamate two or more such areas in one delineated market area, or may exclude any notified agricultural produce and livestock from regulation, or include any agricultural produce and livestock, hitherto not regulated, for regulation under this Ordinance.

(2)

After the alteration of delineated market area or the items of agricultural produce and livestock, if any, under this Section, it shall not be necessary for the Director to make any declaration under this section unless he is of the opinion that it is necessary to declare any area, hitherto not declared, as delineated market area of any Market Committee.

**Principal market
yard, sub-market
yard, market sub-
yard, private market
yard, private market
sub-yard, farmer-
consumer market
yard, private farmer-
consumer market and
electronic trading
platform.**

7. (1) The State there may be-

- (a) principal market yard(s) managed by the Market Committee;
- (b) sub-market yard(s) managed by the Market Committee;
- (c) market sub-yard (s) managed by the Market Committee;
- (d) private market yard(s) managed by a person, holding a licence under Section 10 ;
- (e) private market sub-yard(s) managed by a person, holding a licence under Section 12 ;
- (f) farmer-consumer market yard(s) managed by the Market Committee;
- (g) private farmer-consumer market yard(s) managed by a person, holding a licence under Section 11 ;
- (h) electronic trading platforms .

(2) The Government may, as soon as possible after the issue of notification under Sections 4 and 5, by a notification, declare any 'place' in the delineated market area as principal market yard or sub-market yard or market sub-yard or farmer-consumer market yard, as the case may be, managed by a Market Committee, for the purpose of regulation of marketing of notified agricultural produce and livestock, expressly or impliedly in physical, electronic or other such mode, under this Ordinance.
Explanation: In this sub-section, the expression 'place' shall include any structure, enclosure, open space locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning, grading & packaging and processing unit vested in the Market Committee of the delineated market area.

(3) The Government may, by notification, declare a 'place', licenced under Section 73, to be private market yard, private market sub-yard, private farmer-consumer market yard, as the case may be, for marketing of notified agricultural produce and livestock, expressly or impliedly in physical, electronic or other such mode, under this Ordinance.

Explanation: In this sub-section, the expression 'place' shall include any structure, enclosure, open space locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning grading & packaging and processing unit vested in the person licenced for the purpose under this Ordinance.

Establishment and notification of "Special Commodity Market Yard".

8. (1) Government may designate any existing market yard established under Section 7
 (2) as "Special Commodity Market Yard" or establish and notify any market yard as "Special Commodity Market Yard" after consideration of such aspects as throughput of particular agriculture produce and

livestock and special infrastructure requirements therefor. It may be-

- (i). fruits, vegetables & flowers markets, including onion market, apple market, orange market and such other market;
- (ii). cotton market;
- (iii). medicinal and aromatic plants market;
- (iv). livestock market including camel market, fish market, poultry market and such other market; and
- (v) any other such markets.

- (2) All provisions for and in relation to the Market Committee made in the Ordinance shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee established for "Special Commodity Market Yard".

Establishment and notification of "Market Yard of National Importance (MNI)".

9. Government may designate and notify the existing any market yard established under Section 7 (2) as "Market Yard of National Importance" or establish and notify any market as "Market Yard of National Importance" after consideration of such aspects as total throughput, value, upstream catchment area, down-stream number of consumers served and special infrastructure requirements therefor:

Provided that the market yard handling not less than such annual tonnage or such annual value, as may be prescribed, may be considered for conferring the status as the "Market Yard of National Importance".

Provided further that out of such annual tonnage or such annual value, 30 per cent may arrive from not less than two other States.

Establishment of private market yard.

10. (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director or the Officer authorized by him may grant a licence to a person to establish a private market yard, for trading of

notified agricultural produce and livestock.

(2) The private market yard licensee, or its management committee, by whatever name it is called, may register commission agents and other market functionaries to operate in the licenced private market yard.

(3) The private market yard licensee, or its management committee, may collect user charge on notified agricultural produce and livestock transacted in the private market yard, at the rate *ad valorem* not exceeding the rate as notified by the Government :

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

(4) The private market yard licensee shall contribute, of such user charge collection and registration fee, to the separate "Revolving Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with Market Committee.

(5) The Director will spend the money from such Fund under sub-section (4) in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

(6) The private market licensee shall formulate a Standard Operating Procedure (SOP) for conduct of business and activities ancillary thereto in the licenced private market yard.

**Establishment of
farmer- consumer
market yard
(direct**

11.(1)

Subject to such terms & conditions and fee, as may be prescribed, the Director or the Officer authorized by him, may grant licence to a person to establish farmer-consumer market yard for marketing of

sale of agricultural
produce by farmer
to consumer in
retail).

specified agricultural produce in retail.

- (2) Such farmer-consumer market yard may be established by a person by developing infrastructure, as may be prescribed, and at a place accessible to both farmer(s) and consumer(s):

Provided that the consumer shall not purchase more than such quantity of agriculture produce at a time in this market, as may be prescribed.

- (3) The farmer-consumer market yard licensee may collect the user charge on the sale of agriculture produce from the seller and amount so realized shall be retained by farmer-consumer market yard licensee:

Provided that Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

Declaring
warehouse/silos/
cold storage or
other such
structure or place
as market sub-
yard.

12. (1) Save as otherwise provided in this Ordinance, the Government may, by notification declare warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place with infrastructure and facilities as prescribed, to function as market sub- yard.

Explanation: the expression 'place' under this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including pack house/cleaning grading & processing unit etc.

- (2) The owner of such warehouse/ cold Storage, or other such structure or 'place', as the case may be, desirous of declaration of such place as market sub-yard under sub-section (1), shall apply to the Director or an Officer authorized by him, in such form and in such manner and such fee; and also for such period but not less than three years, as may be prescribed.
- (3) The licensee of such warehouse/ silos/ cold storage or other such structure or place, may collect user charge on notified agricultural produce transacted at the declared market sub-yard under Section 12, at the rate *ad valorem* not exceeding the rate as notified by the Government :

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

- (4) A declared market sub- yard licensee shall contribute, of such user charge collection, to the separate "Revolving Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with Market Committee. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Ordinance.

Direct marketing (wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub- market yard, private market yard).

13. (1) Collection/aggregation centres in the proximity of the production areas may be set up by a person with infrastructure, as may be prescribed, with linkages to retail chain, or processing/export unit/premises, or any other such unit/premises, as may be prescribed, in accordance with the provisions of this Ordinance and Rules made thereunder for marketing of notified agricultural produce.

- (2) Notwithstanding anything contained under sub-section (1), direct wholesale purchase can also be carried out outside the principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard by declaring the place of such purchase, without establishment of any permanent collection/ aggregation centre , as may be prescribed.
- (3) Direct marketing licensee shall have to maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and shall submit monthly report, as may be prescribed, to the Licensing Authority.
- (4) The Licensing Authority can seek any type of additional information from the direct marketing licensee; and can also inspect and issue direction relating to functioning of the such wholesale purchases and the activities incidental thereto.
- (5) The direct marketing licensee shall be liable to pay one-fourth of the applicable market fee on wholesale purchases made. The such licensee shall deposit the due amount towards "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director for the month by 7th day of the next month. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Ordinance.
- (6) Notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act, 1955 and Control Orders issued thereunder or any other law for the time being in force, the provision of stock limit shall not be applicable on such direct marketing licensee purchasing the agricultural produce for processing/ export to the extent of his/ its annual capacity of processing/ export. However, in case any dispute arises between the provisions of this Ordinance and Essential Commodities Act, 1955, the latter shall prevail.

CHAPTER-III

CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE

**Establishment of
Market
Committee and
its incorporation.**

14. (1) For every delineated market area, there shall be a Market Committee consisting of a Chairperson, a Vice-Chairperson and other Members.
- (2) Every Market Committee established under this Ordinance shall be a body corporate by such name as the Government may, by notification, specify. It shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall, subject to such restrictions as are imposed by or under this Ordinance, be competent to contract, acquire, hold, lease, sell or otherwise transfer any property, both immovable and movable and to do all other things necessary for the purpose for which it is established:

Provided that no immovable or moveable property the value of which exceeds the prescribed limits shall be acquired or disposed of by the Market Committee without the prior permission of the Director.

Provided further that the Director may, for the reason to be recorded in writing, revoke such permission before the completion of the acquisition or execution of the deed, as the case may be.

Provided also that Market Committee may, with the prior approval of the Director and after obtaining valuation certificate from the prescribed officer, enter into agreement with the owner of any land or building and purchase such land or building.

- (3) Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force, every Market Committee shall for all purposes, be deemed to be a local authority.

- (4) The Market Committee shall be classified by the Director, subject to the prescribed guidelines, considering throughput and other consideration as Director deems fit, for the purpose of laying down the norms for staff, establishment expenditure and other expenses and allowances required therefor.

Vesting of property of Local Authority in Market Committee.

15. (1) The Market Committee may require a local Authority to transfer to it any land or building belonging to the local Authority which is situated within the delineated market area and which, immediately before the establishment of the market yard was being used by the local Authority for the purposes of the market and the local Authority shall within one month of the receipt of the requisition, transfer the land or building, as the case may be, to the Market Committee on such terms as may be agreed between them.

- (2) Where within a period of thirty days from the date of receipt of requisition by the local Authority under sub-section (1) no agreement is reached between the local Authority and the Market Committee under the said sub-section, the land or building required by the Market Committee shall vest in the Market Committee for the purposes of this Ordinance and the Local authority shall be paid such compensation as may be determined by the Collector under sub-section (5):

Provided that no compensation shall be payable to a local Authority in respect of any land or building which had been vested in it by virtue of the provision contained in the enactment relating to the Constitution of such local Authority without payment of any amount whatsoever may be, for such vesting.

Provided further that any party aggrieved by the order of the Collector may within thirty days from the date of such order, appeal to the Government.

- (3) The local Authority shall deliver possession of the land or building vesting in the Market Committee under sub-section (2) within a period of seven days from such vesting and on failure of the local Authority to do so, within the period aforesaid, the Collector shall take possession of the land or building and cause it to be delivered to the Market Committee.
- (4) The Collector shall fix the amount of compensation for the land or building having regard to —
- (i) the annual rent for which the building might reasonably be expected to be let from year to year;
- (ii) the condition of the building;
- (iii) the amount of compensation paid by the Local Authority for the acquisition of such land; and
- (iv) the cost of the present value of any building erected or other work executed on the land by the Local Authority.
- (5) The compensation fixed under sub-section (4) may, at the option of the Market Committee, be paid in lump sum or in reasonable number of equal installments with interest thereon as the Collector may fix.

Acquisition of land for Market Committee and /or Board.

16. (1) When any land within the delineated market area is required for the purposes of this Ordinance, and the Board or the Market Committee is unable to acquire it by agreement, the Government may, at the request of the Board or the Market Committee, as the case may be, proceed to acquire such land under the provisions of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and/or any other relevant Law, as amended upto date and on the payment of the applicable compensation awarded under that Ordinance by the Board or Market Committee and of any other charges incurred by the Government in connection with the acquisition, the land

shall vest in the Board or the Market Committee, as the case may be:

Provided that once a proposal is made by the Market Committee, it shall not be withdrawn by it except for such reasons as may be approved by the Government.

- (2) The Board or the Market Committee shall not, without the previous sanction of the Government, transfer any land which has been acquired for this purpose by the Board or the Market Committee under sub-section (1) or divert such land to a purpose other than the purpose for which it has been acquired :

Provided that the premises used for principal market yard, sub- market yard or for the purpose of the Board shall not be deemed to be included in the limits of the Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area, Gram Panchayat or a Special Area Development Authority, as the case may be.

Constitution of the first Market Committee.

17. (1) The first Market Committee shall be constituted, for the first time for a delineated market area declared after commencement of this Ordinance, all the members thereof including Chairperson and Vice-Chairperson, shall be nominated by the Government. The first Market Committee so constituted may consist of Members including Chairman and Vice-Chairperson, not less than fifteen, which may include ten agriculturist members, as may be prescribed. Other five Members may be-

- (i) three Members , one each from departments of agriculture/ horticulture, cooperation and agricultural marketing of Government ;
- (ii) one member from cooperative marketing society; and
- (iii) one member from Local Authority (Mahanagarpalika, Nagarpalika, Panchayat

Samiti or Zila Parishad, as the case may be).

Provided that the Chairperson and Vice-Chairperson shall be so nominated from amongst the agriculturist members.

Provided further that Government may abide by the reservation policy of the Government in nomination of agriculturist Members.

Provided also that the Government may, if it considers expedient, instead of nominating the Members of the Market Committee constituted for the first time, appoint an Administrator or the Board of Administrators; so appointed, shall, for all purposes, be considered to be the market committee constituted for the first time.

- (2) Government or the Director shall, by an order, appoint a person to be the Officer-in-charge of the first Market Committee for a period not exceeding one year:

Provided that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by appointment of a person thereto by the Government or the Director and until such appointment is made, a person deputed/ nominated by the Director shall act as Officer-in-charge. The services of Officer-in-charge shall be coterminous with the first Market Committee.

- (3) The members including the Chairperson and Vice-Chairperson of the first Market Committee constituted under sub-section (1) shall hold office for a period not exceeding two year from the day of notification of constitution of the committee:

Provided that if new Market Committee is constituted before the expiry of period aforesaid ; Members including the Chairperson and Vice-Chairperson shall cease to function on the date appointed for the first general meeting of the newly constituted Market Committee.

Provided further that Government or the Director may, on proven misconduct, even before expiry of the period aforesaid , dismiss any Member including the Chairperson and Vice-Chairperson. In such event, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by nomination of a person thereto, as the case may be, by the Government or the Director.

Constitution of the second and subsequent Market Committee.

18. (1) Save as provided in Section 17, a Market Committee constituted for a term of five years from the date of notification of its constitution, shall consist of –

(a) a Chairperson and a Vice –Chairperson elected under Section 23;

(b) ten representatives of agriculturists possessing such qualifications, as may be prescribed, chosen by direct election from the constituencies of a delineated market area in accordance with the provisions of this Ordinance and the Rules made thereunder:

Provided that no agriculturist may be qualified to be elected as representative of agriculturists of the second Market Committee unless he has sold his agricultural produce at least once in preceding one year, or five times in five years for subsequent Market Committee, in the principal market yard or sub-market yard falling in the delineated market area.

(c) One representative of traders resident of a delineated market area, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licenced traders resident of such delineated market area:

Provided that no trader shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Ordinance or any other law for time being in force.

(d) One representative of licenced commission agent , possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licence holder commission agents , granted by the Market Committee:

Provided that no commission agent shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Ordinance or any other law for time being in force.

(e) One representative of the weighmen, hammals and other market functionaries, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licence holder weighmen, hammals and other market functionaries, granted by Market Committee:

Provided that no weighmen, hammals and other market functionaries shall be a voter of more than one Market Committee at a time.

Provided further that he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Ordinance or any other law for time being in force.

(2) Every Market Committee will have following other committee Members-

(a) One representative of the co-operative marketing society functioning in the delineated market area who shall be elected by the managing committee of such society:

Provided that if more than one such society functions

in the delineated market area, such Member shall be elected by all the Members of the managing committees of such societies.

Provided further that nothing in this clause shall apply if the managing committee of any society stands superseded under the provisions of the State Co-operative Societies Act.

(b) An officer of the agriculture/horticulture department of the Government to be nominated by the Director of Agriculture/Horticulture;

(c) One representative of the Gram Panchayat or Zilla Panchayat that falls within the jurisdiction of the delineated market area nominated by the Chairperson of the Zilla Panchayat:

Provided that in the Market Committee situated at the district headquarters, the representative shall be nominated from amongst the Members of the Zilla Panchayat only.

- (3) Only Members under sub-section (1) shall have a right to vote.
- (4) Government may make Rules for the preparation of voters' list and conduct of election.
- (5) Every election and nomination of the Member shall be notified by the Collector/ Director in the official gazette.
- (6) No person may be Member of the Market Committee more than two terms.

Division of delineated market area for constituencies and reservation of seat.

19. (1) The Collector shall, by notification or otherwise, divide a delineated market area into as much number of constituencies equal to the number of the representatives of the agriculturist to be chosen from such area but not less than ten.
- (2) In case of direct election for agriculturist Members to a Market Committee, reservation of seats for scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women will be as per the Government policy, as may be prescribed.

Qualification to vote and be the representative of agriculturist.

20. (1) Every person-
- (a) whose name is entered as land owner in the village land records or is a tenant as per the State's respective Land Reforms Act ;
- (b) who has completed the age of 18 years; and
- (c) whose name is included in the voter's list prepared under the provisions of this Ordinance and the Rules made there under, shall be qualified to vote at the election of a representative of agriculturists:

Provided that no person shall be eligible to vote in more than one constituency.

- (2) No person shall be qualified to be elected as a representative of agriculturists unless-
- (a) his name is included in the list of voters as agriculturist of the delineated market area;
- (b) he is otherwise not disqualified for being so elected under the provisions of this Ordinance or any other law for time being in force.

- (3) No person shall be eligible for election for more than one Market Committee or constituency as the case may be.
- Provision for election.** 21. Subject to the provisions of this Ordinance, the Chairperson, Vice-Chairperson, Members of the Market Committee shall be elected in the manner prescribed in the Rules. Such Rules may provide also for preparation and maintenance of the lists of voters and their qualification and disqualification, the payment of deposits and their forfeitures, reservation of seats and all matters connected thereto.
- Superintendence, direction and control of elections.** 22.(1) Subject to the directions of the Director, the superintended, direction and control of the preparation of the lists of voters for and the conduct of all elections to the Market Committee , shall be vested in the District Collector.
- (2) Government shall make available to the District Collector such staff and Funds as may be necessary for the discharge of the functions and responsibilities conferred on District Collector under this Ordinance.
- (3) All expenditure in connection with or incidental to the election of Chairperson, Vice-Chairperson and Members to the Market Committee shall be met from the consolidated Fund of the State.
- (4) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force , Government or State Election Commission or any other body authorized therefor may issue instructions relating to all matters connected with elections to the Market Committee including directions for cancellation of the calendar of events or postponement of polls.

Election of Chairperson and Vice-Chairperson.

23. (1) Every person shall , unless disqualified under the provisions of this Ordinance or any other law for time being in force , as the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Market Committee, be qualified to be elected by direct election by the persons qualified to vote for the election of representatives of agriculturists under Section 20, traders, commission agents and other market functionaries under Section 18:

Provided that no person shall be eligible for election as Chairperson and Vice-Chairperson unless he is qualified to be elected under Section 20.

- (2) Reservation of seats to election of the Chairperson and the Vice-Chairperson for scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women will be as per the Government policy, as may be prescribed.
- (3) No person shall be eligible to contest election simultaneously for office of the Chairperson, Vice-Chairperson and a Member.
- (4) If any delineated market area fails to elect a Chairperson and/ or Vice-Chairperson, fresh election proceedings shall be initiated to fill the office within six months :

Provided that pending the election of Chairperson under this sub-section the Vice-Chairperson elected shall discharge all the functions of the Chairperson.

Provided further that pending the election of Chairperson and Vice-Chairperson under this sub-section, the officer authorized by the Director shall discharge all the functions of the Chairperson.

Term of the office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

- 24.(1) The Chairperson, Vice-chairperson and elected Member shall, save as otherwise provided in this Ordinance, hold office for term of 5 years from the day of assuming the office or till the continuation of Market Committee, whichever is earlier.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person who is a nominated Member of Market Committee by virtue of being a representative of co-operative marketing society, agriculture/ horticulture department and Gram Panchayat or Zilla Panchayat, as the case may be, shall cease to be such member on his ceasing to be a Member of the managing committee of the society or Gram Panchayat or Zilla Panchayat concerned by efflux of his term of office or otherwise, or re-nomination by the department, as the case may be.
- Commencement of terms of office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.** 25. (1) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and elected Members of a Market Committee shall commence on the date immediately after the expiry of the term of office of the outgoing office bearer of the Market Committee or on the date of first meeting of the committee convened.
- (2) When not less than half of representative of agriculturists, and not less than half of total members to the Market Committee are available to function as Members after general election or at any time, the Market Committee shall, notwithstanding anything contained in this Ordinance, be deemed to be duly constituted or duly functional, and such Market Committee shall be competent to exercise the powers and perform the functions of the Market Committee.
- Resignation of Members.** 26. A Member of the Market Committee other than *ex officio* Member may resign from his membership in writing delivered or caused to be delivered to the Chairperson of the Market Committee who shall acknowledge the receipt of same and the seat of such Member shall become vacant on the expiry of fifteen days from the date of acknowledgement of resignation unless within such period such Member withdraws his resignation in writing addressed to the Chairperson.

**Resignation by
Chairperson and
Vice-Chairperson
and vacancy in
their office.**

27. (1) The Chairperson and Vice-Chairperson may resign from their office at any time in writing addressed to the Minister, in-charge of agricultural marketing and the Chairperson respectively; and the office shall become vacant on the expiry of fifteen clear days from the date of such resignation, unless within the said period of fifteen days they withdraw the resignation in writing addressed to the Minister, in-charge of agricultural marketing or Chairperson, as the case may be .

(2) During the vacancy caused by resignation, death ,removal or otherwise in the office of the Chairperson , the Vice-chairperson , shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly elected, and if the office of Vice Chairperson is also vacant, then notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Director may, with the prior approval of Minister, in-charge of agricultural marketing, appoint an Officer , who shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly elected. During the vacancy caused by resignation, death ,removal or otherwise in the office of the Vice –Chairperson, the Chairperson shall exercise the powers and perform the functions of the Vice –Chairperson till the Vice – Chairperson is duly elected.

**No confidence
motion against
Chairperson and
Vice-
Chairperson.**

28. (1) A motion of no confidence may be moved against the Chairperson and/ or the Vice-Chairperson at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority of the total Members of the Committee and not less than two-third of the Members present and voted, cease to be the Chairperson or Vice-Chairperson , as the case may be.

- (2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the prescribed manner within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence. No *ex officio* Member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio Member shall also not have power to vote on "no confidence motion" brought.
- (3) The Chairperson or Vice-Chairperson shall not preside over the meeting, as the case may be, but such meeting shall be presided over by an Officer, which the Director may, in consultation with Minister , in-charge of agricultural marketing , appoint for the purpose. However, the Chairperson or Vice-Chairperson as the case may be, shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.
- (4) If the motion of no confidence is not accorded as aforesaid or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion expressing vote of confidence in the same Chairperson or Vice-Chairperson shall be made until after the expiry of six months from the date of such scheduled meeting.

Leave of absence to Chairperson and Vice-Chairperson and consequences of absence without leave.

- 29.(1) Subject to the Rules made in this behalf, every Chairperson and every Vice-Chairperson officiating as Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Minister ,in-charge of agricultural marketing , shall cease to be the Chairperson on and from the date on which the such third meeting is held.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (1), every Vice-Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairperson, shall cease to be the Vice-Chairperson on and from the date on which the such third meeting is held.

- (3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as prescribed is granted to the Chairperson or Vice-Chairperson, the Market Committee shall elect such eligible members to discharge the duties and functions as Chairperson and Vice-Chairperson of the Market Committee, as may be prescribed.
- Refusal to hand over the charge to new Chairperson or Vice-Chairperson.**
- 30.(1) On election of the Chairperson or Vice-chairperson, as the case may be, the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson shall forthwith hand over the charge of his office to the successor in office.
- (2) If the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any Officer authorized by him in this behalf may, with the prior approval of Minister, in-charge of agricultural marketing, by order in writing direct the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson, as the case may be, forthwith to hand over the charge of his office together with all records, Funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.
- (3) If the outgoing Chairperson or Vice-Chairperson to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any Officer authorized in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while executing a decree.

Seizure and taking possession of record and property of Market Committee under certain conditions.

31. (1) Where the Director/Managing Director is satisfied that the books and records of a Market Committee are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Director/Managing Director may order for seizure and taking possession of the record and property of the Market Committee.

(2) On receipt of the Order under sub-section (1), the police officer not below the rank of sub-Inspector of the local area shall enter and search any place where the records and property are kept or are likely to be kept and to seize them and hand over possession thereof to the Director/ Managing Director or the person authorized by him, as the case may be.

Establishment and Composition of Market Committee of MNI.

32.(1) Save as provided under Section 14(1), the Government may, by notification, constitute a separate Market Committee for effective implementation of provisions of this Ordinance for such market yard(s) located in the State which is / are considered as the Market Yard (s) of "National Importance" (MNI).

(2) All provisions for and in relation to the Market Committee, including election of Chairperson, Vice-chairperson and Members made in the Ordinance, shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee constituted for "Market yard of National Importance".

(3) Save as provided under Section 18, Market Committee of Market Yard of National Importance shall consist of –

- (i) Chairperson 1
- (ii) Vice-Chairperson 1
- (iii) Agriculturist..... 10
including 2 agriculturists one each from two other States where from arrivals are received in the MNI (to be nominated by respective State Governments on receipts of requests for such nomination received from the Govt. where MNI is located)
- (iv) Trader holding the single unified licence, resident of a delineated market area, possessing such qualifications, as may be prescribed, elected from amongst the licenced traders resident of such delineated market area of MNI..... 1
- (v) Trader holding the inter-state trading licence nominated by Government, as may be prescribed_____1
- (vi) One representative of licenced commission agent as member , as may be prescribed-----
_____1
- (vii) Agricultural Marketing Adviser to the GoI or his nominee not below the rank of Under Secretary to GoI_____1
- (viii) CEO/ Municipal Commissioner of the area or his nominee_____1
- (ix) Chief Town Planner or the authority exercising

such powers or his nominee -----1

(x) Director or his nominee (ex-officio) not below the rank of Under Secretary to the Uttarakhand Government-----1

(x) M.D. , SAMB (ex- officio) or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Uttarakhand Government -----1

(xii)Executive Member (to be appointed by the Government, who shall function as the Secretary or CEO of Market Committee of MNI)_____1

Appointment and functions of Secretary of the Market Committee of MNI.

33.

The Secretary functioning as CEO of the Market Committee shall be appointed by the Government from amongst the State's Civil Service Officers at least with ten years of service or from the panel of professionals so maintained or on deputation from Central/ State Government with experience of 10 years in agricultural marketing.

Executive Committee of MNI.

34.(1)

The Executive Committee for MNI shall consist of -

(i) Chairperson of MNI... .. 1

(ii) Trader holding the single unified licence of MNI..... 1

(iii) Director or his nominee (ex-officio) not below the rank of Under Secretary to Uttarakhand Government 1

(iv) M.D. , SAMB (ex- officio) or his nominee not below the rank of Under Secretary to Uttarakhand Government 1

(v) Executive Member of the Market Committee of MNI who shall be as the member Secretary of the Executive ommittee-----1

(2)

In case of emergency, the executive committee may decide issues requiring approval of the Market Committee. However, such decisions shall be approved

by the Market Committee within forty five days from the date such decisions are taken. Failure in doing so or in event of disapproval of such decisions by the market committee, such decision shall stand null and void, so however, that any such disapproval shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that decision:

Provided that if the Market Committee makes any modifications in such decision, the decision shall have effect only in such modified from the date of such modification.

- Term of office of Members of the Executive Committee of MNI.**
- Other provision of this Ordinance also to apply to Market yard of National Importance.**
- (3) The Executive Committee shall meet as often as necessary but at least once in a calendar month.
35. The Members of the executive committee shall hold the office during the pleasure of the Government.
36. All other provisions of this Ordinance, not specified for "Market yard of National Importance", shall *mutatis mutandis* apply to MNI established and notified under Section 9 of this Ordinance.

CHAPTER-IV

CONDUCT OF BUSINESS AND POWERS AND DUTIES OF CHAIRPERSON, VICE-CHAIRPERSON, SECRETARY AND MARKET COMMITTEE

- Powers and duties of Chairperson.**
- 37.(1) Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Ordinance, the Chairperson of the Market Committee shall be the chief controlling and supervising officer of the Market Committee.

- (2) The Chairperson shall-
- (a) preside over the meetings of the Market Committee and the sub-committees and conduct business of such meetings;
 - (b) watch over the financial, developmental and executive administration;
 - (c) in case of emergency , direct the execution of stoppage of any work or the doing of any Ordinance which requires the sanction of the Market Committee.
- Powers and duties of Vice – Chairperson.** 38. The Vice –Chairperson of the Market Committee shall-
- (a) save as otherwise provided in this Ordinance or the Rules , in the absence of Chairperson, preside over the meeting of the Market Committee;
 - (b) exercise the powers and perform the duties of the Chairperson pending the election of the Chairperson or during the absence of the Chairperson.
- Meeting etc. of the Market Committee.** 39. A Market Committee shall meet for the transaction of its business at least once in every month on such date and at such time , as the Chairperson may determine:
- Provided that the Market Committee may, in special circumstances meet at any time and at any place in the delineated market area, as may be prescribed.
- Quorum and procedure at meeting.** 40. One-third of the total number of Members of Market Committee shall form a quorum for transacting the business at a meeting of the committee. The procedure of the meeting will be followed, as may be prescribed.

Powers and duties of the Market Committee.

41.(1)

Subject to the provisions of this Ordinance, it shall be the duty of the Market Committee-

(i) To implement the provisions of this Ordinance, the Rules and the Bye-laws made thereunder in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s).

(ii) To provide such facilities for marketing of notified agricultural produce including livestock therein as the Director/Managing Director or the Government may from time to time direct.

(iii) To perform such other acts as may be required in relation to the superintendence, direction and control of principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s) or for facilitating marketing of notified agricultural produce including livestock therein, and for the purposes connected with the matters aforesaid, and for that purpose may exercise such powers and discharge such functions as may be provided by or under this Ordinance.

(iv) To do all such other acts to bring about complete transparency in pricing system and transactions taking place in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard (s).

(2)

Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee shall -

(i) maintain and manage the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) within the delineated market area;

(ii) provide the necessary facilities for the marketing of notified agricultural produce including livestock within the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard (s) in the delineated market area;

(ii) grant/ renew a licence to market functionaries, except traders, or refuse it to do so;

(iv) suspend or cancel licence granted/ renewed to market functionaries, except traders, and supervise the conduct of the market functionaries and enforce conditions of licence;

(v) regulate or supervise the auction, including e-auction of notified agricultural produce including livestock in accordance with the provision and procedure laid down under the Rules made under this Ordinance or Bye-laws of the Market Committee ;

(vi) regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales, weighment, delivery, payment and all other matters relating to the market of notified agricultural produce including livestock in the manner prescribed;

(vii) provide for the settlement of all disputes between the seller and the buyer arising out on any kind of transaction, including online, connected with the marketing of notified agricultural produce including livestock and all matters ancillary thereto;

(viii) promote Public Private Partnership for carrying out extension activities in its delineated market area viz., collection, maintenance and dissemination of information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce;

(ix) take measures for the prevention of purchases and sales below the minimum support prices as fixed by the government from time to time;

(x) levy, take, recover and receive rates, charges, fees and other sums of money to which the Market Committee is entitled;

(xi) employ the necessary number of Officers and servants for the efficient implementation of the provisions of this Ordinance, the Rules and the Bye-laws as prescribed;

(xii) prosecute persons for violating the provisions of this Ordinance, the Rules and the Bye-laws and compound such offences;

(xiii) acquire land and dispose of any moveable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;

(xiv) impose penalties on persons who contravenes the provisions of this Ordinance, the Rules or the Bye-laws or the orders or directions issued under this Ordinance, the Rules or the Bye-laws by the Market Committee , its Chairperson or by any Officer duly authorised in this behalf;

(xv) institute or defend any suit, prosecution, action, proceeding, application or arbitration and compromise such suit, action proceeding, application or arbitration;

(xvi) handle the issues relating to pay, pension, allowances, gratuities, contribution towards leave allowance, provident Fund of the officers and servants employed by the Market Committee in the manner prescribed;

(xvii) administer Market Committee Fund referred to in Section-82 and maintain the account thereof in the prescribed manner;

(xviii) carry out publicity about the benefits of regulation, the system of transaction, facilities provided in the principal market yard , sub- market yard (s) , etc. through such means as poster, pamphlets, hoardings, cinema slides, film shows,

group meetings, electronic media etc., or through any other means considered more effective or necessary; and

(ix) ensure payment in respect of transactions which take place in the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) or at e-platforms to be made on the same day to the seller or in the maximum next day, if procedurally so required. In default to make the payment as aforesaid, provisions of Section 65(2) will apply. Save as provided in this clause, procedure of payment to the seller in case of e-trading will be *mutatis mutandis* to Section 59(2).

- (3) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee may –
- (i) take all possible steps to prevent adulteration of notified agricultural produce including livestock, if any;
 - (ii) set up and promote Public Private Partnership in management of the agricultural markets;
 - (iii) promote linking of consumers to farmers or their groups through appropriate digital technology;
 - (iv) regulate the entry of persons and vehicles, traffic into the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s) vesting in the Market Committee;
 - (v) inspect and verify scales, weights and measures in use in a market yard and sub-market yard and also the books of accounts and other documents maintained by the market functionaries in such manner as may be prescribed;
 - (vi) arrange to obtain fitness (health) certificate from veterinary doctor in respect of animals, cattle birds etc., which are bought or sold in the principal market yards, sub-market yard(s), and market sub-yard(s);
 - (vii) recover the charges in respect of weighmen and hammals (loaders) and distribute the same to weighmen and hammals (loaders/unloaders) if not paid by the purchaser/seller as the ease may be;

(vi) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce and disseminate such information as directed by the Director/ Managing Director / Government; and

(vii) reasonably act in the manner that traders do not hoard the agricultural produce and market functionaries may not form any cartel to jeopardize the interest of agriculturist –sellers.

(4) With the prior sanction of the Director/Managing Director, the Market Committee may undertake -

(i) construction of internal/connecting roads, godowns and other infrastructure in the principal market yard, sub-market yard (s), market sub-yard (s) and delineated market area to facilitate marketing of agricultural produce including livestock and for the purpose give grant or advance Funds to the Board, or any other Department or undertaking of the State Government or any other agency authorized by the Director/ Managing Director;

(ii) maintenance of stocks of fertilizer, pesticides, improved seeds, agricultural equipments, inputs for sale and establish Soil Testing Laboratories; and

(iii) to provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to agriculturists.

(5) To promote and encourage e-trading, Market Committee may establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto.

(6) Market Committee may establish or allow to be established 3rd party assaying /testing labs , and, therefor, constitute a committee , as may be

- prescribed , to promote assaying, grading and activities and services incidental thereto.
- Appointment of sub-committee and delegation of powers.** 42. Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Market Committee may appoint one or more sub-committees consisting of such Members of the committee, as it may think fit, for the performance of any of its duties or functions, as it may think fit to assign.
- Power to borrow.** 43.(1) The Market Committee may, with the previous sanction of the Director/Managing Director, raise money from banks , financial institutions or issue debentures required for carrying out the purpose for which it is established on the security of any property vested in it and of any fees/user charge leviable by it under this Ordinance.
- (2) The Market Committee may, for the purpose of meeting the initial expenditure on lands, building, staff and equipments required for establishing the market, obtain a loan from the Government or State Agricultural Marketing Board or other financial institution.
- (3) The conditions subject to which money or loan under sub-section (2) shall be raised or obtained and the time within which the same shall be repayable shall be subject to the previous sanction of the Government or the Director or the Managing Director.
- Compounding of offences.** 44.(1) The Market Committee may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence (other than contravention of Section 64 against this Ordinance or the Rules or Bye-laws, made thereunder by way of compounding of such offence —
- (a) Where the offence consists of the failure to pay or

the evasion of any fee/user charge, or other amount recoverable under this Ordinance or the Rules or the Bye-laws in addition to the fee/user charge or other amount so recoverable a sum of money not less than the amount of the fee or other amount and not more than five times the amount of fee or other amount to the maximum extent of rupees ten thousand.

(b) In other cases a sum of money not exceeding ten thousand rupees.

- (2) On the compounding of any offence under subsection (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such an offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the compounding shall have effect of his acquittal.

Power to write off irrecoverable fee etc.

45. The Market Committee may write off any fee/user charge or amount whatsoever due to it, whether under a contract or otherwise, or any amount payable in addition therewith if in its opinion such a fee/user charge or an amount is irrecoverable:

Provided that the Market Committee shall, before writing off any such fee/ user charge, or amount obtain the sanction of the Managing Director, if the fee or amount exceeds rupees twenty five thousand.

Power to remove encroachment on market yard.

46. Any officer or servant of the Market Committee, empowered by the Government in this behalf, shall have power to remove any encroachment in a space in the principal market yard and sub-market yard (s) and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said encroachment and shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

- Use of weighing instruments, weight and measure, their inspection.** 47.(1) Only electronic weighing instruments which also satisfy the requirements of such weights and measures as are prescribed by the State Weights and Measure Act and the Rules made thereunder shall be used for weighing or measuring agricultural produce including livestock, as required, in the principal market yard, sub-market yard (s), market sub-yard(s), private market yard (s) and farmer – consumer market yard(s):
- Provided that in transactions of sale and purchase of agricultural produce including livestock, as the case may be, electronic balance shall preferably be used.
- (2) Weighing instruments, weights and measures kept by the committee under this section may at any time be inspected, examined and checked by the Director or the Managing Director or any other authorized Officer.
- Mode of making contract.** 48.(1) Every contract or agreement entered into by a Market Committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of, or acquisition of interest in immovable property shall, in writing, be executed on behalf of Market Committee jointly by its Chairperson, Vice- Chairperson and the Secretary, with the sanction of the Market Committee, as may be prescribed.
- (2) No contract other than a contract executed as provided in sub-section (1) shall be valid and binding on the Market Committee.
- Act of Market Committee etc. not to be invalidated.** 49. No act of Market Committee or of any sub-committee thereof or of any person acting as a member, Chairperson, Vice-Chairperson, presiding authority or the Secretary shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub-

committee, Members, Chairperson, Vice-Chairperson, presiding authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such Ordinance having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairperson, Vice-chairperson or the Secretary or Member of such committee or sub-committee or for any other informality not affecting the merits of the case.

CHAPTER -V

STAFF OF MARKET COMMITTEE

Secretary of Market Committee.

50. Every Market Committee shall have a Secretary , who shall be the chief executive of the Market Committee administering principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard(s)and the custodian of all the records and properties of the principal market yards, sub-market yard(s) and market sub-yard(s)in the delineated market area:

Provided that the Secretary should be graduate in agriculture / horticulture, agricultural economics/marketing/ agribusiness and has also undergone minimum three months in-service training or such training undertaken after recruitment.

Provided further that Director/ Managing Director may maintain a panel of professionals, which may include professionals from open market, for appointing to the post of Secretary to the Market Committee, as may be prescribed in the Rules. The Director/ Managing Director shall have powers to appoint Secretary from the services of the Government /Board and on deputation also and such appointments shall be

binding on the Market Committee.

**Powers,
functions and
duties of the
Secretary.**

51.

The Secretary shall exercise and perform the following functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Ordinance, the Rules or Bye-laws, namely-

(i) To convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committees, if any, and maintain minutes of the proceedings thereof.

(ii) To attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not move any resolution or vote at any such meeting.

(iii) To take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub-committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the market committee as soon as possible.

(iv) To prepare the budget proposal.

(v) To furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time, require including reports regarding-

(a) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the Members of the staff and the market functionaries and others;

(b) over-trading by any trader;

(c) contravention of the provisions of the Ordinance, the Rules, the Bye-laws, the standing orders by any person;

(d) suspension or cancellation of licence by the Chairperson or the Director; and

(e) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the principal market yard, sub-market yard (s) and market sub-yard(s) .

(vi) To produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, and also whenever called upon by the Market Committee to do so.

(vii) To exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Market Committee.

(viii) To collect fees/user charge and other money leviable by or due to the Market Committee .

(ix) To be responsible for all moneys credited to or received on behalf of the Market Committee.

(x) To make disbursements of all moneys lawfully payable by the Market Committee.

(xi) To report to the Chairperson and the Director/ Managing Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property.

(xii) To prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct proceedings, civil or criminal, on behalf of the Market Committee.

Appointment of Accountant.

52.

The Director/ Managing Director may, with such qualification as may be prescribed in Rules/Bye-laws , appoint an accountant , who shall be responsible for maintenance of books of accounts of the Market Committee and assist the Secretary in discharge of his duties and perform of such duties as may be delegated to him by the Market Committee or the Secretary.

Appointment of staff by the Market Committee.

53.(1)

Every Market Committee may appoint such other Officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties:

Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the Director/ Managing Director:

(2)

Subject to provisions in this Ordinance /Rules,, the Market Committee may make Bye-laws for regulating the appointment, pay, leave, leave allowances, pensions, gratuities, contribution to provident Fund and other conditions of service of Officers and servants appointed under sub-section (1) and for providing for the delegation of powers , duties and functions to them.

(3)

Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any Rules or Bye-laws made thereunder, the Director/Managing Director may, subject to the conditions specified in sub-section (4) , transfer on deputation any Officer or servant of any Market Committee carrying a maximum scale of pay as prescribed to any other Market Committee of the Revenue Division and it shall not be necessary for the Director/ Managing Director to consult either the Market Committee or the Officer or servant concerned before passing an order of transfer on deputation under this sub-section.

- (4) The Officer or servant concerned transferred under sub-section (3) shall,-
- (a) have his lien on the post held in the parent Market Committee ;
 - (b) not be put to disadvantageous position in respect of pay and allowances which he would have been entitled to, had he continued in the parent Market Committee ;
 - (c) be entitled to deputation allowance at such rate as the Director/Managing Director may by general or special order, specify; and
 - (d) be governed by such other terms and conditions including disciplinary control as the Director/Managing Director may, by general or special orders, specify.

CHAPTER-VI

E-TRADING

**Establishment /
Promotion of
electronic
trading
platform.**

- 54.(1) No person shall establish and run any electronic trading platform for trading in notified agricultural produce including livestock without obtaining a licence under this Section.
- (2) Save as provided in sub-section (1), the Government or its agencies may, however, establish and run e-trading platform for trading in notified agricultural produce including livestock, as may be prescribed.

**Grant/ Renewal
of licence to
establish
electronic
trading platform**

55.(1) Any person desirous of establishing an e-trading platform under Section 54 (1) shall apply to the Director or the Officer authorized by him in such form and manner along with such fee and security/ bank guarantee and fulfilling such conditions , as may be prescribed.

(2) The application received under sub-section (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected for reasons recorded in writing by the Licensing Authority :

Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s) *mutatis mutandis* to condition(s) laid down for private market yard under Section 73.

(3) The e-trading platform managed and operated by a person or Government or its agencies, as the case may be, shall provide all infrastructures and services connected to e-trading, as may be prescribed .

(4) The licensee or its management committee, may collect user charge on sale transaction of notified agricultural produce including livestock on the e-trading platform:

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

Provided further that Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

- (5) The e-trading platform licensee shall contribute, of such user charge collection, to the separate "Revolving Marketing Development Fund" maintained by the Director at the rate in percentage at par with APLMC. The Fund will be utilized for the purposes and in the manner *mutatis mutandis* to Section 10 (5) of this Ordinance.
- Integration of warehouses/silos/ cold storages or other such structure or space, declared as market sub-yard to e-platform.** 56. A licence holder under Section 73 (1) for market sub-yard, desirous to link to e-platform of Government of India, may apply, through concerned Government, or its agencies, to the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, in the form and manner, as may be prescribed.
- Integration of private market.** 57. A licensee of private market yard, desirous of integrating with e-trading portal, may apply through State Government or its agencies to the Central Government, as may be prescribed.
- Interoperability of e-trading platforms.** 58. In order to evolve a unified National Agricultural Market and integrate various e-platforms, the applications in the e-platform(s) should be interoperable as per specifications and standards laid down by the Director or the Authority designated therefor.
- Payment to the sellers and maintenance of accounts.** 59.(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, payment of notified agricultural produce including livestock traded on electronic platform shall be made same day of the sale transaction to the seller or in the maximum next day, if procedurally so required. In procedural exigencies on electronic trading, the payment to the seller may be made as prescribed in Rules and Bye-laws.

- (2) The licensee or APLMC, as the case may be, shall maintain accounts of all the transactions taken place on electronic platform and submit such periodical reports and returns to the Managing Director or the authorized Officer, at such time and in such forms, as may be specified by the competent authority, from time to time.
- Suspension or Cancellation of licence of electronic trading platform.** 60. The Director may, for the reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Ordinance/Rules/Bye-laws, instructions, orders, suspend or cancel the licence granted under Section 55, by passing a speaking order:
- Provided that no order for suspension or cancellation of licence shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.
- Dispute settlement-** 61. Any dispute arising between/among licensees of e-trading platforms, or between /among the licensees and APLMC/State agencies, shall be resolved by the Director or the Officer authorized by him, in summary manner within thirty days, after giving the parties reasonable opportunity of being heard.
- (i) between/ among licensees under Section 55(1); and
- (ii) between/ among licensee and APLMC.

- Dispute settlement with regard to intra-State trade - transaction.** 62. In case of any dispute with regard to intra-State transaction on e-platform, the redressal thereof shall be done at the level of management committee of the licensee or the Market Committee, as the case may be, through an administrative process, or through the process of conciliation and arbitration, or otherwise within seven working days; while in case of perishables it shall be within three working days . The management committee or Market Committee , as the case may be, shall dispose of the matter by issuing speaking order.
- Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction** 63. In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-platform or any other such platform, the Government can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the Union Government or State Government under the existing law or any law to be framed therefor.

CHAPTER-VII

REGULATION OF TRADING

- Sale-transaction of notified agricultural produce and livestock.** 64 (1) All notified agricultural produce including livestock shall ordinarily be sold in the principal market yards, sub-market yards and market sub- yards licenced under this Ordinance and not in private market yards or at the electronic trading platforms :
- Provided that the notified agricultural produce including livestock may be sold at other places also to a licence holder especially permitted in this behalf under this Ordinance.

- (2) In relation to agricultural produce, nothing in the sub-section (1) shall apply to the following sale and purchase where -
- (i) sale is made by the producer himself to any person for his domestic consumption in quantity up to the limits prescribed under the Rules;
 - (ii) brought for sale by head load;
 - (iii) purchase and sale is made by a petty trader;
 - (iv) purchase is made by an authorized fair price shop dealer from the Food Corporation of India, "the State Commodities Trading Corporation" or any other agency or institution authorized by the Central or/ and State Government for distribution of essential commodities through the public distribution system; and
 - (v) the transfer of such agricultural produce to a cooperative society for the purpose of securing an advance there from.
- (3) In relation to livestock, nothing in the sub-section (1) shall apply on the business of purchasing or selling of livestock not exceeding such value, as may be prescribed.
- (4) The price of the notified agricultural produce including livestock, brought for sale into the principal market yards, sub-market yards, private market yards, market sub-yards shall be settled by tender bid or open auction including e-auction or any other transparent system and no deduction shall be made from the agreed price on any account whatsoever from the seller.
- (5) Weighment or measurement or counting of all the

notified agricultural produce including livestock so purchased shall be done by such a person and such system as is provided in the Bye-laws or at any other place specified for the purpose by the Market Committee.

**Terms and
procedure of
buying and
selling.**

65. (1)

Except in the commercial transaction between two traders, any other person who buys notified agricultural produce including livestock in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards, shall execute an agreement in triplicate in such form, as may be prescribed in favour of the seller. One copy of the agreement shall be kept by the buyer, one copy shall be supplied to the seller and the remaining copy shall be kept in the record of Market Committee.

(2)

(a) The price of the notified agricultural produce transacted in the principal market yards, sub-market yards, private market yards, market sub-yards or at e-platforms shall be paid on the same day to the seller or in the maximum next day if procedurally so required. Payment on notified agricultural produce shall also be made to agriculturist-seller, if sold to the direct marketing licensee, on the same day there itself.

(b) In case purchaser does not make payment under clause (a), he shall be liable to make additional payment at the rate of one percent, per day of the total price of the agricultural produce, payable to the seller within five days.

(c) In case the purchaser does not make payment with additional payment to the seller under clause (a) and (b) above, within five days from the day of such purchase, his licence shall be deemed to have been cancelled on the sixth day and he shall not be granted any licence or permitted to operate under his Ordinance for a period of one year from the date

of such cancellation.

- (3) Commission agent shall recover his/its commission from his/ its principal trader at the rate not exceeding two percent *ad valorem* on transacted non-perishable agricultural produce; while in case of perishable agricultural produce, it shall not exceed 4 percent *ad valorem* on transacted produce, including all expenses as may be incurred by him in storage of the produce and other services rendered by him/ it:

Provided that no commission shall be collected from farmer-seller.

Levy of market fee (single point levy of market fee).

- 66.(1) The Market Committee shall levy and collect market fee from buyer in respect of notified agricultural produce including livestock bought by such buyer in the principal market yard or sub -market yard(s) or market sub-yard(s) either brought from outside the State or from within the State, at such rate as may be notified but not exceeding two percent *ad valorem* on transacted produce in case of non-perishable agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock:

Provided that Market fee specified under this section shall not be levied for the second time, in whatever name it is called, i.e. cess, user charge, service charge, etc., in any principal market yard, sub -market yard, market sub-yard, private market yard, electronic trading platform within the State provided that market fee at applicable rate has already been paid on that notified agricultural produce in any principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, electronic trading platform of the State and the evidence to this effect has been furnished, by the concerned person that market fee has already been paid as aforesaid in the State.

Provided further that in case of commercial transactions between traders, the market fee shall be collected and paid by the seller.

Provided also in case buyer is not licensee and seller is farmer, the liability of payment of market fee shall be of commission agent, who will collect the market fee from buyer and deposit to the Market Committee.

- (2) The Market Committee may levy and collect entrance fee on vehicles which may enter into market yard(s) at such rate as may be specified in Bye-laws:

Provided that no such fee shall be levied and collected from agriculturist –sellers .

Levy of user
charge by
Market
Committee.

- 67.(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Market Committee may allow trade even in those item (s) of the agricultural produce including livestock which is/are not notified for regulation under the Ordinance or are not specified in the schedule to the Ordinance for regulation.

- (2) The Market Committee may collect user charge, as prescribed in Bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent *ad valorem* in case of non-perishable transacted agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock.

- (3) Save as otherwise provided in this Ordinance, Market Committee shall neither enforce regulation nor levy and collect applicable market fee on sale-transactions of fruits and vegetables taking place outside the principal market yard, sub-market yard(s) and market sub-yard (s).

Power to grant exemption from market fee.

68.

The State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified therein, exempt in whole or in part any agricultural produce including livestock brought for sale or bought or sold in the principal market yards, sub-market yards and market sub-yards specified in such notification, from the payment of market fee for such period as may be specified therein. Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force, and on such rescission such notification shall cease to be in force.

Grant /Renewal of licence to market functionaries other than traders.

69.(1)

Subject to the provisions of this Ordinance and Rules made in this behalf, every person who, in respect of notified agricultural produce including livestock, desires to operate in the principal market yard or sub-market yard or market sub-yard as commission agent, weighman, measurer, hammal (loader-unloader) or such other market functionary, except trader, shall apply to the Market Committee for grant or renewal of licence in such form and such manner as may be prescribed.

(2)

The Market Committee or its Chairperson, if so authorized by the Market Committee may, on an application made under sub-section (1) and after making such inquiries as it deemed fit, grant or renew the licence, or may refuse to grant or renew any such licence on the basis of one or more of the following reasons-

- (i) The applicant is minor or not *bonafide*.
- (ii) The applicant has been declared defaulter under the Ordinance or Rules made thereunder and Bye-laws.
- (iii) The applicant has been found guilty under the Ordinance.
- (iv) Any dues relating to Market Committee and/or

Board and/or department/directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant.

(v) Any other reason(s), as may be prescribed.

- (3) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized under sub-section (2) shall dispose off the application received under sub-section (1) within twenty days from such date when application is complete in all respects.

Explanation: The Market Committee shall, on scrutiny of application and the documents annexed therewith within five working days from the date of its receipt, grant /renew the licence within twenty working days from such date when application is found complete in all respects; or may, after recording the reason (s) in writing therefor, refuse to do so.

- (4) On expiry of a period of twenty working days as under sub-section (3), if the application has not been disposed off, it shall be deemed that licence has been granted or renewed, as the case may be.

- (5) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized may, for reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Ordinance/Rules/Bye-laws, instructions, orders, suspend or cancel the licence granted under this section, by passing a speaking order:

Provided that no order for suspension or cancellation of licence shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

**Grant / Renewal
of unified
single trading
licence.**

70.(1)

There shall be a single licence applicable to the whole of the State, for the trader to be granted/renewed by the Director or the Officer authorized by him in such manner and in such form, as may be

prescribed, to operate as trader in any principal market yard, sub-market yard, market sub-yard private market yard & sub-yard, e-trading platform or any other space identified for the purpose, in the State. The existing trader licences granted by the Market Committees shall be converted into State wide single trader licence by the Director or the Officer authorized by him, within six months from the date of commencement of the State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation)Act, 2017. Until then, the existing trader licences granted by the Market Committees are deemed to have been the State wide single trader licences.

Explanation: Private market licensee or other such licensee or its management committee may, register the unified single trading licence holder issued by Director or the Officer authorized by him, to allow to operate in such market yards.

- (2) Any person desirous of obtaining or renewing a licence under sub-section (1) as trader, shall apply to the Director or the Officer authorized by him in Form with reasonable fee, as may be prescribed.
- (3) Subject to provisions of this Ordinance and the Rules made in this behalf, the Director or the Officer authorized by him, on application under sub-section (2), after making such inquiries as deemed fit , may grant or renew the licence in the form and for such a period, as may be prescribed:

Provided that notwithstanding anything contained in this Ordinance and the Rules, there shall be no consideration of domicile, compulsory requirement of purchase /collection centre and minimal quantity for grant/ renew of such licence.

Provided further that such licence granted or renewed shall entail to the licensee to carry out trade

of any form i.e. primary or secondary or whatsoever, without any discrimination.

Suspension or Cancellation of unified single trading licence granted/ renewed under Section 70.

- (4) The licence issued by the Director or the Officer authorized by him under this section shall bear Unicode, as may be prescribed.
- 71.(1) The Director or the Officer authorized by him may, after such inquiry as he deems fit to make and after giving , in the prescribed manner , the licensee a reasonable opportunity of being heard , suspend or cancel a licence issued under Section 70 on any of the following ground(s):
- (a) that, the licence has been obtained through willful misrepresentation or fraud;
- (b) that, the licensee himself or in collusion with other licensee(s) commits any Ordinance or obtains from carrying on his normal business in the market with intention to willfully obstruct , suspend or stop the marketing of notified agricultural produce in any type of market and in consequence whereof, the marketing of notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped ;
- (c) that, the licensee is found to have contravened any of the provisions of this Ordinance or the Rules or Bye-laws;
- (d) that, the licensee has been convicted of an offence punishable under this Ordinance or Rules or regulations;
- (e) that, the licensee has become insolvent; or
- (f) that, the licensee incurs any disqualification on grounds prescribed.
- (2) Having been licence suspended/cancelled under this section , the holder of such licence shall

forthwith produce the same in the office of the Director or the Officer authorized for being endorsed in the prescribed manner and shall not be entitled to any claim on account of such suspension/cancellation any compensation or refund of the whole or any part of the licence fee or any of the other money.

Recognition of unified single trading license granted/ renewed under Section 70 for inter-state trade.

72.(1)

Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the State may allow holder of unified single trading licence bearing Unicode, issued by any other State to undertake trade transaction within its geographical jurisdiction on e-platform or any other format including physical that may be in operation, as trader, as may be prescribed in Rules/ Bye-laws under this Ordinance.

(2)

Such licensee shall be liable to pay the market fee and other marketing charges at the rate applicable in the State, where trade transaction has taken place, in the manner as may be prescribed.

(3)

In case of contravention of any of the provisions of this Ordinance / Rules/ Bye-laws or instructions or orders, the Director/ Managing Director/ Market Committee shall, after giving an opportunity to be heard, blacklist such licensee for trading purpose only within their respective jurisdiction, when a contravention has occurred, for a certain period or forever based on the gravity of breach/violation of provisions of this Ordinance / Rules/ Bye-laws or instructions or orders.

Explanation: The expression 'blacklist' for a certain period to be deemed to be suspended for such a period in the jurisdiction as under sub-section (3), while 'forever' deemed to have been cancelled in the jurisdiction as under sub-section (3).

- (4) The Director/ Managing Director/ Market Committee of the respective jurisdiction, wherein the contravention occurs, may simultaneously submit a proposal detailing the type and nature of contravention with evidence, to the concerned licence issuing State Authority for taking further appropriate action against the contravener.
- Grant/Renewal of licence for private market yard, farmer-consumer market yard and market sub-yard.**
- 73.(1) Any person who, under Section 10, desires to establish private market yard, or under Section 11, desires to establish farmer-consumer market yard, or under Section 12 to be desirous of such a place being declared as market sub -yard, shall apply to the Director or the Officer authorized by him for grant or renewal of licence, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period but not less than three years, as may be prescribed.
- (2) An application for grant or renewal of licence, as the case may be, for private market yard or farmer-consumer market yard or market sub -yard under Section 73 (1), shall be accompanied with such reasonable licence fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.

- (3) An application received under sub-section (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority:

Provided that the application received under this Section shall be liable to be rejected on the condition(s) :

- (i) that, the applicant is a minor or not *bona fide*;
 - (ii) that, the applicant has been declared defaulter under the Ordinance and Rules and Bye-laws made there under;
 - (iii) that, any dues relating to Market Committee and/or Board and/or department/ directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant;
 - (iv) that, the concerned authority is satisfied that the applicant does not possess the infrastructure credentials, experience or adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard or farmer-consumer market yard; and/ or
 - (v) for any other reasons, as may be prescribed.
- (4) The licence granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the licence as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Ordinance and Rules made thereunder.

Suspension or 74.(1) Subject to the provisions of Section 73, the Licensing

**Cancellation of
licence granted
/renewed under
Section 73.**

Authority, as the case may be, may for the reasons to be communicated to the licence holder in writing, suspend or cancel the licence, if:

- (a) the licence has been obtained through willful misrepresentation or fraud; and/or
 - (b) the holder of licence or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the Rules, regulations and terms or conditions of licence; and/or
 - (c) the holder of licence himself or in combination with other licence holder commits any Ordinance or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce; and/ or
 - (d) the holder of the licence has become insolvent; and/or
 - (e) the holder of the licence incurs any disqualification, as may be prescribed; and/or
 - (f) the holder of the licence is convicted of any offence under this Ordinance.
- (2) No licence shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder.
- (3) Subject to the provisions of Section 74, the Licensing Authority shall communicate to the licence holder by speaking order to suspend or cancel its licence granted or renewal under Section 73.

- Grant/ Renewal of licence for direct marketing.**
- 75.(1) Any person, including a Farmers' Cooperative, Farmers' Producer Organisation (FPO) and Processor/Exporter, under Section 13, desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, shall apply to the Director or the Officer authorized by him for grant or renewal of licence, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period, as may be prescribed.
- (2) An application for direct marketing shall accompany such reasonable licence fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.
- (3) The application received under Section 75 (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected in the cause and manner *mutatis mutandis* to Section 73(3).
- (4) A direct marketing licence granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the licence as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Ordinance and Rules made thereunder.
- Suspension or Cancellation of direct marketing licence.**
76. Subject to the provisions of Section 13, the Licensing Authority, who has issued the licence, may suspend or cancel the licence granted/ renewed under Section 75 in the cause and manner *mutatis mutandis* to Section 74.
- Dispute settlement-
between/ among licensees and
between/ among licensee and**
77. Any dispute arising between/among licensees for private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard and direct marketing, or between/among licensee (s) and APLMC (s) may be resolved by the Director or the Officer authorized by him, in a summary manner within thirty days, after

APLMC.

giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

Appeal.

78. (1)

Any person aggrieved by the order of the Director or the Officer authorized by him, passed under Section 61 & 77, as the case may be, may prefer an appeal to the Government or the Officer authorized by it, in the form and manner as prescribed, within thirty days from the date of receipt of such order. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(2)

Any person aggrieved by the order of the Market Committee or management committee of private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard, electronic trading platform may prefer an appeal to the Director or the Officer authorized by him, in the form and manner *mutatis mutandis* to sub section (1), within thirty days from the date of receipt of such order. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(3)

Save as provided in Section 78(1), the appeal with respect to inter-State trade on e-platform or any other such platform under Section 63, will be in accordance with the provisions to be provided under any law constituting the Authority.

(4)

The Appellate Authority, if it considers it necessary so to do, grant a stay on the order appealed against for such period as it may deem fit.

- (5) The order passed in the appeal by the Appellate Authority under this section shall be final and binding on all parties. Such order issued by the Appellate Authority shall have the force of the decree of a Civil Court and shall be enforceable as such.
- Registration of wholesale ad-hoc buyer.** 79.(1) Any person desirous of wholesale buying either from the market-yard or from outside the market-yard, on day to day basis for own consumption even without valid licence granted under Section 75, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner, as may be prescribed:
- (a) Such buyer will specify the place and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase;
- (b) In case of such buying undertaken in the market yard, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee and on buying undertaken outside the market yard, the buyer shall pay one-fourth of the applicable market fee to the Market Committee:
 Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month across the State.
- Bar of jurisdiction on Civil Courts.** 80.(1) No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Ordinance required to be settled, decided or dealt with.
- (2) No court shall take cognizance of an offence under this Chapter, except upon a complaint by the Director or Managing Director or by any other Officer authorized by him in this behalf.

CHAPTER-VIII

BUDGET AND MARKET COMMITTEE FUND

**Preparation and
sanction of
budget.**

- 81.(1) Every Market Committee shall prepare and pass the budget of its income and expenditure for the ensuing year in the prescribed form and shall submit it to the Managing Director for sanction before the prescribed date every year. The Managing Director shall sanction the budget with or without modification within one month from the date of receipt thereof. If the budget is not returned by the Managing Director within one month, it shall be presumed to have been sanctioned.
- (2) The Managing Director may also seek the consent of the Director, on the budget so passed under sub-section (1). If the budget with the comments of the Director is not returned within fifteen days from the date of its receipt, it shall be presumed that the Director has consented to.
- (3) The Market Committee may sanction and cause to undertake execution of construction works out of its Fund other than the permanent Fund referred to in sub-section (7) on the basis of the plans and designs approved by the Market Committee, in such manner as may be prescribed by the Board.
No expenditure except payment of pension will be made out of pension fund.
- (4) No expenditure shall be incurred by a Market Committee on any item if there is no provision in the sanctioned budget thereof unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head. The sanction for re-appropriation may be obtained from the Managing Director provided that in case of re-appropriation from minor heads under one major head, sanction for re-appropriation will not be required.

- (5) A Market Committee at any time during the year for which any budget has been sanctioned, cause a revised or supplementary budget to be passed and sanction in the same manner as if it were an original budget.
- (6) The Market Committee shall make provision in its budget for crediting the amount into the permanent Fund up to thirty percent of its gross receipt comprising of licence fee and market fee and to the pension Fund as prescribed from time to time by the Managing Director. No expenditure from the permanent Fund shall be incurred except with the prior approval or as per direction given by the Managing Director. No expenditure from this Fund or from amount as provided under sub-section (2) of Section 82 shall be proposed in the budget referred to in sub section (1).
- (7) The Managing Director/Board while according sanction for construction work may at its discretion, direct that the execution of the works shall be entrusted to the Public Works Department of the Government or Board or any other agency authorized by the Government for this purpose.

**Market
Committee
Fund.**

- 82.(1) Save as provided in sub-section (2) all moneys received by a Market Committee shall be paid into a fund to be called "The Market Committee Fund" and all expenditure incurred by the Market Committee under or for the purposes of this Ordinance shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the Market Committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.

(2) Any money received by the Market Committee by way of arbitration fee or as security for costs in arbitration proceedings relating to disputes or any money received by the committee by way of security deposit, contribution to provident fund or for payment in respect of any notified agricultural produce including livestock, or charges payable to market functionaries as required and such other money received by the Market Committee may be provided in the Rules or Bye-laws, shall not form part of Market Committee Fund, and shall be kept in such manner as may be prescribed.

(3) Save as otherwise provided in this Ordinance, the amount to the credit of the Market Committee Fund and also other money received by the Market Committee shall be kept in a scheduled nationalized commercial banks or in post office saving bank or in any other mode with the approval of the Managing Director.

**Application of
Market
Committee
Fund.**

83.

Subject to the provisions of Section 82, the Market Committee in order to discharge functions and perform duties entrusted to it under this Ordinance, may use the Market Committee Fund. Without prejudice to generality of this provision the Market Committee Fund may be used for the following purposes, namely-

(i) The acquisition of a site or sites for the market yard.

(ii) The establishment, maintenance and improvement of the market yard.

(iii) The construction and repairs of building necessary for the purpose of the market yard and for convenience or safety of the persons using the market yard.

(iv) The maintenance of standard weights and measures.

(v) The meeting of establishment charges including payment and contribution towards provident fund, pension and gratuity of the Officers and servants employed by a Market Committee.

(vi) Loans and advance to the employee of the Market Committee.

(vii) The payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of development of the market yard(s) and other works as included in the work plan; and provisions of sinking fund in respect of such loans.

(viii) The collection and dissemination of information relating to crpp statistics and efficient marketing of agricultural produce.

(ix) Expenses incurred in auditing the account of the Market Committee.

(x) Payment of honorarium, travelling allowance, sitting fee to Chairperson, Vice-Chairperson and other Members except ex-officio Member(s) of the Market Committee.

(xi) Contribution to Marketing Development Fund

maintained by Board and Revolving Marketing Development Fund maintained by Director.

(xii) Contribution to any scheme for development of agricultural marketing including transport & other logistics.

(xiii) To provide facilities like grading, standardization

and quality certification services and activities incidental thereto.

(xiv) Payment of expenses on elections under this Ordinance in exigencies .

(xv) Incurring of all expenses on research, extension and training in development of marketing of agricultural produce including livestock.

(xvi) To incur expenses on promotion of pledge financing and marketing credit.

(xvii) To create and promote on its own or through public private partnership infrastructure of post harvest handling of agricultural produce including livestock, cold storages, pre-cooling facilities pack houses and all such infrastructure to develop modern marketing system.

(xviii) Any other purpose(s) connected with the marketing of agricultural produce including livestock under this Ordinance whereon the expenditure of the Market Committee Fund is in the public interest subject to the prior sanction of the Managing Director.

CHAPTER-IX

CONSTITUTION OF STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD

**Establishment
of the State
Agricultural Mar
keting Board.**

84.

The Government shall, for coordinating and undertaking the activities relating to development of markets and marketing infrastructures and services incidental thereto and also exercising such other powers and performing such functions as are conferred or entrusted by or under this Ordinance, establish and constitute a State Agricultural Marketing Board.

Incorporation of Board.

85.

The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to acquire and hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property, to contract and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.

Constitution of the State Agricultural Marketing Board.

86.

The Board shall consist of a Chairperson, Vice- Chairperson and such other Members as may be elected or appointed by the Government.

Composition of the State Agricultural Marketing Board.

87.

The composition of the Board shall be -

1. Chairperson - elected by Chairpersons, Vice-Chairpersons and other elected Members of the Market Committees of State as prescribed:

Provided that the Chairperson shall be an agriculturist.

2. Vice-Chairperson - elected by Chairpersons, Vice-Chairpersons and other elected Members of the Market Committees of State as prescribed.

3. (i) Six Members to be nominated by the Government from amongst the Chairpersons of Market Committees as prescribed.

(ii) One Member each to be nominated by the Government from amongst the licensees of private market yard, direct marketing, market sub-yard and electronic trading platform, if available, as may be prescribed.

(iii) One Member to be nominated by the Government from amongst the registered Farmers'-Producer Company, if any.

(iv) One Member to be nominated by the Government from amongst the single unified licence holders, as may be prescribed.

(v) One member to be nominated by the Government from amongst the inter- state trade licence holder, as may be prescribed.

4. Other ex-officio members -

(i) Principal Secretary/ Secretary, in-charge of agriculture, horticulture agricultural marketing, cooperation, animal husbandry and fisheries or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Uttarakhand.

(ii) Principal Secretary/ Secretary, Urban/Rural Development or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Uttarakhand.

(iii) Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of Uttarakhand or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of Uttarakhand.

(iv) Representative of the National Bank for Agriculture and Rural Development not below the rank of Deputy General Manger.

(v) Registrar of Co-operative Societies/ Commissioner for Co-operation.

(vi) Managing Director of State Agricultural Marketing Board.

**Appointment of
Managing
Director,
Officers and**

88.(1) (1) The Board shall have a Managing Director who shall be appointed by the Government and he shall be the Chief Executive Officer of the Board.

Servants of the Board.

- (2) The Managing Director appointed under sub-section (1) shall also function as the ex-officio Secretary of the Board.
- (3) The Board may appoint other Officers and servants as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions under the Ordinance.
- (4) The superintendence and control over all the Officers and servants of the Board shall vest in the Managing Director.

Term of Officer of the non-official Members of the Board.

- 89.(1) The term of office of the non-official Members of the Board shall be for five years. However, the Members may hold the office at the pleasure of the Government

The Government may, if it thinks fit, remove any Member of the Board before the expiry of his term of office.

- (2) No person may be Member of the Board exceeding two terms.
- (3) The Government may, on its own motion or on resolution passed by a majority of total Members and 2/3rd of the Members of the Board voted, remove a Chairperson or Vice-Chairperson of the Board for misconduct or neglect of or incapacity to perform his duty and on such removal he shall not be eligible to serve as a Chairperson or Vice-Chairperson for a period of 5 years from the date of such removal:

Provided that no order of such removal shall be passed unless a reasonable opportunity to be heard has been given to the concerned.

Term of official Members. 90. The tenure of an official Member of the Board shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

In the event of supersession of the Market Committee from where the Member(s) have been nominated on the Board, the concerned Member shall cease to a Member on it.

Allowance to Members of the Board.

91. The Members of the Board other than an ex-officio Member shall be paid from the Marketing Development Fund for such sitting fee and allowances for attending its meetings and for attending to any other work as may be fixed by the Government from time to time.

Filling of casual vacancy.

92. In the event of death or resignation or disqualification or removal of any Member of the Board or any vacancy arising otherwise before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as may be, by nomination by the Government. The person so nominated shall hold such office for the un-expired term of his predecessor.

Resignation of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

93. The Chairperson, Vice –Chairperson and a Member of the Board may resign from respective post by tendering his resignation to the Government and the seat of such incumbent shall become vacant on the date of acceptance of his resignation:

Provided that Vice-Chairperson and a Member of the Board may resign from respective post by tendering his resignation to the Government under intimation to the Chairperson of the Board.

**Disqualification
of Member of
the
Board.**

94.

No person shall be a Member of the Board who-

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or

(d) is a Director or a Secretary, Manager or other salaried officer or employee of any company or firm having any contract with the Board or a Market Committee ;or

(e) is, or at any time been, found guilty under Section(s) 114 and/ or 126 of this Ordinance; or.

(f) has so abused, in the opinion of the Government, his position as a Member , as to render his continuance on the Board detrimental to the interest of the general public.

**Appointment of
Sub-committee.**

95

The Board may appoint sub-committees consisting of three or more of its Members which shall also include Chairperson and the Managing Director, for the performance of any of its duties or functions or for giving advice on any matter incidental thereto and may delegate to such sub-committee any of its duties or functions as may be deemed necessary.

**Superintendenc
e of the Board.**

96.

The Government shall exercise superintendence and control over the Board and its Officers and may call for such information as it may deem necessary and, in the event of it being satisfied, that the Board is not functioning properly, it may suspend the Board and, till such time as a new Board is constituted, make such arrangements for the exercise of the functions of the Board as it may think fit:

Provided that the new Board shall be constituted within six months from the date of its suspension.

Functions & powers of the Board.

97.(1)

The Board shall, subject to the provisions of this Ordinance, perform the following functions and shall have power to do such thing as may be necessary or expedient for carrying out these functions:

(i) Coordination of the working of the Market Committees and other affairs thereof including programs undertaken by such Market Committees for the development of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards; and also in delineated market areas.

(ii) Undertake State level planning of the development of agricultural produce including livestock in principal market yards, sub-market yards and market sub-yards .

(iii) Administer the State Marketing Development Fund.

(iv) Give direction to the Market Committees in general or any Market Committee in particular with a view to ensuring improvement thereof.

(v) Any other functions specifically entrusted to it under this Ordinance.

(vi) Such other functions of like nature as may be entrusted to it by the Government.

(2)

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions , such functions of the Board shall include:

(i) approval of the proposals for selection of new sites by the Market Committees for establishment of principal market yard or sub-market yard or market

sub-yard ;

(ii) approval of the proposals for constructing infrastructure facilities in the principal market yard, sub-market yard and marker sub-yards ; and also in delineated market area;

(iii) supervision of and guidance of the Market Committees in preparation of plans and estimates of construction programme undertaken by the Market Committee ;

(iv) execution of all works chargeable to the Board's fund;

(v) maintenance of the accounts in such form as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in the regulation, of the Board;

(vi) publishing annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities; and send copies thereof to each member of the Board and the Government;

(vii) set up separate Marketing Extension Cell in the Board for transfer of marketing technology and extension services. Board may also make necessary arrangements for awareness generation campaign on matters related to regulated marketing of an agricultural produce including livestock and development of marketing facilities therefor;

(viii) providing facilities for the training of officers and servants of the Market Committees after assessing the demand for trained personnel in agricultural marketing at all levels. Set up a Training Cell with college/centers for training in agricultural marketing for various market functionaries, Market Committee members and farmers etc., in the State Marketing

Board with necessary academic support from the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India, a National level Nodal agency.

(ix) provide facilities for linking of consumers to farmers or their groups through appropriate technology;

(x) help to prepare budget for the ensuing year;

(xi) granting subventions on loans to Market Committee for the purposes of this Ordinance on such terms and conditions as the Board may determine;

(xii) arranging or organizing seminars/ workshops/ exhibitions etc. on subjects related to agricultural marketing;

(xiii) doing such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board;

(xiv) facilitating Market Committee in promoting grading and standardization of notified agricultural produce including livestock, setting up of assaying labs and other infrastructures for on-line trading and activities incidental thereto ;

(xv) providing logistic support to promote on-line trading on-line to develop barrier market for notified agricultural produce including livestock; and

(xvi) setting up an advisory committee with technical support of Directorate of Marketing and Inspection to promote efficient marketing of notified agricultural produce and livestock , including issues relating to grading, standardization , packaging , quality certifications, as may be prescribed.

Regulations.

98.(1)

The Board may, with the previous approval of the Government, make regulations, not

inconsistent with this Ordinance and Rules made thereunder for the administration of the affairs of the Board.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters-

(a) summoning and holding of meetings of the Board, the time and date when such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereof;

(b) powers and duties of the officers and other employees of the Board;

(c) salaries and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and of officers of the Market Committees;

(d) management of the property of the Board;

(e) execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board;

(f) maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Board;

(g) procedure for carrying out the functions of the Board under this Ordinance;

(h) other matter for which provision is to be or may be made in regulation.

**“Marketing
Development
Fund”.**

99. All money received by or on behalf of the Board shall be credited to a Fund called “Marketing Development Fund.”

Payments incurred by the Board.	100.	All payments incurred by the Board shall be defrayed out of the "Marketing Development Fund".
Contribution towards "Marketing Development Fund"	101.	Every Market Committee shall pay to "Marketing Development Fund" maintained by Board in percentage upto twenty percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to meet the expenses of establishment of the Board and expenses incurred in execution of the functions assigned to the Board under this Ordinance.
Borrowing by issue of bonds or stocks.	102.	The Board may, for carrying out the provisions of this Ordinance, borrow money from the Government or may with the previous approval of the Government - (i) from any other agency; or (ii) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Ordinance, or the Rules made there under.
Utilization of Marketing Development Fund Maintained by Board.	103.(1)	The Market Development Fund shall be utilized by the Board either on its own or through public private partnership for discharge of functions entrusted to the Board under this Ordinance.

- (2) Without prejudice to generality of this provision, the Market Development Fund may be utilized for the following purposes, namely-
- (i) Payment of administrative expenditure of the Board.
 - (ii) Payment of travelling and other allowance to the Chairperson, Vice-chairperson and Members of the Board.
 - (iii) Payment of legal expenses incurred by the Board.
 - (iv) Granting aid to financially weak Market Committees in the form of loan or grant for development proposes.
 - (v) Propaganda and publicity on matters relating to marketing of agricultural produce.
 - (vi) Training of the officers and staff of the Market Committees and Board and also to market functionaries and agriculturists.
 - (vii) Organizing and arranging workshops, seminars, exhibition etc., on development of marketing.
 - (viii) Promotion and construction of infrastructural facilities in the principal market yard, sub-market yard and in also common market infrastructural facilities in the delineated market area.
 - (ix) Undertaking skill development and pledge financing activities.
 - (x) Undertaking market survey and research, grading and standardization, quality assaying, quality certification of agricultural produce, on-line trading and other activities connected thereto.
 - (xi) Acquisition or constructions or hiring by lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board.

(xii) Internal audit of the Board and the Market Committees.

(xiii) Development of Haat Bazars and farmer-consumer markets for marketing of agricultural production in the delineated market areas; and explore the possibility of developing such markets for livestock also.

(xiv) any other purpose, deemed necessary for execution of the functions assigned to the Board under this Ordinance or as directed by the Government .

Audit of accounts of the Board.	104.	<p>(1) The accounts of 'the Board shall be subject to audit under the State Local Fund Audit Act or by a certified Chartered Accountant or by other agency as the Government deems fit.</p> <p>(2) The Board may make arrangement for internal audit of accounts, as it may deem fit.</p> <p>(3) The annual accounts and balance sheet of the Board shall be prepared by the Managing Director and all moneys accruing to or received by the Board from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.</p> <p>(4) At the time of audit, the Managing Director shall cause to be produced all accounts, registers, documents and other relevant papers which may be called for by the audit officer for the purposes of the audit. Any explanation called for by such officer for the removal of any discrepancy shall be immediately furnished to him.</p> <p>(5) The accounts when audited shall be printed. The copies of accounts and audit report with comments thereon shall be placed before the Board.</p>
Delegation of powers.	105.	<p>(1) (i) Subject to the provisions of this Ordinance, the Board may by general or special order, delegate to the Managing Director/ Member Secretary or sub-committee appointed by it or to any Officer 'of the Board such of the powers and duties under the Ordinance, as it may deem fit.</p> <p>(2) The Chairperson or the Member Secretary of the Board may delegate his power under this Ordinance to any Officer of the Board.</p>
Supervision and control of the Chairperson/ Chief Executive.	106.	<p>(1) The Chairperson of the Board shall preside over the meeting.</p> <p>(2) Subject to the superintendence of the Board, the</p>

Functions & powers of the Managing Director.

107.

general control and direction over all the officers and servants of the Board shall be vested with the Chief Executive of the Board.

The Managing Director shall:

(i) exercise supervision and control over officers and servants of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees as per procedure prescribed;

(ii) appoint officers and staff of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;

(iii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work;

(iv) in case of emergency, direct the executions or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;

(v) prepare annual budget of the Board;

(vi) arrange for internal audit of the Board;

(vii) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;

(viii) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;

(ix) inspect the construction work undertaken by the Market Committees either from their own funds or loans and /or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;

(x) report, such acts either of the Market Committees or of the Board which are contrary to the provisions laid down under this Ordinance or Rules and Bye-

laws made

thereof, to the Government ;

(xi) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

**Conduct of
business of the
Board.**

108.(1)

The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such a place and at such times as the Chairperson may determine.

(2)

Save as otherwise provided in sub-section (1) the provisions of chapter IV shall *mutatis mutandis* apply for the conduct of the business of the Board.

(3)

All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairperson, Member-Secretary/Managing Director and all other orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Chairperson, Member-Secretary/ Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized in this behalf by regulation.

(4)

The Board shall conduct the business in a manner prescribed under the Rule.

**Powers of
Chairperson of
Board.**

109.

The Chairperson of the Board shall exercise such powers as may be prescribed.

CHAPTER-X

APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ITS POWER AND FUNCTIONS

**Appointment of
Director of
Agricultural
Marketing.**

110.

The Government may , by notification, appoint any Officer to exercise or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Ordinance and the Rules made thereunder:

Provided that Director of Agricultural Marketing shall not concurrently hold the office of Managing Director of the Board.

**Power and
functions of the
Director of
Agricultural
Marketing.**

111.(1)

Subject to the provisions of this Ordinance, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Ordinance, which would enable proper execution of the provisions of this Ordinance. The State Govt. may delegate any or all the regulatory powers vested in it under this Ordinance, Rules to the Director.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the Section 116, the functions of the Director may include-

(i) grant /renewal and suspension or cancellation of licence granted to the person for establishing and/or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub-yard, electronic trading platform and direct marketing ;

(ii) grant/renewal and suspension or cancellation of unified single trading licence for the State.

(iii) grant/renewal and suspension or cancellation of inter-state trading licence ; black listing the operation of inter-state trading licence within the State jurisdiction issued by another State;

(iv) supervision on the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and Rules made thereunder relating to transaction of agricultural produce including livestock taking place in the principal market yards, sub-marker yards and market sub-yards ;

(v) enforcement of regulation in the delineated market areas;

(vi) launch of prosecution for contravening the provision(s) of the Act and Rules made thereunder;

(vii) suggestion to the Government for undertaking amendments to the Ordinance and Rules for effective execution of the objectives of the

Ordinance;

- (vii) approval of the Bye-laws framed by the Market Committee under this Ordinance and Rules;
- (viii) identifying person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board.
- (ix) consenting the approval of the budget of the Market Committee;
- (x) accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;
- (xi) appointment and transfer of the personnel of the State Agricultural Marketing Services, if any, and Ordinance as the cadre controlling authority for them;
- (xii) taking steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and Board and activities connected thereto;
- (xiii) acceptance of resignation of the Chairperson of the Market Committee;
- (xiv) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer-consumer market yard, private market yard, sub - market yard, electronic platform and direct marketing and holder of single unified licence and inter-state trading licence;

- (xv) to Ordinance as appellate authority from any person aggrieved by a order of the Market Committee ;
- (xvi) approval of the resolution passed by Market Committee;
- (xvii) removal of Chairperson/Vice-chairperson or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed; and
- (xix) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

**Revolving
Marketing
Development
Fund.**

112.(1) The Director shall maintain a separate "Revolving Marketing Development Fund" to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard , private market sub-yard, e-trading platform, direct marketing and from such other contribution including Market Committee .

(2) Every Market Committee shall contribute five percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director.

(3) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

**Offices and
staff of the
Director of
Agricultural
Marketing.**

113.(1) The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Ordinance / Rules, may, with the previous sanction of the Government, establish offices at district level.

- (2) The district level offices should be headed by an officer, with such qualification and experience but not below the rank of Deputy Director or Under Secretary to State Government.
- (3) The other Officers at the district level may be posted with such qualification and experience as may be prescribed, from the State's Agricultural Marketing Service cadre, if any, or otherwise or on deputation as per Rule.

CHAPTER -XI

PENALTIES

Penalty for contravention of Ordinance, Rules and Bye- laws.

114. Any person who contravenes any provision of this Ordinance, or of any Rule or Bye-laws or order issued thereunder shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both:

Provided that in the case of a continuing contravention of the provisions of Section 65, he shall be liable to be punished with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.

Recovery of market dues.

115. Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Ordinance, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay over to the Market Committee the amount of fees or any other amount due from him under this Ordinance or Rules or Bye-laws made thereunder and may, in his discretion, also recover and pay over to the Market Committee costs of the prosecution.

Cognizance of offences. 116. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Ordinance or any Rule or any Bye-laws made there under except on the complaint made by the Director or Officer authorized in this behalf or by the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary of the Market Committee or any person duly authorized by the Market Committee in this behalf.

CHAPTER-XII

CONTROL

Inspection, inquiry, submission of statements etc. 117.(1) On his own motion, the Managing Director or any Officer authorized by him, or on direction of Government or Director, may -

- (a) inspect or cause to be inspected the account and offices of Market Committee;
- (b) hold enquiry into the affairs of a Market Committee;
- (c) call from any return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such committee to furnish;
- (d) require a. Market Committee to take into consideration-
 - (i) any objection on the ground of illegality or inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such committee; or
 - (ii) any information he is able to furnish and which appears, to him to necessitate the doing of a certain thing by such committee; and

(iii) to make written reply to him within a reasonable time stating the reason for doing or not doing such thing.

(e)direct that anything which is about to be done or is being done should not be done, pending consideration of the reply, and anything which should be done but is not being done should be done within such time as he may direct.

(2) When the affairs of a Market Committee are investigated under this section or the proceedings of any Market Committee are examined by the Managing Director under Section 124, the Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary and all other Officers and servants and Members of such committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceedings of the Market Committee as the Managing Director, or the Officers authorized by him, as the case may be, may require.

(3) An officer investigating the affairs of a Market Committee under sub-section (1) or the Director or the Government examining the proceeding of any Market Committee under Section 125 shall have the power to summon and enforce the attendance of Officer(s) or Member(s) of the Market Committee and to compel him/ them to give evidence and to produce documents by the same means and as far as possible in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

- (4) Where the Managing Director has reason to believe that the books and records of a Market Committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Managing Director may issue order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Market Committee and the Officer (s) of the Market Committee responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.
- Powers of Director to remove Chairperson or Vice-Chairperson or Member of the Market Committee.** 118.(1) The Director may remove Chairperson in consultation with Government ; or Vice-Chairperson and Members of Market Committee in consultation with Chairperson where he is of the opinion that the said functioning:
- (a) has been guilty of misconduct or gross negligence of duty as Chairperson, Vice-Chairperson or a Member ;
- (b) ceases to hold the qualifications necessary for being a Chairperson, Vice-Chairperson or Member.
- (2) No order of removal under sub-section (1) shall be passed unless the person concerned has been given reasonable opportunity of being heard in respect of the allegations against him.

- (3) The Director may suspend any Chairperson, Vice-Chairperson or a Member of a Market Committee in the manner and way *mutatis mutandis* to sub-section (1) , who has been served with notice under sub-section (1) or sub-section (2) as the case may be, and against whom any complaint has been received or who commits irregularities after the service of such notice, for period from the date of receipt of complaint or the date of noticing of irregularities by the Director till the final decision is taken in his case.

Supersession of the Market Committee.

119. Where the Director, on his own motion or after considering the submission of Managing Director, is of the opinion that a Market Committee has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Ordinance, may, on prior consultation with Government, by notification in the Gazette, supersede the Market Committee :

Provided that no order of supersession shall be passed unless the Director has given a reasonable opportunity to the Market Committee of being heard in respect of the allegations made against it.

Consequence of supersession of Market Committee.

120. Upon publication of the notification superseding a Market Committee under Section 119, the following consequences shall ensue :

(i) The Chairperson, Vice-chairperson and all the Member of the Market Committee shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices.

(ii) The Government or the Director shall direct that the steps be taken for constitution of a new Market Committee under Section 17 and till such time as a new Market Committee under Section

17 is constituted as aforesaid, the Director shall make such arrangements for carrying out the functions of the Market Committee as he may deem fit for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Market Committee and its Chairperson, under this Ordinance, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Director may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Market Committee or Chairperson, as the case may be.

**Supersession of
the Board.**

121.

Where the Government is of the opinion that the Board has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Ordinance, it may, by notification in the Gazette, supersede the State Agricultural Marketing Board:

Provided that no order of supersession shall be passed unless the Government has given to the Board a reasonable opportunity of being heard in respect of the allegations against it.

**Consequence of
super session of
Board.**

122.

Upon publication of the notification superseding a Board under Section 121, the following consequences shall ensue :

(i) The Chairperson, Vice-Chairperson and all the Members of the Board shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices.

(ii) The Government shall direct that steps be taken for constitution of a new Board under this Ordinance and till such time as a new Board under Section 86 is constituted as aforesaid, the Government shall make such arrangements for carrying out the functions of the Board as it may deem fit, for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Board and its Chairperson, under this Ordinance, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Government, may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Board or Chairperson, as the case may be.

Power of Director to direct Market Committee for amending Bye-laws.

123.(1)

If it appears to the Director, that it is necessary or expedient in the interest of agricultural marketing to make any Bye-law (s) or to amend any existing Bye-law (s) , he may, by order, direct the Market Committee concerned to make Bye-law(s) or amend existing Bye-law (s) within such time as he may specify in such order.

- (2) If the Market Committee fails to make such Bye-law(s) or such amendment of the Bye-law(s) within the time specified, the Director may, after giving the Market Committee a reasonable opportunity to explain, make such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) and thereupon subject to any order under sub-section (3), such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) shall be deemed to have been made or amended by the Market Committee in accordance with the provision of this Ordinance or the Rules made thereunder and thereupon such bye-law (s) or amendment (s) shall be binding on the Market Committee.
- (3) An appeal shall lie to the Government against any order of the Director under sub-section(2) within thirty days from the date of such order and decision of the Government on such appeal shall be final and binding.

Power of the Managing Director to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Market Committee.

- 124.(1) The Managing Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairperson or any of its Officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Ordinance or Rules or Bye-laws made thereunder.

- (2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section(1) and continuing in force, it shall be the duty of the market committee, if so required by the Managing Director, take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairperson or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

**Power to call for
proceedings of
Market
Committee and
Managing
Director/Director**

125.(1)

The Director/ Managing Director may, on his own motion, or on an application made to him, call for and examine the proceeding of any Market Committee and the Government may on its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of the Director/Managing Director, for the purpose of satisfying himself or itself

as the case may be, as to the legality or propriety of any decision taken or order passed and as to the regularity of the proceedings of the Market Committee or the Director/Managing Director, as the case may be. If in any case, it appears to the Director/Managing Director or the Government that any such decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled, reversed, or remitted for reconsideration he or it may pass such order thereon as he or it may deem fit:

Provided that every application to the Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within sixty days from the date on which the decision or order to which the application relates was communicated to the applicant.

Provided further that no such order shall be passed under sub-section(1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.

- (2) The Government , may suspend the execution of the decision taken or order passed by the Market Committee /Director/Managing Director, pending exercise of its powers under sub-section (1).

**Liability of 126.(1)
Chairperson,
Vice
Chairperson,
Members and
Employees for
loss, waste or
misappropriation
etc.**

If in the course of enquiry or inspection under Section 117 or in the course of audit under this Ordinance, it is found that any person who is or was entrusted with the management of Market Committee or any deceased, past or present Chairperson, Vice-Chairperson, Member, Officer-in-charge of Market Committee, or any other officer or employee of Market Committee or an Officer of the Government has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to, or under the control of such committee to any purpose contrary to the provisions of this Ordinance or Rules or Bye-laws made thereunder or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Market Committee, the Director/Managing Director may, on his own motion or on the application of the Market Committee, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorised by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person within two years of the date of report of audit, enquiry or inspection as the case may be.

- (2) If on enquiry made under sub-section (1), the Director/ Managing Director is satisfied that there are good grounds for an order thereunder, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property and any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as he may consider just and equitable:

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which is inherited by such legal representative.

- (3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the Government and the Order of the latter shall be final and binding:

Provided that in computing the period of limitation the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

- (4) No order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall be called in question in any court of Law.

- (5) Any order made under sub-section (2) or sub-section(3) shall, on the application of the Director/ Managing Director , be-enforced by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid by such Order may be recovered as arrears of land revenue.
- Power of the Government to amend schedule.** 127. The Government may, by notification, add to or amend or delete any of the items of agricultural produce specified in the schedule and thereupon the schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
- Provided that no notification shall be issued under this section without publishing in the Gazette previous notice of not less than 30 days as the Government may consider reasonable of its intention to issue such notification.
- Power of the Government to give direction.** 128.(1) The Government may give directions to the Board and Market Committees.
- (2) The Board and the Market Committees shall be bound to comply with the directions issued by the Government under sub-section (1).
- Recovery of sums due to Board/Market Committee.** 129. Any sum due to a Market Committee or the Board on account of any charge, costs, expenses, fees, rent and any other account under the provision of this Ordinance or any Rule or Bye-laws made thereunder shall be recoverable in the same manner as arrears of land revenue.
- Chairperson, Vice-Chairperson, Members, Officer and Servant etc. of Market Committee & Board to be public servant.** 130. The Chairperson, the Vice-Chairperson , the Members, Secretary, other Officers and servants of a Market Committee and the Chairperson, Vice-Chairperson , the Members, the Officers and other servants of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

- Delegation of power by Government.** **131.** The Government may delegate to the any Officer of the Government not below the rank of Director, any of the powers conferred on it by or under the Ordinance other than the powers to make Rules under Section 136.
- The officer so delegated under this section may sub-delegate any of his powers to any Officer of the Government not below the rank of Deputy Director in the State or Under Secretary to the State Government.
- Bar to civil suit & protection to person acting in good faith.** **132.** No suit, prosecution or legal proceedings in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Ordinance or Rule or Bye-laws made, thereunder, shall lie against the Director/ Managing Director or Officer of the Government or against the Board or any Market Committee or against any officer or servant of the Board or any Market Committee or against any person acting under and in accordance with the directions of the Director/ Managing Director, such officer, or such committee.
- Bar to suit in absence of notice.** **133.** Notwithstanding anything contained in any section of any Ordinance, no suit shall be instituted against the Board or any Market Committee, until the expiration of two months next after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff. Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of the accrual of alleged cause or action.

Duty to Local Authority to give information and assistance.

134.

It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Market Committee or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges.

It shall also be the duty of every Local Authority and its officers and staff concerned with the collection of octroi to give all the possible assistance to any officer of the Market Committee in exercising his powers and discharging his duties under this Ordinance.

Ordinance not to be invalidated by informality, vacancy etc.

135.

No Ordinance done or proceeding taken under this Ordinance by the Board, by a Market Committee or a sub-committee appointed by the Board shall be invalidated merely on the ground of-

- (a) any vacancy or defect in the constitution of Board or sub-committee; or
- (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such Ordinance or proceeding, not affecting the substance.

CHAPTER-XIII

RULES AND BYE-LAWS

Power to make Rules.

136. (1)

The Government/Administration may, after previous publication, make Rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Rules may provide for-

(i) declaration of "special commodity market yard(s) and Market yard (s) of National Importance (MNI) based on annual throughput & income and infrastructure under Section 8 & 9 respectively and constitution of Market Committee therefor ;

(ii) classification of Market Committee based on annual throughput & income and infrastructure under Section 14 (4);

(iii) procedure for constitution of the first Market Committee and subsequent Market Committee including qualifications of representatives under Section 17(1) ;

(iv) election for Chairperson, Vice-Chairperson, agriculturist Members and other Members of the Market Committee and reservation of seats therefor;

(v) meeting of Market Committee, leave of Chairperson & Vice-Chairperson, quorum and powers and duties of Market Committee;

(vi) appointment of sub-committee and delegation of powers under Section 42; mode of making contract under Section 48 and appointment of Secretary of Market Committee under Section 50;

(vii) the periodical inspection of all weights and measures and the weighing and measuring instruments in use in a market yards;

(viii) powers, functions and duties of the Secretary of Market Committee under Section 51, appointment of Accountant and Staff of Market Committee, their pay, allowances and pension

etc.;

- (ix) fixation of quantity of sale under clause (i) of Section 64 (2);
- (x) the procedure for recovery of market fees, fine for evasion of market fees and manner for assessment of market fees in default of furnishing return;
- (xi) procedure for grant/renewal and suspension/ cancellation of licence to market functionaries , other than trader, under Section 69;
- (xii) procedure for grant/renewal and suspension/ cancellation of unified single trading licence under Sections 70 & 71;
- (xiii) procedure for allowing unified single trading licence for inter-state trade under Section 72 and its blacklisting ;
- (xiv) procedure for grant/renewal of licences to set up private market yard , farmer-consumer market yard , market sub-yard, electronic trading platform and for direct marketing and suspension/cancellation thereof ;
- (xv) procedure and condition for registration of wholesale ad-hoc buyers;
- (xvi) procedure and terms and conditions for declaring warehouse/silos/ cold storage or other such structure or space as market sub-yard ;
- (xvii) the provisions for the persons by which and the forms in which copies of documents and entries in the books of the Market Committee may be certified and the charge to be levied for the supply of such copies;
- (xviii) the trade allowance which may be made or received by any person in any transaction in the

notified agricultural produce in a market yard;

(xix) manner of dispute settlement between/among the licensees and between/among the licensees and Market Committee ;

(xx) facilities for the settlement of any dispute between a buyer and seller of notified agricultural produce or their agents including disputes regarding the quality or weight of the articles, payment in respect of the price of goods sold and the allowances for wrapping, containers, dirt or impurities or deductions for any cause by mediation, arbitration or otherwise;

(xxi) the preparation of plans and estimates for works proposed to be constructed partly or wholly at the expense of the Market Committee , and the grant of sanction to such plans and estimates;

(xxii) the form in which the accounts of a Market Committee shall be kept, the audit and publication of such audit and the inspection of audit memoranda of the account and supply of such memoranda;

(xxiii) the preparation and submission for sanction of the annual budget and the report and returns to be furnished by a Market Committee and issues related to maintenance of accounts of Board under Section 97 (2 (v));

(xxiv) the time during which and the manner in which a trader or commission agent shall furnish such returns to a Market Committee as may be required by it;

(xxv) procedure for setting up of assaying labs including in private sector and promotion of quality certification system. Constitution of committee with technical member of Directorate of Marketing & Inspection to promote quality certification system;

(xxvi) provide necessary infrastructure and logistic

support for e-trading platform;

(xxvii) the keeping of records of arrivals and prices of agricultural produce by Market Committee and other licensees;

(xxviii) the manner in which auctions of agricultural produce including e-auction shall be conducted and bids made and accepted;

(xxix) the recovery and disposal of fees leviable by or under this Ordinance;

(xxx) compounding of offences and fixing compensation thereof under this Ordinance or Rules or Bye-laws made thereunder;

(xxxi) manner of constitution of State Agricultural Marketing Services;

(xxxii) recruitment, qualification, appointment, promotion, scale of pay, leave, leave allowance, acting allowance, loans, pension, gratuity, annuity, compassionate Fund, dismissal, removal, conduct, departmental punishment, appeals and other service conditions of the members of the State Agricultural Marketing service;

(xxxiii) limits of honorarium, travelling allowance, sitting fees and any other payments payable to the Chairperson, Vice-Chairperson and Members for attending the meetings, etc.;

(xxxiv) manner of investment of surplus in the Market Committee Fund;

(xxxv) manner and terms & conditions of contribution by licensee of private market yard, market sub-yard, electronic trading platform and direct marketing to Marketing Development Fund and expenditure

thereof;

(xxxvi) procedure for framing of Bye-laws, their amendments or cancellation and for their previous and final publication;

(xxxvii) term of the office of the Chairman, Vice-chairman and members of the Board;

(xxxviii) the powers to be exercised by the Chairman and Vice-chairman and the Chief Executive of the Board;

(xxxix) all matters required to be prescribed by Rules under this Ordinance;

(xl) mode of service of notice under this Ordinance;

(xli) generally for the guidance of Market Committee .

(3) In making any Rule, the Government may direct that breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

(4) Every Rule made under this Ordinance Shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to make Bye-laws.

137. (1)

Subject to the provisions of this Ordinance and the Rules made thereunder, a Market Committee may, in respect of a principal market yard and sub-market yard under its management, make Bye-laws for—

(i) the regulation of business of the Market Committee;

(ii) the condition of trading in a principal market yard and sub-market yard ;

(iii) delegation of powers, duties and functions to the officers and servants, appointment; pay, punishment, pensions, gratuities, leave, leave allowances,

contributions by them to any provident Fund which may be established for the benefit of such officers and servants and other conditions of service;

(iv) the delegation of powers, duties and functions to a sub-committee, if any;

(v) market functionaries, other than traders, who shall be required to take licence;

(vi) enabling and regulating provisions relating to e-trading and activities and services incidental thereto ;

(vii) any other matters for which Bye-laws are to be made under this Ordinance or it may be necessary to frame Bye-laws for effectively implementing the provisions of this Ordinance and the Rules made thereunder.

(2) No Bye-laws under sub-section (1) shall take effect until it has been confirmed by the Director.

(3) In making any Bye-laws, the Market Committee may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to two hundred rupee for everyday after first during which the breach is provided to have been persisted in.

CHAPTER -XIV

Repeal and savings.

**Repeal
savings.**

and

138. (1)

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act 2011 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal—

(i) The repeal shall not affect the previous operation of any enactment so repealed, and anything done or

action taken (including any appointment, delegation or declaration made, notification, under Rule, direction or notice issued, Bye-laws framed, market area, markets, sub-markets and yards declared, established or notified, licences granted, fees levied and collected, instruments executed, any Fund established or constituted) by or under the provisions of any such enactment shall in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Ordinance, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Ordinance;

(ii) The Government may, by notification, make such provisions as appears to it to be necessary or expedient-

- (a) for making omission from, addition to and adaptations and modifications of the Rules, notifications and orders issued under the repealed enactment; and
- (b) for specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed enactment or any Rules, notifications and orders issued thereunder as may be mentioned in the said notification.

(iii) Unless the Government otherwise directs, the Market Committee referred to in clause

(i) and the Chairperson, Vice-chairperson and members thereof shall continue until the expiry of their term under the repealed Act or till a Market Committee is constituted in accordance with the provisions of this Ordinance, whichever is earlier.

(iv) On issue of a direction under clause (ii) of subsection (2), the provisions of Section shall apply as from the date specified in the direction as if the Market Committee stood dissolved on that date.

Power to remove difficulty. **139.** If any difficulty arises in implementation of any provisions of this Ordinance, Government may, as exigency requires, by order not inconsistent with the provisions of this Ordinance, do anything which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Baby Rani Maurya
Governor, Uttarakhand.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

By mail

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-2
संख्या : 336 / XIII-2 / 2020-01(01) / 2020 टी0सी0
देहरादून, दिनांक: 19 मई, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2020) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09 मई, 2020 को उक्त अध्यादेश के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।


संख्या: 336 (1) / XIII-2 / 2020-01(01) / 2020 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त अध्यादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
10. कुलपति, पंतनगर/भरसार विश्वविद्यालय।
11. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रबन्ध निदेशक, मण्डी बोर्ड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
13. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम, पंतनगर।
15. निदेशक, उत्तराखण्ड बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून।
16. निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी पंतनगर।
17. निदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
18. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोपरि।

आज्ञा से,


(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव